JNPA 35 YEARS
THE PORT OF PROSPERITY

जनेप प्राधिकरण
JNPA

INDIA'S BEST PERFORMING PORT

वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2023-24

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	तुलन पत्र	4
2	लाभ एवं हानि लेखा	6
3	तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ	9
4	लाभ एवं हानि लेखों की अनुसूचियाँ	29
5	नकदी आवागमन विवरण	43
6	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	47
7	लेखों पर टिप्पणियाँ	55
8	लेखा परिक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई	91
9	वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा	123
10	संघनित वित्तीय विवरण (वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक)	135

वार्षिक लेखा
2023-24

भाग 1 - तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची		31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
I.निधियों के स्रोत				
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	**1**			
पूंजीगत आरक्षित निधि		36,096,563,197		36,094,414,347
राजस्व आरक्षित निधियाँ		73,638,437,725		63,334,786,197
सांविधिक आरक्षित निधियाँ		36,391,184,403		33,365,055,488
			146,126,185,325	**132,794,256,032**
ऋण निधियाँ	**2**			
जमानती ऋण		-		-
असुरक्षित ऋण		-		17,033,841,000
			-	**17,033,841,000**
आस्थगित कर देयता	**5**		**5,152,803,348**	**4,330,861,637**
निधियों के कुल स्रोत			**151,278,988,672**	**154,158,958,670**
II. निधियों का उपयोग				
नियत परिसम्पत्तियाँ	**3**			
सकल खंड		68,845,368,429		56,923,717,964
घटाएं : मूल्यह्रास		14,800,904,364		13,234,443,522
निवल खंड		**54,044,464,065**		**43,689,274,443**
चालू पूंजीगत कार्य		27,767,639,576		33,252,339,009
			81,812,103,641	**76,941,613,452**
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड			**218,543,418**	**239,796,643**
"दुर्घटना में आरएमक्यूसी नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गई/			**529,484,084**	**529,484,084**
निवेश	**4**			
वर्तमान निवेश		-		-
लम्बी अवधि के निवेश		5,967,801,208		6,858,597,244
			5,967,801,208	6,858,597,244
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**5**		**3,245,974,287**	**3,161,466,248**
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	**6**			
निवेशों पर प्रोद्त ब्याज		1,950,281,895		1,730,684,137
वस्तु सूचियाँ		99,014,953		208,864,024
निवल विविध देनदार		7,825,403,335		8,342,456,031

भाग 1 - तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची		31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
"कैश एवं बैंक शेष (बैंकों की सावधि जमा रसीदों सहित)		56,024,092,629		37,523,327,420
ऋण एवं अग्रिम		77,068,069,027		93,155,845,260
			142,966,861,839	140,961,176,871
घटाएं : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	**7**			
वर्तमान देयताएं				
विविध लेनदार		14,728,512,892		12,299,033,067
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आरक्षित में/		559,180,160		438,897,094
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशि /		134,979,908		119,135,292
अग्रिम भुगतान आदि		11,529,792,903		10,477,878,278
प्रोद्भूत व्यय		625,454,697		680,662,004
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋण पर देय नहीं		(251,907,793)		394,124,855
			27,326,012,767	**24,409,730,588**
प्रावधान:				
कराधान हेतु		56,135,767,038		50,123,445,284
कुल प्रावधान कराधान हेतु			56,135,767,038	50,123,445,284
कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान			**83,461,779,805**	**74,533,175,872**
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			**59,505,082,034**	**66,428,000,999**
निधियों का कुल उपयोग			**151,278,988,672**	**154,158,958,670**

प्रमुख कानूनी मामले और आकस्मिक दावे लेखों पर टिपणियॉं के तहत शामिल किए गए हैं

लेखाकरण नीतियाँ	**24**
लेखों पर टिप्पणियाँ	**25**

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

(गौतम कुमार दास)
महाप्रबंधक (वित्त)

(उन्मेश शरद वाघ भा. रा.से.)
अध्यक्ष

भाग - II : लाभ तथा हानि लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
आय			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	8	38,418,718	191,724,794
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	9	299,230,890	1,217,985,853
पत्तन एवं गोदी प्रभार	10	6,518,216,181	5,980,759,033
संपदा किराया	11	672,141,351	1,328,272,323
बीओटी ठेकों से आय	12	19,694,884,921	16,743,586,954
प्रचालनीय आय - (क)		**27,222,892,060**	**25,462,328,957**
व्यय			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण	13	66,663,374	69,245,046
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण	14	1,554,298,144	2,561,494,122
पत्तन एवं गोदी व्यय	15	3,737,730,323	4,260,511,042
रेल कार्यचालन	16	12,141,823	12,141,823
किराए योग्य भूमि एवं भवन	17	1,010,178,755	857,683,049
बीओटी ठेकों पर व्यय	18	918,221,119	1,319,613,175
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	19	2,284,088,737	3,016,086,695
प्रचालनीय व्यय - (ख)		**9,583,322,275**	**12,096,774,952**
प्रचालनीय अधिशेष - (ग = क - ख)		**17,639,569,786**	**13,365,554,004**
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय - (घ)	20	4,268,969,833	3,254,798,731
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय / - (च)	21	1,210,083,501	940,283,002
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार (छ)	22	52,700,940	(234,215,388)
"कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें (ज = ग + घ - च - छ) "		**20,645,755,177**	**15,914,285,120**
असाधारण मद (ठ)	26	431,749,880	132,932,685
कर पूर्व लाभ (ट = ज - झ)		**20,214,005,297**	**15,781,352,435**

भाग - II : लाभ तथा हानि लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (झ)	23		
वर्तमान कर		6,012,321,754	4,672,873,990
आस्थगित कर		737,433,672	130,017,922
करोत्तर लाभ (ड. = ट - ठ)		**13,464,249,871**	**10,978,460,524**
जोड़ें : कल्याणकारी निधि से आहरित राशि		1,225,000	381,740
विनियोगों हेतु कुल उपलब्ध राशि		13,465,474,871	10,978,842,264
विनियोग			
"विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि "			
अर्जित ब्याज		28,574,492	15,522,738
स्थानांतरित लाभ		1,484,489,965	1,247,609,602
"पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि / "			
अर्जित ब्याज		23,605,352	12,823,314
स्थानांतरित लाभ		1,489,459,105	1,250,309,025
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		134,642,499	109,784,605
कर्मचारी कल्याण निधि		1,051,930	287,822
कुल विनियोग		**3,161,823,343**	**2,636,337,106**
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित लाभ		**10,303,651,529**	**8,342,505,158**
लेखाकरण नीतियाँ	**24**		
लेखों पर टिप्पणियाँ	**25**		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखों के ही साथ हैं

(गौतम कुमार दास)
महाप्रबंधक (वित्त)

(उन्मेश शरद वाघ भा. रा.से.)
अध्यक्ष

तूलन पत्र की अनुसूचियाँ
2023-24

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 : 31 March, 2024 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

	विवरण	योग	पूंजीगत आरक्षित निधि	अन्य आरक्षित निधियाँ		" सांविधिक आरक्षित निधियाँ / "	
				सामान्य आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याणकारी निधि	विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि
क	**प्रारंभिक जमा**	**132,794,256,032**	**36,094,414,347**	**63,332,286,197**	**2,500,000**	**13,313,547,944**	**20,051,507,545**
ख	**जोड़ें**						
	1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण		2,148,850	10,303,651,529	1,051,930	1,513,064,457	1,513,064,457
	2) कर्मचारी कल्याण निवेश पर ब्याज				173,070		
	3) पूंजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि						
	4) आधारिक संरचना की आरक्षित निधि से स्थानांतरण	-		-	-	-	-
	5) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण	-	-		-	-	-
	योग (ग = क + ख) /	**146,127,410,325**	**36,096,563,197**	**73,635,937,725**	**3,725,000**	**14,826,612,401**	**21,564,572,002**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 : 31 March, 2024 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

	विवरण	योग	पूंजीगत आरक्षित निधि	अन्य आरक्षित निधियाँ		" सांविधिक आरक्षित निधियाँ / "	
				सामान्य आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याणकारी निधि	विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि
घ	**घटाएं**						
	आंतरिक आरक्षित निधियाँ / अन्य स्थानांतरण						
	1)कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-
	2) राजस्व लेखों में स्थानांतरित				1,225,000		
	3) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित					-	-
	4) वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग किया गया						
	योग (घ)	**1,225,000**	**-**	**-**	**1,225,000**	**-**	**-**
च	**अंत शेष (च = ग - घ)**	**146,126,185,325**	**36,096,563,197**	**73,635,937,725**	**2,500,000**	**14,826,612,401**	**21,564,572,002**

जनेप प्राधिकरण JNPA

भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बंदरगाह

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
सुरक्षित ऋण		
लम्बी अवधि के ऋण :		
कर मुक्त बाँड	-	-
कुल सुरक्षित ऋण	**-**	**-**
सरकारी ऋण		
एमजेपीआरसीएल के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण	-	17,033,841,000
कुल प्रतिभूति रहित ऋण	**-**	**17,033,841,000**
कुल बकाया ऋण	**-**	**17,033,841,000**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2023 के अनुसार	"वर्ष के दौरान योग /	वर्ष के दौरान विलोपन	"31.12.2024 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
क)	**जमीन**		**666,078,189**	**112,061,662**	**6,034,921,337**
I (ख)	"पर्यावरणीय- संरक्षण के उपाय		176,548,943		249,702,825
II	**मुख्य निकर्षण**		-		**13,440,597,744**
III	**"इमारतें, शेड एवं अन्य संरचनाएँ**				
(क)	**पारगमन शेड**				-
(ख)	माल गोदाम				48,138,245
(ग)	मकान		134,556,983		1,465,496,764
(घ)	अन्य संरचनाएँ		52,887,101		4,319,818,446
(च)	लघु संरचनाएँ				73,822,432
(छ)	कें.औ.सु.बल आवास				41,972,741
(ज)	प्राथमिक अध्ययन तथा कार्य	42,866,998			42,866,998

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में.)

मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
01.04.2023 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	"31.03.2024 को कुल (7)+(8)+(9)	"31.03.2024 को (6)-(10)	"31.03.2023 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
-			-	**6,034,921,337**	**5,480,904,810**
18,787,171		11,990,576	30,777,747	218,925,078	54,366,711
1,374,515,026		**134,405,977**	**1,508,921,003**	**11,931,676,741**	**12,066,082,718**
-			-	-	-
33,696,773		1,203,456	34,900,229	13,238,016	14,441,472
377,089,503		29,288,784	406,378,286	1,059,118,478	953,850,278
525,804,857		88,517,394	614,322,251	3,705,496,195	3,741,126,488
13,320,930		1,845,561	15,166,490	58,655,941	60,501,502
21,908,538		839,455	22,747,993	19,224,749	20,064,203
42,866,998			42,866,998	(0)	-

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.12.2024 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
IV	**घाट, सड़कें और परिसीमाएं**				
(क)	घाट और पटरियां		3,369,473,746	11,086,758	14,367,366,688
(ख)	परिसीमो दीवारें और बाड़		893,263,143	43,026,588	1,148,042,276
(ग)	सड़कें		4,799,073,760		8,538,719,233
(घ)	नालियाँ और पुलिये		312,003,451		927,842,192
(च)	पुल		1,187,029,740		4,526,283,272
V	**तैरते पोत**		-	-	**52,024,643**
VI	**रेलवे और चल स्टॉक**				
(ग)	पत्तन के अंदर स्थायी रास्ता	88,956,634			88,956,634
	पत्तन के बाहर स्थायी रास्ता	829,217,158	172,935,760	172,935,760	829,217,158

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में.)

मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
01.04.2023 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2024 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2024 को (6)-(10)	31.03.2023 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
			-		
3,192,618,126	(554,338)	363,272,201	3,555,335,988	10,812,030,700	7,816,361,574
88,114,243	(5,378,324)	52,165,389	134,901,308	1,013,140,968	209,691,478
942,417,493		198,513,722	1,140,931,215	7,397,788,017	2,797,227,979
195,749,921		20,331,271	216,081,192	711,760,999	420,088,820
363,375,896		119,861,168	483,237,065	4,043,046,207	2,975,877,635
19,334,847		**2,601,232**	**21,936,079**	**30,088,563**	**32,689,796**
			-		
46,655,665		1,482,610.56	48,138,276	40,818,358	42,300,969
354,523,209	(10,083,971)	29,668,782	374,108,021	455,109,138	474,693,949

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.12.2024 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
VII	**"गोदी, घाट, समुद्री दीवारें, पोत घाट एवं नौ-संचालन साधन**				
(क)	गोदी और घाटों				236,983,449
(घ)	रक्षिकाएं, प्लव संकेतक और नौबंध		10,920,658		129,572,794
(च)	गोदी प्रवेश द्वार				24,717,878
(ज)	नौसंचालन साधन	116,406,448	11,668,664		128,075,112
VIII	क्रेन और वाहन				
(घ)	अन्य उपस्कर				71,791,273
IX	सयंत्र और मशीनरी				
(क)	कर्मशाला तथा मशीनों के औजार				28,971,700
(घ)	अन्य उपस्कर		3,288,887		158,244,323
(छ)	तुलन कांटे				5,045,399
(ज)	अस्पताल फर्नीचर		6,503,797		69,356,607
(झ)	तेल का पाइपलाइन				3,243,357

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में.)

मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
01.04.2023 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2024 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2024 को (6)-(10)	31.03.2023 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
			-		
50,072,270		3,183,424	53,255,695	183,727,754	186,911,178
82,615,317		6,038,475	88,653,792	40,919,002	36,036,819
14,078,974		304,392	14,383,367	10,334,511	10,638,904
116,002,548		700,383	116,702,931	11,372,181	403,900
			-		
59,158,068		2,585,293	61,743,361	10,047,912	12,633,205
			-		
9,647,718		1,281,014	10,928,732	18,042,968	19,323,982
95,325,674		8,507,121	103,832,795	54,411,528	59,629,762
5,045,399		-	5,045,399	-	-
55,575,174		3,110,257	58,685,431	10,671,176	7,277,636
3,243,357		-	3,243,357	-	-

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.12.2024 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
X	**पानी, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिए संस्थापनाएँ**				
(क)	"बिजली के लिए संस्थापनाएँ	3,107,775,525	186,679,294		3,294,454,819
(ख)	"दूरसंचार के लिए संस्थापनाएँ		2,039,060		17,349,572
(ग)	पानी के लिए संस्थापनाएँ		54,725,156		469,023,835
(घ)	अग्निशमन	655,931,222	56,127,396		712,058,618
XII.	**कंटेनर प्रहस्तन उपकरण**		**57,984,605**	**48,465,767**	**5,952,943,371**
XIII.	**कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर**				
(क)	कम्प्यूटर		131,925,308		875,201,994
(ख)	इलेक्ट्रानिक उपस्कर		4,768,692		308,326,160
(ग)	अन्य इलेक्ट्रानिक उपस्कर	9,285,937	18,247,419		27,533,356

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में.)

मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
01.04.2023 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2024 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2024 को (6)-(10)	31.03.2023 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
			-		
950,215,109		89,250,875	1,039,465,984	2,254,988,835	2,157,560,416
11,031,561		1,604,043	12,635,605	4,713,967	4,278,951
132,176,758		15,489,071	147,665,829	321,358,006	282,121,921
537,355,691		29,113,560	566,469,252	145,589,366	118,575,531
2,644,273,448	**(48,465,767)**	**277,218,253**	**2,873,025,934**	**3,079,917,437**	**3,299,151,085**
			-		
528,659,834		103,487,804	632,147,638	243,054,356	214,616,852
201,978,364		26,263,858	228,242,222	80,083,938	101,579,104
6,496,364		2,531,834	9,028,198	18,505,158	2,789,573

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.12.2024 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
XIV	वाहन तथा अन्य कार्यालय मशीनें				
(क)	वीएचएफ ट्रान्सरिसीवर				39,686,066
(ख)	"झेरॉक्स और फोटोकॉपी मशीन		505,085		11,701,751
(ग)	कार्यालय उपस्कर	8,856,010	595,975		9,451,984
(घ)	वाहन	4,088,849		603,812	3,485,037
XV.	पूंजीकृत पुर्जे				72,360,346
	योग		12,309,830,811	388,180,347	68,845,368,428
	प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य		6,825,131,378	12,309,830,811	27,767,639,576
	कुल योग	90,176,056,973	19,134,962,190	12,698,011,158	96,613,008,005

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3: 31 मार्च, 2024 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में.)

मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
01.04.2023 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2024 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2024 को (6)-(10)	31.03.2023 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
			-		
28,863,937		3,607,376	32,471,314	7,214,753	10,822,129
9,558,449		492,792	10,051,241	1,650,510	1,638,217
8,109,073		377,395	8,486,467	965,517	746,937
1,820,891	(603,812)	412,253	1,629,332	1,855,705	2,267,958
72,360,346			**72,360,346**	**-**	**-**
13,234,443,522	**(65,086,211)**	**1,631,547,053**	**14,800,904,364**	**54,044,464,064**	**43,689,274,442**
-	**-**	**-**	**-**	**27,767,639,576**	**33,252,339,009**
13,234,443,522	**(65,086,211)**	**1,631,547,053**	**14,800,904,364**	**81,812,103,641**	**76,941,613,451**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 4 निवेश

(राशि रुपयों में)

विवरण	पूंजीकृत आरक्षित निधि	विकास, ऋण की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय आरक्षित निधि	पूंजी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण की आरक्षित निधि	राजस्व आरक्षित निधि	सामान्य बीमा निधि	कल्याणकारी निधि	31/03/2024 को योग	31/03/2023 को योग
वर्तमान निवेश								
डिबेंचर या बाँड	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
लम्बी अवधि के निवेश /								
निर्दिष्ट निवेश							-	-
भारतीय निकर्षण निगम में निवेश	2,574,043,948						2,574,043,948	2,574,043,948
भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश	-						-	500,000,000
अनिर्दिष्ट निवेश								
डिबेंचर या बाँड	120,648,405		-	-	-	-	120,648,405	270,648,405
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड में हिस्सेदारी	759,061,516		-	-	-	-	759,061,516	759,061,516
भारतीय रेल कारपोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी	153,000,000	-	-	-	-	-	153,000,000	153,000,000
वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी	4,810,000						4,810,000	4,810,000
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट में निवेश	-						-	350,000,000
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण का निवेश	978,565,875						978,565,875	978,565,875
नागपुर एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड में शेयर	1,377,671,463						1,377,671,463	1,268,467,500
कुल लंबी अवधि के निवेश	**5,967,801,208**		-	-	-	-	**5,967,801,208**	**6,858,597,244**
कुल योग निवेश	**5,967,801,208**	-	-	-	-	-	**5,967,801,208**	**6,858,597,244**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 5 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं		
प्रारंभिक शेष	(4,330,861,637)	(3,471,404,522)
वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर प्रभार	(821,941,711)	(859,457,115)
वर्ष के अंत में शेष	**(5,152,803,348)**	**(4,330,861,637)**
43(ख) मदों पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां /		
प्रारंभिक शेष समायोजन	51,685,042	51,685,042
आस्थगित कर देयता (निवल)	3,194,289,245	3,109,781,206
वर्ष के अंत में शेष	**3,245,974,287**	**3,161,466,248**
वर्ष के अंत में कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (देयता)	**(1,906,829,062)**	**(1,169,395,389)**

नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयता के अभिकलन के लिए लिया गया।

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण		31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
वर्तमान परिसम्पत्तियां			
निवेशों पर प्रोद्त ब्याज		1,950,281,895	1,730,684,136
वस्तु सूचियां	172,740,298		
कम उपयोग होनेवाली / अप्रयुक्त मदों के लिए प्रावधान/	(73,725,345)		
		99,014,953	104,832,329
विविध देनदार			
सरकारी देयताएं			
छः माह से कम पुराने	45,379,087		332,205,697
छः माह से अधिक पुराने	2,415,011,169		2,275,999,775
गैर-सरकारी देयताएं			
छः माह से कम पुराने	174,358,755		159,476,562
छः माह से अधिक पुराने	5,066,216,385		5,420,164,818
कुल देयताएं	**7,700,965,392**		**8,187,846,856**
जोड़ें : प्रोद्त आय	227,388,732		241,497,246
	7,928,354,124		8,429,344,102
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	102,950,790		86,888,071
निवल विविध देनदार		**7,825,403,335**	**8,342,456,030**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
रोकड़ एवं बैंक शेष		
अग्रदाय रोकड़	551,000	486,000
अनुसूचित बैंकों के पास जमा शेष	743,278,573	290,005,756
राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा रसीदें	55,280,263,056	37,232,835,663
कुल रोकड़ एवं बैंक शेष	**56,024,092,629**	**37,523,327,420**
ऋण एवं अग्रिम		
ठेकेदारों को अग्रिम	3,522,438,898	2,121,864,543
कर्मचारियों को अग्रिम	15,107,459	34,239,001
सांविधिक जमा	62,133,026,744	56,133,136,938
विविध नामे शेष	2,696,890,046	3,399,091,119
अन्य प्राप्तियों	7,453,184	8,791,453
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड को ऋण	8,052,344,559	31,458,722,204
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिआ लिमिटेड को ऋण (डीसीएल)	640,808,137	
कुल ऋण एवं अग्रिम	**77,068,069,027**	**93,155,845,260**
एनएसएफटीपीएल को सौंपी जाने वाली इन्वेंटरी	**-**	**104,031,695**
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां	**142,966,861,838**	**140,961,176,871**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची -7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
वर्तमान देयताएं		
विविध लेनदार		
पूंजीगत कार्यों हेतु लेनदार	**4,901,600,439**	**4,311,119,436**
कर्मचारियों को देय राशि	897,396,752	484,343,037
व्यापारी ठेकेदारों आदि की जमा राशियां	1,997,975,087	2,327,175,063
विविध लेनदार एवं जमा शेष	874,745,333	1,060,269,800
सेवानिवृत्ति लाभ लेनदार	975,172,124	977,235,091
अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय	5,081,623,155	3,138,890,639
कुल विविध लेनदार	**14,728,512,892**	**12,299,033,067**
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आरक्षित में	559,180,160	438,897,094
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशियां	134,979,908	119,135,292
अग्रिम भुगतान एवं असमाप्त छूट	11,529,792,903	10,477,878,278
प्रोद्त व्यय	625,454,697	680,662,004
प्रोदभूत ब्याज किंतु ऋणों पर देय नहीं	(251,907,793)	394,124,855
प्रावधान :		
कराधान हेतु	56,135,767,038	50,123,445,284
कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	**83,461,779,806**	**74,533,175,873**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
आय		
अनुसूची - 8		
बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार		
बल्क कार्गो पर घाट भाड़ा	24,140,101	175,293,733
विविध बल्क आय	14,278,617	16,431,062
बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय	**38,418,718**	**191,724,794**
अनुसूची - 9		
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार		
कंटेनर प्रहस्तन प्रभार	107,220,196	922,967,818
कंटेनर भंडारण प्रभार	(140,497)	15,911,730
कं. व. स्था. की रायल्टी से आय	89,175,362	81,961,736
अमानक कार्गो पर घाट भाड़ा	8,981,378	64,061,994
विद्त एवं अनुवीक्षण प्रभार	-	61,484,112
विविध कंटेनर आय	**93,994,452**	**71,598,463**
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय	**299,230,890**	**1,217,985,853**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
अनुसूची - 10		
पत्तन और गोदी प्रभार		
पत्तन को देय राशियाँ		
पत्तन को देय राशियां - विदेशी कंटेनर जलयान	1,138,736	50,024,064
पत्तन को देय राशियां - ओएनजीसी के जलयान	4,870,528	4,905,524
पत्तन को देय राशियां - आपूर्ति जलयान	3,258,171	3,652,790
पत्तन को देय राशियां - तटवर्ती कंटेनर जलयान	11,875	33,609
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईसीटी जलयान	303,285,027	324,084,979
पत्तन को देय राशियां - बीपीसीएल जलयान	96,862,995	102,894,560
पत्तन को देय राशियां - उथला जल घाट	30,331,810	33,078,534
पत्तन को देयताएं - जीटीआईपीएल जलयान	296,344,055	343,542,189
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईजीटी	396,908,128	383,502,830
पत्तन को देय राशियां - बीएम्सीटीपीएल जलयान	598,461,348	483,146,218
पत्तन को देय राशियां - एनएसडीटीपीएल जलयान	4,084,524	
पत्तन को देय राशियां - एनएसएफटीपीएल जलयान	191,359,741	19,514,487
पत्तन बकाया से कुल आय	**1,926,916,938**	**1,748,379,783**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
आय		
पाइलटेज आय		
पाइलटेज - बल्क जलयान	-	-
पाइलटेज -विदेशी कंटेनर जलयान	2,393,138	101,306,685
पाइलटेज - ओएनजीसी जलयान	14,958,526	10,730,976
पाइलटेज - आपूर्ति जलयान	4,139,355	4,640,695
पाइलटेज - तटवर्ती कंटेनर जलयान	-	74,247
पाइलटेज - एनएसआईसीटी जलयान	622,610,426	669,114,570
पाइलटेज - बीपीसीएल जलयान	198,651,763	209,617,712
पाइलटेज - उथला जल घाट - ब.ट.	63,410,335	68,616,195
पाइलटेज - जीटीआईपीएल जलयान	574,435,202	683,546,535
पाइलटेज- एनएसआईजीटी जलयान	730,580,030	701,371,079
पाइलटेज- बीएम्सीटीपीएल जलयान	1,155,840,769	933,186,629
पाइलटेज- एनएसडीटीपीएल जलयान	9,082,358	
पाइलटेज- एनएसएफटीपीएल जलयान	392,078,042	38,894,511
पाइलटेज से कुल आय	**3,768,179,944**	**3,421,099,833**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
आय		
घाट किराया		
घाट किराया - विदेशी कंटेनर जलयान	7,173,355	71,611,940
घाट किराया - ओएनजीसी जलयान/आपूर्ति जलयान	334,148	194,977
घाट किराया - तटवर्ती कंटेनर जलयान	298,597	12,150,601
घाट किराया - एनएसआईसीटी जलयान	196,547,611	189,665,800
घाट किराया - बीपीसीएल जलयान	135,229,644	127,997,702
घाट किराया - उथला जल घाट	24,250,399	30,665,417
घाट किराया - जीटीआईपीएल जलयान	277,015,897	331,278,219
घाट किराया - एनएसएफटीपीएल जलयान	138,877,311	22,838,733
घाट किराया से कुल आय	**779,726,962**	**786,403,388**
विविध आय - मरीन	43,392,336	24,876,030
पत्तन एवं गोदी प्रभार से कुल आय	**6,518,216,181**	**5,980,759,033**
आय		
अनुसूची - 11		
सम्पदा किराया		
भूमि किराया	224,030,779	913,488,024
भवन किराया	40,849,801	35,500,331
नगरक्षेत्र से किराया	26,272,435	25,023,235
विद्त प्रभारों की वसूली	58,400,538	83,699,256
जल प्रभारों की वसूली	56,572,773	29,296,118
वि. आ. क्षेत्र सम्पदा	172,481,919	152,341,990
विविध आय - संपदा	93,533,107	88,923,368
सम्पदा किराये से कुल आय	**672,141,351**	**1,328,272,323**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
आय		
अनुसूची - 12		
सम्पदा किराया		
भूमि किराया		
भवन किराया	5,135,347,350	4,697,895,910
नगरक्षेत्र से किराया	143,753,933	280,983,149
विद्त प्रभारों की वसूली	**5,279,101,283**	**4,978,879,059**
जल प्रभारों की वसूली		
वि. आ. क्षेत्र सम्पदा	248,934,101	240,899,927
विविध आय - संपदा	44,454	19,525,796
सम्पदा किराये से कुल आय	**248,978,554**	**260,425,724**
जीटीआईपीएल से प्राप्त आय		
पट्टे के किराए जीटीआईपीएल	625,759,949	684,031,675
राजस्व शेयर जीटीआईपीएल	2,482,647,570	2,619,827,751
अन्य प्रभार जीटीआईपीएल	289,263,249	599,802,610
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से कुल आय	**3,397,670,768**	**3,903,662,036**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
बीएमसीटी से प्राप्त आय		
पट्टे के किराए बीएमसीटी	534,612,321	434,849,283
राजस्व शेयर बीएमसीटी	4,879,910,830	3,944,996,821
अन्य प्रभार बीएमसीटी	196,923,786	466,861,383
बीएमसीटी से कुल आय	**5,611,446,938**	**4,846,707,487**
एनएसआईजीटी से आय		
पट्टे के किराए एनएसआईजीटी	52,099,388	46,697,985
राजस्व शेयर एनएसआईजीटी	2,246,932,293	2,226,889,409
अन्य प्रभार एनएसआईजीटी	185,449,399	248,675,008
एनएसआईजीटी से कुल आय	**2,484,481,080**	**2,522,262,402**
एनएसएफटीपीएल से आय		
राजस्व शेयर एनएसएफटीपीएल	2,211,694,105	179,118,922
अन्य प्रभार एनएसएफटीपीएल	118,071,423	52,531,324
एनएसएफटीपीएल से कुल आय	**2,329,765,528**	**231,650,246**
एनएसडीटीपीएल से आय		
राजस्व शेयर एनएसडीटीपीएल	297,360,575	
अन्य प्रभार एनएसडीटीपीएल	46,080,194	
एनएसडीटीपीएल से कुल आय	**343,440,770**	**-**
बीओटी ठेकों से प्राप्त कुल आय	**19,694,884,921**	**16,743,586,954**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
व्यय		
अनुसूची		
बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय		
गोदी में सामान्य सुविधाओं पर व्यय		2,963,375
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	28,380,223	27,998,519
मूल्यह्रास बल्क	38,283,152	38,283,152
बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय	**66,663,374**	**69,245,046**
व्यय		
अनुसूची -14		
कंटेनर प्रहस्तन और भंड़ारण पर व्यय		
क्रे क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण	94,434,285	262,831,990
यार्ड क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण	95,473,434	206,493,010
ट्रैक्टर ट्रेलरों का प्रचालन और अनुरक्षण	4,995,725	5,247,170
अन्य कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों का किराया	56,135,699	220,418,052
सुविधा प्रबंधन	15,110,703	19,032,656
अन्य कंटेनर प्रहस्तन व्यय	(53,073,538)	379,073,404
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	840,850,626	1,009,970,728
मूल्यह्रास	500,371,209	458,427,113
कंटेनर प्रहस्तन और भंड़ारण पर कुल व्यय	**1,554,298,144**	**2,561,494,122**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
व्यय		
अनुसूची - 15		
पत्तन और गोदी व्यय		
घाटायन और नौबंध	2,931	
प्रदूषण नियंत्रण	414,555	299,998
पाइलटेज और नौकर्षण	1,170,957,312	1,276,550,795
निर्जल गोदी व्यय	1,437,436	269,729
नौवहन को जल आपूर्ति	6,738,566	4,519,004
अग्निशमन	129,634,369	130,289,996
पंकोत्सरण और समुद्री सर्वेक्षण	1,926,326,325	2,396,221,178
नौचालन सहायता का प्रचालन और अनुरक्षण	9,462,828	11,067,879
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	235,697,081	269,648,286
नए लघु कार्य	263,687	49,383
मूल्यह्रास - मरीन	256,795,233	171,594,794
पत्तन और गोदी पर कुल व्यय	**3,737,730,323**	**4,260,511,042**
व्यय		
अनुसूची -16		
रेल कार्य /		
मूल्यह्रास - रेल	12,141,823	12,141,823
रेल गतिविधियों पर कुल व्यय	**12,141,823**	**12,141,823**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
व्यय		
अनुसूची -17		
किराए योग्य भूमि एवं भवन		
सम्पदा अनुरक्षण	452,212,261	492,675,473
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	2,307,660	1,885,379
नए लघु कार्य - सम्पदा	16,381,902	2,868,999
वि. आ. क्षेत्र व्यय	200,345,429	46,432,601
मूल्यह्रास - सम्पदा	338,931,503	313,820,596
किराए योग्य भूमि एवं भवनों पर कुल व्यय	**1,010,178,755**	**857,683,049**
व्यय		
अनुसूची -18		
बीओटी ठेकों पर व्यय		
एनएसआईसीटी पर व्यय	96,496,772	209,017,306
बीपीसीएल पर व्यय	9,920,405	11,361,966
जीटीआईपीएल पर व्यय	172,470,091	433,224,862
एनएसआईजीटी पर व्यय	73,439,963	179,888,785
बीएमसीटीपीएल पर व्यय	117,497,948	256,751,707
एनएसएफटीपीएल पर व्यय	58,031,057	11,829,397
एनएसडीटीपीएल पर व्यय	38,356,121	
मूल्यह्रास - बीओटी	352,008,763	217,539,152
बीओटी ठेकों पर कुल व्यय	**918,221,119**	**1,319,613,175**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
व्यय		
अनुसूची -19		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन और सचिवीय व्यय	744,884,495	915,526,492
लेखाकरण और लेखा परीक्षा	282,260,214	99,854,567
श्रम और कल्याण व्यय	200,128,862	307,260,622
चिकित्सा व्यय	337,477,270	390,271,337
भंडार देख-रेख	66,109,637	92,726,031
भवन एवं सड़कों पर व्यय	158,706,116	262,248,926
पत्तन प्रबंधन कम्प्यूटर केन्द्र	108,647,104	404,368,892
अभियांत्रिकी और कार्यशाला	252,859,669	437,462,767
मूल्यह्रास - प्रशासन	133,015,371	106,367,062
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन पर कुल व्यय	**2,284,088,737**	**3,016,086,695**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
आय		
अनुसूची - 20		
वित्त और विविध आय		
निवेशों एवं ऋणों से ब्याज आय	4,135,654,090	3,037,798,846
आयकर वापसी पर ब्याज	-	137,116,707
कर्मचारी अग्रिम/देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज	3,301,654	307,610
बेकार माल की बिक्री	30,108,561	10,110,182
लाँच पास से आय	4,677,645	3,390,170
विदेशी मुद्रा में स्फीति - अपस्फीति से लाभ	264,607	216,924
विविध आय	94,963,275	65,858,292
कुल वित्त और विविध आय	**4,268,969,833**	**3,254,798,731**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
व्यय		
अनुसूची -21		
वित्त और विविध व्यय		
सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण प्रति एक्चुरियल मूल्यांकन के रूप में	181,811,307	14,860,008
ऋणों पर ब्याज		
कर मुक्त बंधपत्रों पर ब्याज	-	28,440,430
कर मुक्त बंधपत्रों पर ब्याज	705,127,515	749,009,760
ऋणों पर कुल ब्याज	**705,127,515**	**777,450,190**
बैंक प्रभार (बंधपत्र निर्गम के व्यय सहित)	2,156,256	4,860,096
लाँचों को किराए पर लेने से हुआ व्यय	23,357,157	32,784,745
अतिथि गृह व्यय	45,212,649	29,380,305
विविध व्यय	252,418,616	80,947,659
कुल वित्त और विविध व्यय	**1,210,083,501**	**940,283,002**

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.3.2023 के अनुसार
निवल आय		
अनुसूची - 22		
निवल पूर्व अवधि प्रभार		
पूर्व अवधि आय	-	(255,676,644)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास		
पूर्व अवधि व्यय	52,700,940	21,461,256
निवल पूर्व अवधि प्रभार	**52,700,940**	**(234,215,388)**
निवल व्यय		
अनुसूची - 23		
कराधान के लिए प्रावधान		
वर्तमान कर		
आय कर के लिए प्रावधान	6,012,321,754	4,672,873,990
वर्तमान कर	**6,012,321,754**	**4,672,873,990**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर क्रेडिट - 43 ख मद	-	-
आस्थगित कर प्रभार - मूल्यह्रास	737,433,672	130,017,922
आस्थगित कर	**737,433,672**	**130,017,922**
कराधान के लिए कुल प्रावधान	**6,749,755,426**	**4,802,891,912**
अनुसूची - 26		
असाधारण मदें		
एसवीआरएस योजना के लिए अनुग्रह राशि	431,749,880	132,932,685
कुल असाधारण मदें	**431,749,880**	**132,932,685**
नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता के अभिकलन के लिए लिया गया		

नकदी आवागमन विवरण 2023-24

नकदी आवागमन विवरण

(करोड़ रूपयों में)

	विवरण	31.12.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
A.	**प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी आवागमन**		
	कर पूर्व निवल अधिशेष	2,064.58	1,591.43
	के लिए समायोजन		
	पूर्व अवधि सहित मूल्यह्रास	163.15	131.82
	शेडों का निर्माण	2.13	2.13
	परिसम्पत्तियों की विक्री पर लाभ/हानि	0.21	1.12
	ब्याज/लाभांश आय	(413.57)	(317.49)
	ब्याज व्यय	70.51	77.75
	अग्रिम कर का भुगतान किया गया	(354.34)	(128.22)
	सीएसआर फंड से की गई भुगतान	(1.43)	(1.34)
	असाधारण मद	(43.17)	(13.29)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ	**1,488.07**	**1,343.90**
	कार्यशील पूंजी समायोजन		
	विविध देनदार	51.71	(47.61)
	वस्तुसूचियाँ	10.98	7.80
	सीएसआर	(12.03)	(9.63)
	अग्रिम/नामे शेष	1,963.13	(353.65)
	लेनदार और देय	356.23	467.84
	कुल कार्यशील पूंजी समायोजन	**2,370.02**	**64.75**
	प्रचालनीय गतिविधियों से निवल नकदी आवागमन - क	**3,858.09**	**1,408.65**

नकदी आवागमन विवरण

(करोड़ रूपयों में)

	विवरण	31.12.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
B	**निवेशीय गतिविधियों से नकदी आवागमन**		
	नियत परिसम्पत्तियों (निवल) की खरीद/बिक्री	(650.20)	(724.43)
	प्राप्त ब्याज/लाभांश	391.61	301.68
	निवेशों में परिवर्तन	89.08	(73.91)
	निवेशीय गतिविधियों से कुल नकदी आवागमन - ख	**(169.52)**	**(496.66)**
C	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी आवागमन**		
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(1,703.38)	(304.69)
	ऋणों पर ब्याज	(135.12)	(57.64)
	"वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी का आवागमन - ग	**(1,838.50)**	**(362.32)**
D	**कैश एवं बैंक शेष (क+ख+ग) में वृद्धि/(कमी)**	**1,850.08**	**549.66**
E	सावधि जमा रसीद सहित कैश एवं बैंक का आरंभिक शेष	3,752.33	3,202.67
	सावधि जमा रसीद सहित कैश एवं बैंक का अंत शेष	5,602.41	3,752.33
	वृद्धि/(कमी)	**1,850.08**	**549.67**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2023-24

अनुसूची - 24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.राजस्व मान्यता :

पत्तन की आय के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :

क) जलयान संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से पाइलटेज, पत्तन देय और घाट किराया प्रभार शामिल हैं,

ख) कार्गो संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर और बल्क दोनों के लिए प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क शामिल हैं,

ग) कंटेनर और बल्क दोनों प्रकार के कार्गो पर विराम समय प्रभार,

घ) भूमि और इमारतों के लिए सम्पदा संबंधी प्रभार, यथा - किराया, जल, विद्त और विशेष आर्थिक क्षेत्र से आय ।

च) बी.ओ.टी. परियोजनाओं / कंटेनर वहन स्थानकों एवं न्यूनतम निश्चित व्यवसाय से प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व,

छ) निवेशों पर ब्याज/लाभांश आय,

ज) बी ओ टी प्रचालकों को दी गई सेवाऐं,

झ) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) संबंधी आय ।

उपर्युक्त (क) एवं (ख) में बताए गए जलयान संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों को सेवा पूरी तरह देने के बाद तत्काल मान्य किया जाता है । जलयान और संबंधित कार्गो के मामले में, यदि सेवा लेखाकरण अवधि के अंत तक पूरी नहीं होती है तो राजस्व को अगली लेखाकरण अवधि में स्वीकार किया जाता है । यह लेखाकरण मानक-9 (राजस्व मान्यता) के अंतर्गत पूर्ण ठेका विधि के अनुसार है । बिंदु (ग) में दर्शाई गई विराम समय आय को कार्गो के पत्तन परिसर में रहने की अवधि में से नि:शुल्क अवधि कम करके ही लेखे में शामिल किया जाता है ।

सम्पदा संबंधी प्रभारों के मामले में किराए हर महीने या उसके अंश में देय होते हैं । इसलिए, किराए की आय महीने के आरंभ में ही लेखे में शामिल कर ली जाती है । जल प्रभारों के मामले में, जहाँ प्रभार निश्चित हैं, वहाँ महीने के आरंभ में और जहाँ मीटर रीडिंग के आधार पर खपत का निर्धारण किया जाता है, वहाँ राजस्व को आने वाले महीने की बिलिंग में लिया जाता है । विद्त प्रभारों के मामले में, आय बिलिंग के आधार पर अर्थात, अगले महीने लेखे में ली जाती है । विशेष आर्थिक क्षेत्र की आय को पत्तन और पट्टा धारक के बीच पट्टा करार होने के बाद मान्य किया जाता है ।

सभी अग्रिम पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान समान रूप से लेखे में लिया जाता है ।

बंधपत्र, सावधि जमा के ब्याज को उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आय को पत्तन और पट्टेदार के बीच पट्टा समझौते के निष्पादन के बाद लेखे में लिया जाता है । हालाँकि, लेखांकन उद्देश्य के लिए, पत्तन पट्टे की अवधि के दौरान आस्थगित आधार पर एसईजेड आय को स्वीकार कर रहा है और पूरे वर्ष की आय को पट्टे के पहले वर्ष के लेखे में लिया रहा है, भले ही लीज समझौता किसी भी महीने में किया गया हो ।

न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मई, 2012 में जनेप न्यास के विरुद्ध सामान्य विषयों के मामले में एलसीबीयूए के पक्ष में निर्णय दिया । पत्तन ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है, और मामला मा. उच्च न्यायालय में लंबित है । मार्च, 2009 में तैयार बीजक में न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय के लिए लगाए गए हर्जाने पर आपत्ति की गई है । वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि टैंक फार्म प्रचालकों के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय में कमी के संबंध में घाटायन संबंधी बीजक न उगाहे जाएँ । किंतु न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और उसे लेखों पर टिप्पणियों के माध्यम से वार्षिक लेखों में जाहिर किया गया है ।

जनेप प्राधिकरण ने मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से बिलों की उगाही आरंभ कर दी है।

संरक्षी और सावधान रहने की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों के अग्रिमों और उन पर ब्याज सहित सभी प्रकार की आय को नकद रूप से लेखे में लिया जाता है ।

2. नियत परिसम्पत्तियाँ

क) नियत परिसम्पत्तियों को उनके ऐतिहासिक मूल्य पर वास्तविक लागत, जिसमें निर्माण लागत, आयात कर सहित क्रय मूल्य, अन्य कर और परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए चालू हालत में लाने की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी है, के आधार पर बहियों में दर्ज किया जाता है ।

ख) प्रशासन और अन्य सामान्य उपरिव्यय जब तक परियोजना/परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट रूप से आरोप्य और सीधे सम्बंधित न हों, तब तक नियत परिसम्पत्तियों की लागत से अलग रखे जाते हैं ।

ग) नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ/(हानि) को वित्त वर्ष 2022-23 से पूंजी आरक्षित में अंतरित किया जाता है ।

घ) परिसंपत्तियों का पूंजीकरण परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहे विभाग की ओर से कार्य समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होने या परिसंपत्ति को खरीदने पर किया जाता है ।

3. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सरकार द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/मार्गदर्शी निर्देशों में दी गई परिसम्पत्तियों की आर्थिक आयु के आधार पर सीधे-सीधे लगाया जाता है।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित रूप से किया जाता है :-

उपयोग में लाई गई परिसम्पत्तियाँ

1.	30 दिनों तक	:	शून्य
2.	30 दिनों से अधिक पर 180 दिनों तक	:	आधा (50%)
3.	180 दिनों से अधिक	:	पूरा मूल्यह्रास (100%)

4. निवेश

पत्तन के निवेश मुख्यत: निम्नलिखित हैं :-

क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्र/अन्य बंधपत्र,

ख) विशेष उद्देश्य कम्पनी में इक्विटी/अधीनस्थ ऋण,

ग) बैंकों में सावधि जमा,

घ) म्यूचुअल फंड ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्रों में निवेश समान मूल्य पर किया गया है जो सामान्यत: दीर्घ अवधि निवेश है और मियाद पूरी होने पर मूल्य के समकक्ष भुनाया जाता है । इसलिए, उनका मूल्यांकन लागत के समकक्ष (मूल्य समकक्ष) पर किया जाता है ।

5. सेवा निवृत्ति लाभ

क) कर्मचारियों को पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के देय लाभों का प्रावधान तीन वर्ष में एक बार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित रूप से किया जाता है । इस उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्टों में निधि का सृजन किया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति निधि और उपदान निधि हेतु अंशदान किया जाता है और उनका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है । छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान भी 31 मार्च, 2004 से किया गया है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित छुट्टी नकदीकरण निधि में उसके लिए वार्षिक योगदान किया जाता है ।

ख) किया जाने वाला वार्षिक योगदान उस वित्तीय वर्ष में संवितरित राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ग) सभी तीनों अधिवर्षिता निधियों की देयता का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन, प्रत्येक निधि में से किए गए निवेश की राशि तथा यदि कोई कमी हो तो उसे पत्तन के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा ।

घ) अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

च) सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि के लिए वसूली गई राशियों को इसके लिए बनाए गए भविष्य निधि न्यास में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।

6. निवेश पर ब्याज

वर्ष 2002-03 तक, निवेश पर अर्जित ब्याज को राजस्व खाते में जमा किया जाता था । लेकिन लेखा परीक्षा के आग्रह एवं बिलिमोरिया रिपोर्ट की आवश्यकताओं के अनुसार, निम्नलिखित आरक्षित निधियों के निवेशों पर अर्जित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2003-04 से सीधे आरक्षित निधियों में जमा किया गया :

क) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास, और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि ।

ख) विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि ।

यह लेखाकरण नीतियों में एक बदलाव था एवं इसका प्रभाव वर्ष 2003-04 के लेखों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट हुआ।

पत्तन बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा निर्धारित पद्धति से सहमत नहीं था, इसलिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की सलाह ली गई । विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति ने कहा कि पत्तन द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति सही थी । इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से पत्तन इन दो निधियों के ब्याज को राजस्व लेखों में जमा कर रहा है एवं पूर्व पद्धति के अनुसार लाभ-रेखा से नीचे विनियोग कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 से कर्मचारी निधि निवेश पर ब्याज की आय को कर्मचारी कल्याण निधि में अंतरित किया गया है।

7. वस्तुसूचियाँ

वस्तुसूचियों में मुख्यतया अनुरक्षण पुर्जे, औजार और उपभोग्य वस्तुएं हैं और उनका मूल्य चल औसत पद्धति से नियत होता है । कुल वस्तुसूची में उप-भंडार की वस्तुसूचियाँ भी शामिल हैं ।

8. कम खपत वाली वस्तुसूची के लिए प्रावधान

बिलिमोरिया रिपोर्ट में सुझाई गई लेखांकन नीति, जो सभी महा पत्तनों के लिए लेखांकन नीति के सामान्य प्रारूप का हिस्सा है, नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है :

2 वर्ष से कम वाले पुर्जों की वस्तुसूची पर लागत पर विचार किया जाएगा ।

2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम वाली वस्तुसूची के लिए लागत के 25% मूल्यह्रास ।

4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम वाली वस्तुसूची के लिए लागत के 50% मूल्यह्रास ।

6 वर्ष से अधिक वाली वस्तुसूची के लिए लागत के 90% मूल्यह्रास ।

6 वर्षों के बाद शेष वस्तुसूची को अवशिष्ट मूल्य पर आगे बढ़ाया जाएगा, उपयोग के समय चार्ज ऑफ किया जाएगा या विशिष्ट अनुमोदनों द्वारा बट्टे खाते में डाला जाएगा ।

9. उधार लागत

उधार लागत जो सीधे ही परिसम्पत्तियों के अर्जन और संरचना के लिए होती है, परिसम्पत्ति के आरंभ होने की तिथि को पूंजीकृत की जाती है । पूंजीकरण के बाद ऋणों पर ब्याज उपार्जित आधार पर राजस्व में प्रभारित होता है ।

10.विदेशी मुद्रा का लेन - देन

कलपुर्जों और बड़े उपस्करों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है । वित्त वर्ष 2015-16 तक पत्तन ने कोई विदेशी मुद्रा ऋण नहीं लिया था, और न इस संबंध में कोई वायदा करार किया था । तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पत्तन ने वर्तमान 4 लेन की सड़कों को 6/8 लेन का बनाकर ज ने पत्तन के सड़क सम्पर्क को सुधारने की सड़क विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित विशेष उद्देश्य कम्पनी - मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (एमजेपीआरसीएल) को देने हेतु 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया था ।

साथ ही, पत्तन को जलयान संबंधी प्रभारों एवं कंटेनरों के विराम समय प्रभारों के रूप में कुछ आमदनियाँ होती हैं, जिनकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है लेकिन उसे जलयान के पत्तन में प्रवेश की तिथि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर रुपयों में प्राप्त किया जाता है । निर्यात कंटेनरों के लिए विनिमय दर, पत्तन क्षेत्र में कंटेनरों के आगमन की तिथि के मौजूदा दर के अनुसार होती है।

11. पत्तन परिसंपत्तियों का बीमा

पत्तन की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए पत्तन सभी खतरों से निपटने के लिए इन परिसंपत्तियों का वर्ष 2006 से इनका बीमा करवा रहा है जिसमें मानव नियंत्रण से परे प्रकृति के सभी संकट शामिल हैं जैसे तूफान, चक्रवात, भूकंप, सूनामी, बाढ़, सैलाब, साथ ही, आग, आतंकवाद, बीमा देयताएँ और हल (पेटा या जहाज का ढ़ाँचा) आदि । बीमे में बीमाकृत जोखिम, चैनल अवरोध आदि के कारण पत्तन की व्यापारिक व्यवधान हानि शामिल हैं । यह मंत्रालय और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त निदेशों के अनुरूप है।

तदनुसार, पत्तन ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीमाकर्ता के माध्यम से व्यापक पत्तन पैकेज नीति के नवीकरण को अंतिम रूप दिया, जिसकी अवधि 01.02.2024 से 31.01.2025 तक होगी ।

12. आय पर करों का लेखाकरण (लेखाकरण मानक - 22)

पत्तन ने वित्तीय विवरण में लेखाकरण मानक-22 को अपनाया है जो कि अब अनिवार्य हो चुका है । इसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में आस्थगित कराधान को सम्मिलित किया गया है । तदनुसार, समय में अन्तर - मुख्य रूप से मूल्यह्रास एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लेखे पर अग्रिम रूप से प्राप्त आय के परिणामस्वरूप होने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, प्रभारों एवं क्रेडिटों को लेखों में मान्यता दी गई है।

13.विवादित आय के संबंध में लेखाकरण नीतियों में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी परिवर्तन

मंडल की 29 मार्च, 2011 को हुई 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का संदर्भ लें, जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया है :

''नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से निपटने तथा वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण को पेश करने, 'कमी एवं व्यवसाय पर अर्थदण्ड' से जनेप न्यास को होने वाली आय के लिए लेखाकरण की नीति में परिवर्तन को अनुमोदन देने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9 की आवश्यकताओं तथा पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में संकल्प किया जाता है कि 'बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज' तथा 'जनेप प्राधिकरण की अन्य किसी प्रकार की आय' जो संबंधित पत्तन उपभोक्ताओं द्वारा विवादित है, ऐसी विवादित आय को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाएगी जिस वर्ष अंतिम वसूली की संभावना अविवेकपूर्ण नहीं होगी।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी होगा ।''

उपर्युक्त के अनुपालन में, वर्ष 2023-24 की न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय की आय को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

पत्तनों की गतिविधियों से समाज और पर्यावरण पर होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए पोत-परिवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 जून, 2023 के परिपत्र सं. पीडी-12019/1/2020-पीडी.VI (IV) द्वारा सभी पत्तनों को निर्देश दिया कि यदि पिछले वित्तीय वर्ष का निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो वे निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए 0.5% से 2.0% तक की राशि उपलब्ध करवाएँ । मण्डल के संकल्प संख्या 89 / 15.01.2016 के अनुसार पोत-परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व निधि (सीएसआर फंड) का सृजन करने का संकल्प किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से निवल लाभ का 2% निगमित सामाजिक दायित्व निधि में अंतरित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से निवल लाभ का 1% निगमित सामाजिक दायित्व निधि में अंतरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, जनेप प्राधिकरण अपनी निगमित सामाजिक दायित्व को वर्तमान देयताओं के रूप में मान्यता देता है ।

15. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

पत्तन ने तीन साल से अधिक पुराने देनदारों (सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, देनदारों, बीओटी/पीपीपी प्रचालक और देनदार जो कानूनी विवाद/न्यायाधीन हैं, को छोड़कर) के 10% अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधान किया है ।

तीन साल से अधिक पुराने देनदारों (सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, बीओटी/पीपीपी प्रचालक और देनदार जो कानूनी विवाद/न्यायाधीन हैं, को छोड़कर) के 10% अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधान किया गया है ।

तीन वर्ष से अधिक पुराने ऋणों पर फर्मवार विश्लेषण और समीक्षा की जानी है और जहाँ भी आवश्यक समझा जाएगा, वहाँ देय बकाया के 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा ।

ऐसे देनदार जिनके लिए पिछले वर्ष में प्रावधान किया गया था पर उनका बकाया आगे के वर्षों में वसूल नहीं किया जा सका, उनके लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा ।

16. लेखाकरण नीतियाँ और वार्षिक विवरणों का प्रारूप :

केंद्र सरकार ने 3 नवम्बर, 2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 लागू किया है । सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण (लेखा एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2021 भी अधिसूचित किया है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44(1) के अनुसार, मंडल भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगा । भारतीय पत्तन संघ की दि. 31 जनवरी, 2023 को हुई 195वीं सर्वसाधारण बैठक के अनुसार महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और महापत्तन प्राधिकण (लेखा एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2021 के अधीन महापत्तनों के लिए वार्षिक लेखों के साझा फ्रेमवर्क के तैयार करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), लेखाकरण अनुसंधान फाउन्डेशन को नियोजित करने की वित्त एवं निवेश पर विभागीय स्थायी समिति की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है और तदनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) को 17 फरवरी, 2023 को कार्य आदेश जारी किया गया है । भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ उक्त विषय पर विचार विमर्श के लिए पहली प्रारम्भिक बैठक दि. 13 अप्रैल, 2023 को और दूसरी बैठक दि.14 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

चूँकि, उक्त प्रारूप अभी प्रतीक्षित है इसलिए पत्तन ने वर्तमान लेखाकरण नीतियों का पालन किया है और 3 नवम्बर, 2021 से पहले लागू वार्षिक विवरण के प्रारूप में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया है ।

लेखों पर टिप्पणियाँ
2023-24

अनुसूची - 25

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

1. क्षमता में वृद्धि

ज. ने. पत्तन प्राधिकरण में चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास

मेसर्स भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि. (बीएमसीटीपीएल) को एक छूट करार के माध्यम से दि. 06 मई, 2014 को डीबीएफओटी आधार पर चौथे कंटेनर टर्मिनल के विकास का कार्य सौंपा गया था । कार्य सौंपने की तारीख 22 दिसंबर, 2014 थी । बीएमसीटी भारतीय पत्तन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें अनुमानित निवेश रु.7,915 करोड़ है, जो आठ वर्षों तथा दो चरणों में (चरण-I रु.4719 करोड़ तथा चरण-II रु.3196 करोड़) पूरा होगा।

इस परियोजना में दो चरण हैं, प्रत्येक चरण में 1 कि.मी. के घाट का निर्माण, घाट पर 16.5 मी. की गहराई, 12 घाट क्रेनें, 46 आरटीजी यार्ड क्रेनें तथा रेल यार्ड के लिए 4 आरएमजी क्रेनें शामिल हैं जिससे क्षमता में 2.4 मिलियन टीईयू (कुल 4.8 मिलियन टीईयू) की वृद्धि होगी ।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का कार्य दि.22 दिसम्बर, 2017 को पूरा हो चुका है तथा इस पर प्रचालन भी आरंभ हो चुका है । दूसरे चरण के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त हो गई है । कोविड 19 महामारी के कारण कार्य आरंभ होने में विलंब हुआ है । संशोधित विन्यास (ले आउट) के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति में संशोधन प्राप्त हुआ है । कार्य के आरंभ के लिए विस्तार दे दिया गया है और पर्यावरण संबंधी अनुमति में संशोधन प्राप्त होने के बाद चरण-II का कार्य 17 अप्रैल, 2022 को आरंभ हुआ । कार्य जारी है और अप्रैल, 2025 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

2. पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए 'सागरमाला कार्यक्रम' के तहत अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा पोत-परिवहन मंत्रालय ने निम्नलिखित परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया है :

(क)तटीय घाट :

जनेप प्राधिकरण ने 2.5 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की एक 'तटीय घाट' की परियोजना शुरू की है । रु.143.32 करोड़ की लागत पर दि.31.03.2017 को इसका कार्य सौंपा गया था तथा मार्च, 2021 में कार्य पूरा हो गया । तटीय घाट को प्रचालनीय बनाने के कार्य को उथले घाट को प्रचालनीय बनाने के कार्य के साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता (पीपीपी) आधार पर जोड़ा गया है । जनेप प्राधिकरण और मेसर्स एन. एस. जी. डी. पी. एल. के बीच 15 नवम्बर, 2022 को छूट करार पर हस्ताक्षर किए गए और पूर्ववर्ती शर्तों के पूर्ण किए जाने पर मई, 2023 में छूट प्रदान की गई ।

(ख) अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट :

4.5 मीट्रिक टन की क्षमता के अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट का विकास रु. 309.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है । पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त होने के बाद 17 जनवरी, 2020 को यह कार्य मे. आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया प्रा. लि. को रु. 181 करोड़ की लागत पर सौंपा गया । यह कार्य मई, 2023 में पूरा हो गया । इस घाट को प्रचालनीय बनाने के कार्य को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता (पीपीपी) आधार पर पूर्ण किया गया तथा जनेप प्राधिकरण और मे. जे. एस. डब्लू. के बीच 08 अप्रैल, 2024 को छूट करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग)सड़क संपर्क तथा आधारिक संरचना संबंधी परियोजनाओं का विकास :

i) मुंबई जनेप प्राधिकरण पत्तन सड़क-संपर्क परियोजना

मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2000 में अनुमोदित पत्तन सड़क संपर्क कार्यक्रम के तहत जनेप प्राधिकरण के लिए 4 लेन के सड़क संपर्क का निर्माण करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरा किया गया था, जिसे चरण-I की परियोजना के रूप में जाना जाता है । चरण-I के दौरान, वर्ष 2000 में मुंबई-जेएनपीए पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (विशेष उद्देश्य कंपनी) का गठन किया गया था जिसके तीन हितधारक थे यथा i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ii) जेएनपीए तथा iii) सिडको । मुंबई-जेएनपीए पोर्ट रोड कंपनी (एमजेपीआरसीएल) ने मुंबई-जेएनपीए पत्तन सड़क संपर्क को 4 पैकेजों में 6/8 लेन का बनाने की परियोजना का कार्य हाथ में लिया है । उपर्युक्त सभी 4 पैकेजों का कार्य जुलाई, 2021 में पूरा हो चुका है । इस परियोजना की कुल लागत रु. 3189.39 करोड़ है।

ii) केंद्रीय पार्किंग प्लाज़ा :

केंद्रीय पार्किंग प्लाजा के निर्माण का कार्य रु. 163 करोड़ की लागत पर पूरा किया जा चुका है । पत्तन ने प्लाजा के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए एक एजेंसी नियुक्त की है और अब इस परियोजना से रायल्टी प्राप्त हो रही है।

iii) पत्तन की आंतरिक सड़कों का कंक्रीटीकरण :

यातायात के सुचारू आवागमन के लिए पत्तन की आंतरिक सड़कों का कंक्रीटीकरण किया गया है । इस परियोजना की कुल लागत रु. 210.98 करोड़ है।

iv) वर्तमान कंटेनर सड़क को चौड़ा बनाना

मौजूदा कंटेनर रोड को 'वाई' जंक्शन के पूर्व दिशा की ओर उत्तरी गेट परिसर तक चौड़ा बनाना (निकास मार्ग) : इस परियोजना की लागत 98.24 करोड़ है । वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद कार्य आरंभ हुआ और सितम्बर, 2023 में पूर्ण हो गया ।

3. पत्तनों का आधुनिकीकरण :-

(क) पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) का विकास :-

'मेक इन इंडिया' अभियान को सफल बनाने के लिए ज ने पत्तन 277.38 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित कर रहा है । मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए रु.476 करोड़ की लागत पर अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण आधारित ठेका दि. 06.10.2016 को सौंपा गया था और कार्य जून, 2021 में पूर्ण हो गया । अब तक 45 भूखंड (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 43 भूखंड और मुक्त व्यापार एवं भंडारण क्षेत्र के लिए 02 भूखंड) आबंटित किए जा चुके हैं । विशेष आर्थिक क्षेत्र जून, 2021 से प्रचालनीय है।

(ख) वाढवन पत्तन तथा शुष्क (ड्राय) पत्तनों का विकास :-

भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, ज ने पत्तन ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढवन में एक पत्तन विकसित करने की योजना बनाई है । इसे जनेप प्राधिकरण और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की क्रमशः 74% और 26% हिस्सेदारी से विकसित करने का प्रस्ताव है । इस संबंध में भारत सरकार का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है । पर्यावरण संबंधी अनुमति हेतु अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्य स्थल-अध्ययन/ सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत अभियांत्रिकी पूरी हो चुकी है । जनेप प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2024 तक वाढवण पत्तन परियोजना लिमिटेड पर कुल रु. 65.46 करोड़ का व्यय किया है जो पत्तन के लेखों में 'प्रगति पर कार्य' के रूप में दिखाया गया है । पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का अनुमोदन मिलने और परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने पर व्यय को वाढवण पत्तन परियोजना लि. के लेखों में अंतरित किया जाएगा । परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त हो गई है । प्रस्ताव पर पीआईबी द्वारा संस्तुत निवेश तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रतीक्षित है ।

(ग) पूंजी निकर्षण :

पत्तन ने 31 मार्च, 2024 तक पूंजी निकर्षण पर रु. 1702.75 करोड़ का व्यय किया था जिसे चालू पूंजीकृत कार्य के तहत प्रतिधारित किया गया है । यह विषय मध्यस्थता के अधीन है और उसका निर्णय आने तथा समापन प्रमाणपत्र मिलने के बाद व्यय का पूंजीकरण किया जाएगा।

4. मुंबई-जने पत्तन सड़क कंपनी लि. (एमजेपीआरसीएल) को आगे उधार देने के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण

जनेप प्राधिकरण ने मुंबई-जने पत्तन सड़क कंपनी लि., जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन से संम्बद्ध सड़कों को चौड़ा करने की सड़क-सम्पर्क परियोजना की एक विशेष उद्देश्य कंपनी है, को देने के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी वाणिज्यिक ऋण लिया है । मुंबई जनेप न्यास सड़क कंपनी लिमिटेड में जनेप प्राधिकरण की 51 प्रतिशत प्रदत्त (पेड अप) इक्विटि शेअर पूंजी है ।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण दो भागों में अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, हाँगकाँग से 350 मिलियन अमरिकी डालर और डीबीएस बैंक-सिंगापुर से 50 मिलियन अमरिकी डालर 6 माह की परिवर्तनीय ब्याज दर + विस्तार पर लिया गया है।

जेएनपीए ने सभी 8 ड्रॉडाउन के माध्यम से कुल 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की है, जो 2633.80 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर है, इस राशि को एमजेपीआरसीएल को उधार दिया गया है।

400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अवधिक लोन सुविधा करार के अनुसार, सितंबर 2023 और मार्च 2024 में क्रमशः 26.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 180.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूलधन चुकाया गया (बुलेट भुगतान)। करार के अनुसार, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अवधिक लोन सुविधा करार का पूरा भुगतान 28 मार्च 2024 को किया गया।

जेएनपीए को मूलधन चुकाने के लिए 30/03/2024 को एमजेपीआरसीएल से 2300 करोड़ रुपये मिले . मूलधन चुकाने के लिए अब तक प्राप्त कुल राशि 2652.91 करोड़ रुपये हो गई है (वित्त वर्ष 19-20 में 352.91 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे)। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से संबंधित अंतर की राशि एमजेपीआरसीएल से प्राप्त होगी।

5. भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड में 18 प्रतिशत प्रदत्त (पेड अप) इक्विटि शेयर पूँजी

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने 'भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश" विषय पर दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड में भारत सरकार के 100% शेयरों का चार महापत्तनों के संघ यथा-विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण (संघ प्रमुख), पारादीप पत्तन प्राधिकरण, जनेप प्राधिकरण और कांडला पत्तन न्यास (अब दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण) के पक्ष में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

तदनुसार, जनेप प्राधिकरण ने भारत सरकार से रु. 510/- प्रति शेयर की दर से 257,04,51,510/- रूपए का निवेश कर के भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड के 18 प्रतिशत (50,40,101 शेअरों) का अर्जन किया । जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष को भारतीय निकर्षण निगम के मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है । भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड में निवेश का बाजार मूल्य दिनांक 31.03.2024 को रु. 339,22,39,978.05/- है।

6. शुष्क पत्तन (ड्राय पोर्ट)

क) वर्धा में शुष्क पत्तन :

जेएनपीए और एनएचएलएमएल के बीच 22/10/2021 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, परिभारिकी (लॉजिस्टिक्स) की दक्षता में सुधार करने और माल के संचलन सम्बंधी परिभारिकी लागत को कम करने के लिए नागपुर के पास सिंदी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) स्थापित करने हेतु एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) का गठन किया गया है ।

समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 4.1. सी के अनुसार, जेएनपीटी द्वारा चारदीवारी के विकास, रेल संपर्क के विकास (रेल संपर्क के लिए आवश्यक भूमि की लागत सहित) और कुल लगभग 126.83 करोड़ रुपये की राशि के अन्य परामर्श प्रभार के संबंध में वहन की गई लागत एसपीवी में जेएनपीटी के इक्विटी योगदान का हिस्सा होगी । जेएनपीए ने अब तक इस परियोजना में 137.76 करोड़ रुपये खर्च किए हैं ।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी केवल 5,00,000 रुपये है, जो 10 रुपये प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है । जेएनपीए और एनएचएलएमएल द्वारा प्रारंभिक योगदान के आधार पर, शेयरधारिता का प्रतिशत 66.50% (एनएचएलएमएल) और 33.50% (जेएनपीए) बनता है । तदनुसार, जेएनपीए को धारा 4 (1 ई) के अनुसार एसपीवी के 50,000 शेयरों में से 16,750 इक्विटी शेयर पूंजी आबंटित की गई है । योगदान के आधार पर शेयरधारिता के प्रतिशत में कोई भी परिवर्तन एक शेयरधारक से दूसरे शेयरधारक को शेयर हस्तांतरित करके लागू किया जा सकता है ।

इस पृष्ठभूमि में, जेएनपीए ने वर्धा परियोजना पर होने वाली लागत के प्रमाणीकरण के लिए सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) की एक फर्म नियुक्त की है, जिसके आधार पर एसपीवी से जेएनपीए को शेयर जारी करने के लिए अपनी ओर से प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा ।

ख) ड्राई पोर्ट जालना-

जेएनपीए और एनएचएलएमएल के बीच हुये समझौता ज्ञापन के अनुसार, जालना का विकास किया जा रहा है । मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के लिए संचालक (ऑपरेटर) का चयन एनएचएलएमएल द्वारा किया जाएगा।

7. आयकर संबंधी मामले

वर्ष के दौरान, निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के अंदर फाइल कर दी गई है ।

विभिन्न वर्षों के लिए आयकर निर्धारण की स्थिति संक्षिप्त रूप से नीचे दी गई है :

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंम्बई ने दिनांक 30/09/2010 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप कर में छूट की पात्रता का गुणों के आधार पर परीक्षण करने का निदेश दिया था । तथापि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय आयकर अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेशों पर ध्यान न देते हुए नए सिरे से निर्धारण किया । जनेप प्राधिकरण ने उक्त आदेश के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की थी । मामले के जल्दी निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के पास जल्द सुनवाई याचिका भी दायर की गई थी । उसके बाद मामले को, विशेष रूप से पिछले निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित कर दिया गया । आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 21.12.2015 को धारा 12एए के तहत पंजीकरण के परिणाम स्वरूप पत्तन को धारा 11 के तहत कर में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया । आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों, जिनके कारण पत्तन को काफी राशि वापिस मिल सकती थी; को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल के पास इस मामले के संबंध में नियमित अनुसरण किया गया था । लेकिन विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने पत्तन का मामला अचानक ही विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित कर दिया और पत्तन को इस स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया । इससे व्यथित होकर पत्तन ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जो 06/05/2016 को पहली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई । मामले पर सुनवाई हुई तथा इसे 15/6/2016 तक स्थगित कर दिया गया। इस मामले में बाद में सुनवाईयां हुईं तथा आयकर विभाग द्वारा यह दावा करते हुए शपथ पत्र दायर किया गया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुणे में आयकर आयुक्त (छूट) का नया कार्यालय खोले जाने के कारण मामले का स्थानांतरण किया गया था । वे इस बात के लिए भी सहमत थे कि रिट याचिका पर निर्णय होने के तुरंत बाद आयकर आयुक्त, (अपील) औरंगाबाद के आदेश को प्रभावी किया जाएगा। तदनुसार, पत्तन ने

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06	अपनी रिट याचिका वापस ले ली । आयकर आयुक्त (छूट), पुणे ने आदेश पारित किया तथा जनेप प्राधिकरण को अक्तूबर, 2016 में रु. 313.40 करोड़ राशि वापस कर दी । कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी इसलिए आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास इस मामले में फिर से अपील दायर की गई है । साथ ही, आयकर विभाग ने जनेप प्राधिकरण को धारा 11 के तहत दी गई छूट के विरूद्ध आयकर अपील प्राधिकरण, पुणे के पास अपील दायर की है।
निर्धारण वर्ष 2006-07 से निर्धारण वर्ष 2007-08	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप प्राधिकरण की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया । आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के उपर्युक्त आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की । मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने दि. 08/06/2015 के आदेश द्वारा आयकर विभाग की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया । बाद में आयकर विभाग ने दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की । निर्धारण वर्ष 2006-07 का मामला मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 05 सितम्बर, 2018 को खारिज कर दिया गया और निर्धारण वर्ष 2007-08 का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी, 2018 को खारिज कर दिया गया।
निर्धारण वर्ष 2008-09	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप प्राधिकरण की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया । आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के उपर्युक्त आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की । उच्च न्यायालय ने दि.24.10.2016 के आदेश द्वारा इस मामले को हमारे पक्ष में ख़ारिज कर दिया और अब यह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है । इसी बीच, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने मामले को पुन: शुरू कर दिया । विभागीय आयकर आयुक्त ने इसके लिए दि. 15/03/2016 को आदेश जारी किया जिस पर पत्तन ने किए गए परिवर्धनों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की है ।

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2009-10	जनेप प्राधिकरण ने उपर्युक्त निर्धारण वर्ष में किए गए परिवर्धनों के लिए आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुध्द माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील दायर की है । पत्तन उक्त निर्धारण वर्ष के लिए अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का प्रयास भी कर रहा है ।
निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा निर्धारण वर्ष 2011-12	जनेप प्राधिकरण ने उक्त निर्धारण वर्षो के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की । उक्त निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए मामले को आयकर आयुक्त(अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित किया गया था । आयकर आयुक्त(अपील) द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त, पनवेल की ओर से किए गए परिवर्धनों की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किए गए थे । पत्तन ने आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण मुंबई के पास अपील दायर की है । पत्तन ने आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत उक्त निर्धारण वर्ष के लिए छूट मांगने की अपील के अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए हैं ।
निर्धारण वर्ष 2012-13	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसमें धारा 80 आईए के अधीन कटौती के दावे की अस्वीकृति का मुद्दा प्रमुख था । इसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की गई थी । जनेप प्राधिकरण द्वारा धारा 80 आई ए के दावे के समर्थन में आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज, मानचित्र, रिपोर्टें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत किए गए । धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए । आयकर आयुक्त (अपील) के 21.12.2017 के आदेश के अनुसार जनेप प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया गया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है ।
निर्धारण वर्ष 2013-14	जनेप प्राधिकरण ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है । पत्तन द्वारा आयकर अधिनियम 80 आई ए के तहत किया गया कटौती का दावा आयकर विभाग द्वारा खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (ठाणे) के सामने अपील की गई थी । धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए । आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 21.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया गया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है ।

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2014-15	विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे को मामले के हस्तांतरण के विरुद्ध पत्तन द्वारा दायर याचिका वापस लेने के बाद निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गयी थी । निर्धारण अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज और सबूत जमा किए गए थे । विभागीय आयकर आयुक्त (छूट) (मुख्यालय), पुणे द्वारा धारा 143 (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित किया गया था । विभागीय आयकर आयुक्त के आदेश के खिलाफ दिनांक 25-01-2017 को आयकर आयुक्त (अपील), पुणे के समक्ष एक अपील दायर की गई जिसमे धारा 11 के अधीन छूट के लाभ को अस्वीकार करना और धारा 80 आईए के अधीन कटौती की अस्वीकृति और अन्य परिवर्धन जैसे मुद्दे शामिल हैं । आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 22.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया गया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है ।
निर्धारण वर्ष 2015-16	दि. 28.12.2017 के निर्धारण आदेश द्वारा जनेप प्राधिकरण का धारा 80 आई ए के अधीन कटौती और धारा 11 के अधीन छूट का दावा नामंज़ूर किया गया था । पत्तन ने 20.01.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की । आयकर आयुक्त (अपील) ने 18.03.2019 को आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध जनेप प्राधिकरण द्वारा आयकर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए 23.08 करोड़ की धन वापसी नवंबर 2017 में प्राप्त हुई।
निर्धारण वर्ष 2016-17	दि.26.12.2018 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप प्राधिकरण के दावे को खारिज किया गया था । पत्तन ने दि. 24.01.2019 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। उक्त निर्धारण वर्ष का मूल्यांकन दि. 31.03.2021 को धारा 148 के अंतर्गत दी गई सूचना (नोटिस) द्वारा पुन: आरंभ किया गया है । जनेप प्राधिकरण ने उक्त सूचना (नोटिस) के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है । 31.03.2024 तक कोई अंतिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
निर्धारण वर्ष 2017-18	दि.29.12.2019 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था । पत्तन ने दि. 24.01.2020 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसी बीच, धारा 154 के अधीन, दि. 31.03.2024 को एक संशोधन आदेश पारित किया गया है । पत्तन आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने की तैयारी में है।

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2018-19	दि.26.04.2021 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था । पत्तन ने दि. 17.05.2021 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है । इसी बीच, आयकर आयुक्त (छूट) के द्वारा दि. 31.03.2024 को धारा 263 के अधीन एक आदेश पारित किया गया है । पत्तन आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने की तैयारी में है।
निर्धारण वर्ष 2019-20	दि.29.09.2021 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था । पत्तन ने दि. 21.10.2021 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
निर्धारण वर्ष 2020-21	दि.26.09.2022 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था । पत्तन ने दि. 18.10.2022 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
निर्धारण वर्ष 2021-22	दि.27.12.2022 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था । पत्तन ने दि. 21.01.2023 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
निर्धारण वर्ष 2022-23	दि. 19.03.2024 का निर्धारण आदेश जिसमें आयकर की धन वापसी को स्वीकार कर लिया गया है । पत्तन ने धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए 15.04.2024 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है ।
निर्धारण वर्ष 2023-24	वर्ष की आयकर विवरणी 30.09.2023 को प्रस्तुत की गई । उक्त विवरणी की प्रक्रिया को धारा 143(1) के अंतर्गत दि. 14.01.2024 के आदेश द्वारा संसाधित किया गया है, जिसमें 48,65,93,530/- रूपए की धन वापसी निर्धारित की गई जो हमें मार्च, 2024 में प्राप्त हुई ।

08.कर/अग्रिम कर के लिए प्रावधान :-

पत्तन ने वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए ग्राहकों तथा संस्थानों द्वारा काटे गए स्रोत कर सहित रु. 624.00 करोड़ के अग्रिम आयकर का भुगतान किया है । आस्थगित कर को छोड़कर रु. 601.23 करोड़ के कर हेतु प्रावधान किया गया है ।

09. पत्तन परिसंपत्तियों का बीमा :-

पत्तन की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए पत्तन दैवी घटनाओं तथा अन्य खतरों से निपटने के लिए वर्ष 2006 से इन परिसंपत्तियों का बीमा करवा रहा है जिसमें मानव नियंत्रण से परे प्रकृति के सभी संकट शामिल हैं जैसे तूफान, चक्रवात, भूकंप, सूनामी, बाढ़, सैलाब, साथ ही, आग, आतंकवाद, बीमा देयताएँ और जहाज के ढाँचे (हल) से जुड़े खतरे आदि । बीमा पालिसी में बीमित जोखिम, चैनल अवरोध आदि के कारण पत्तन को होने वाले व्यापारिक व्यवधान संबंधी हानियाँ भी शामिल हैं । यह मंत्रालय और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त निदेशों के अनुरूप और उनके अनुपालन में है ।

तदनुसार, पत्तन ने उचित निविदा-प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीमाकर्ता के साथ व्यापक पत्तन पैकेज नीति के नवीकरण को अंतिम रूप दिया, जिसकी अवधि 01.02.2024 से 31.01.2025 तक होगी ।

बीमा पोर्ट फोलियो में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. विस्तृत पत्तन पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) **भारी क्षति :** पत्तन प्रशासन कार्यालय, नगर क्षेत्र आदि सहित पत्तन प्रचालन क्षेत्र और प्रचालन क्षेत्र के पास की पत्तन की सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के सभी जोखिम ।

(ख) चैनल जलमार्ग अवरोध, पाइपलाइनों को क्षति और पत्तन के ठीक पास में लगे हुए परिसर में भूमि मार्गों पर किसी प्रकार के अवरोध सहित रूकावट के कारण व्यापारिक व्यवधान से जुड़ी हानि ।

(ग) पत्तन की बीमा योग्य देनदारियाँ

1. पत्तन देयताएँ (पर्यावरण प्रदूषण के अलावा)
2. पर्यावरण प्रदूषण देयताएँ (आतंकवाद के अलावा)

(घ) आतंकवाद एवं अन्तर्ध्वंस

2. पृथक आतंकवाद पॉलिसी (व्यापारिक व्यवधान सहित)
3. हल और मशीनरी बीमा पॉलिसी
4. निष्ठा गारंटी (अनामित अस्थायी) बीमा पॉलिसी
5. निदेशक एवं देयता पॉलिसी

6. न्यू इंडिया भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी

7. मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी

8. इलेक्ट्रानिक उपकरण/सर्व जोखिम पॉलिसी

9. भारत गृह रक्षा पॉलिसी

दि. 5 अगस्त, 2020 को पत्तन में अचानक आए तूफान से एक दुर्घटना हुई जिसमें 2 आरएमक्यूसी को भारी क्षति, 3 आरएमक्यूसी को पूर्ण क्षति और घाट को नुकसान हुआ था । उक्त दुर्घटना का दावा बीमा कंपनियों और पुन:बीमा कंपनियों के पास विचाराधीन है । इसके अलावा, जनेप प्राधिकरण बोर्ड संकल्प संख्या 190/05.03.2024 के अनुसार, आरएमक्यूसी 6,7 और 8 का दावा बाजार-मूल्य/मूल्यह्रास विधि (गणना) पर आधारित होगा और इसका निपटान क्षतिपूर्ति के आधार पर होगा। तदनुसार, उक्त विवरण के उल्लेख के साथ एक पत्र 02.05.2024 को मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया था और यह बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के पास प्रक्रियाधीन है । बीमा कवर का नवीकरण 1 फरवरी, 2025 को किया जाना है ।

10. भविष्य निधि, उपदान निधि एवं पेंशन निधि के लिए न्यास :-

आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए 31/03/2003 से पृथक न्यासों का गठन किया गया है :

क्रम. सं.	निधि का नाम	न्यास का नाम
1	भविष्य निधि	ज. ने. पत्तन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
2	उपदान निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी उपदान न्यास
3	पेंशन निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिवर्षिता न्यास

आयकर विभाग इन न्यासों को मान्यता दे चुका है और उपदान और पेंशन के वार्षिक अंशदान से संबंधित राशियाँ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जा रही हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त, पत्तन की छुट्टी नकदीकरण देयता भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जाती है । मंत्रालय ने दि. 19 मई, 2005 के पत्र सं.पीआर-24021/20/2004-पीजी के द्वारा उक्त करार को 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन दिया है ।

सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अंशदान

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को आवश्यक निधि	निधि शेष	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	31.03.2024 को कुल योग	31.03.2024 को बकाया देयता	31.03.2024 को अवित्त पोषित देयता
1	पेन्शन निधि	890.75	1,434.46	-	1,434.46	-	(452.71)
2	उपदान निधि	93.93	76.31	-	76.31	17.00	0.62
3	छुट्टी नकदीकरण निधि	84.23	89.72	-	89.72	-	(5.49)
	कुल	1,068.91	1,509.49	-	1,509.46	17.00	(457.58)

इन तीन निधियों के लेखे पर 31.3.2024 को कुल देयता रु. 1,068.91 करोड़ थी तथा वर्ष 2023-24 के दौरान, इन निधियों का ब्याज सहित 31.3.2024 को कुल मूल्य रु. 1,509.49 करोड़ था । पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधियों पर 2023-24 के दौरान अर्जित ब्याज 7.01% से 7.87% के बीच था ।

11. टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराया :

तुलन पत्र में वर्तमान परिसम्पत्तियों के तहत परिलक्षित चिंता का प्रमुख क्षेत्र है टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराए की लंबे समय से बकाया राशि । पट्टा किराया वृद्धि में भिन्नता, पट्टे की अवधि, वे लीव प्रभार आदि से संबंधित विवाद का मामला वर्ष 2005 में विवाचन के लिए भेजा गया था । विवाचन अधिकरण ने साझा मुद्दों के संबंध में मई 2012 में एलसीबीयूए (तरल रसायन घाट उपभोक्ता संघ) के पक्ष में निर्णय दिया । वर्ष 2012 के इस विवाचन निर्णय द्वारा जनेप प्राधिकरण द्वारा प्रभारित प्रशुल्क 1995 से कम कर दिया गया है । जनेप न्यास ने इस निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की है तथा मामला माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित है । इस अपील के निर्णय के लंबित होने के कारण जेएनपीए ने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके विवाचन अधिनिर्णय के अनुसार दि.1 अप्रैल, 2021 से बिलों को जारी करना प्रारंभ कर दिया है । इनमें से कुछ पत्तन उपभोक्ता जेएनपीए द्वारा दावा किए गए इन बिलों का भुगतान कर रहे हैं और अन्य जेएनपीए द्वारा दावा किए गए इन बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना

है कि इसकी तुलना 2012 के विवाचन अधिनिर्णय में आदेशित दरों से की जाए तो उन्होंने 1995 से 2012 की अवधि के दौरान जेएनपीए को अतिरिक्त भुगतान किया है । 31.3.2024 तक इस संबंध में कुल प्राप्य बकाया 573.94 करोड़ रुपये था । विभेदक बिलिंग, यदि कोई हो, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित अपील पर निर्णय के अनुसार की जाएगी।

न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय की शास्ति (पेनाल्टी) के संबंध में टैंक फार्म प्रचालकों को जारी किए गए बीजक विवादित हैं तथा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और पूरे मामले को विवाचन के लिए भेजा गया है । इस संबंध में 2012 के विवाचन अधिनिर्णय को जेएनपीए द्वारा चुनौती दी गई है और यह माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित है । इस संबंध में इन पत्तन उपभोक्ताओं से देय कुल राशि 31.03.2024 तक 330.56 करोड़ रुपये है जिसमें से 143.46 करोड़ रुपये वर्तमान परिसंपत्तियों का हिस्सा है।

एक टैंक फार्म प्रचालक के साथ विवाद के संबंध में, विवाचन ने 8 जून, 2018 को जेएनपीए के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिनिर्णय दिया है, जिसे जेएनपीए ने चुनौती दी है और यह अपील माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित है ।

12.बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज :

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार, जेएनपीए को पत्तन उपभोक्ताओं से बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना होता है । हालाँकि, संपदा किराए के मामले में, टैंक फार्म प्रचालकों द्वारा किए गए दावों में, दावों की देरी से प्राप्ति के लिए दंडात्मक ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये मामले कानूनी विवाद के अधीन हैं, जिनका निर्णय लंबित है । इन लंबित मुकदमों पर निर्णय होने के बाद उसके अनुसार दंड स्वरूप ब्याज का दावा किया जाएगा ।

हालाँकि, पत्तन गैर-विवादित पत्तन उपभोक्ताओं से उनके खाते को बंद करने के समय मानक दर (एसओआर) के अनुसार %16.75 दंडात्मक ब्याज वसूल करता है ।

13.निर्माण प्रहस्तन एवं हस्तांतरण प्रचालकों को सौंपे गए शेड/अन्य परिसम्पत्तियाँ :

एपीएम टर्मिनल/जीटीआईपीएल के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार, बल्क भंडारण शेडों को उन्हें सौंप दिया गया है जिन्हें यार्ड बनाने एवं अन्य सुविधाएँ तैयार करने के लिए नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य परिसम्पत्तियों जैसे, वैगन लदाई प्लेटफार्म, कैन्टीन आदि को भी उन्हें सौंप दिया गया है । ये परिसम्पत्तियाँ उसी रूप में पत्तन को वापस प्राप्त नहीं होंगी, जिस रूप में उन्हें सौंपा गया था। उन्हें सौंपी गई अन्य परिसम्पत्तियों के साथ-साथ, ऐसी परिसम्पत्तियों पर पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है। अत: इन परिसम्पत्तियों को नियत परिसम्पत्तियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है एवं अलग से 'सुधार के लिए बीओटी प्रचालकों (जीटीआईपीएल/ एपीएम टर्मिनल) को सौंपे गए शेडों/परिसम्पत्तियों' के रूप

में दिखाया गया है । सौंपे जाने के समय इन परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य रु. 54.53 करोड़ था । इन परिसम्पत्तियों का समान रूप से 30 वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है । इनका परिशोधित मूल्य दिनांक - 31/03/2024 को रु. 19.09 करोड़ है ।

इसी तरह एनएसआईसीटी के उत्तर की ओर कंटेनर घाट के 330 मीटर के विस्तार पर किया गया व्यय 31 मार्च, 2016 को 5.23 करोड़ रूपये था । उसे पट्टे की शेष अवधि के लिए समान किस्तों में परिशोधित किया गया है और 31 मार्च, 2024 को इन परिसम्पत्तियों का परिशोधित मूल्य 2.77 करोड़ रूपये है।

14. विधिक/विवाचन/सेवा कर के मामले

(क) पत्तन ने अंतर टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालन की बिलिंग में अंतर के कारण 4.42 करोड़ रूपये के ब्याज के साथ 12.22 करोड़ वसूलने के लिए जीटीआईपीएल के खिलाफ मुकदमा (2018 का मुकदमा से 399) दायर किया है : मामला पनवेल वरिष्ठ खंड न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है। मामला स्वीकृति स्तर पर है।

(ख) मेसर्स एम एम निस्सिम एंड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पत्तन ने रु. 18.27 करोड़ के ब्याज के साथ 42.15 करोड़ की संचयी बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुज्ञप्ति करार के खंड 23.3 के अनुसार मध्यस्थता के लिए मेसर्स जीटीआईपीएल को दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को नोटिस भेजा है **(दावे में बताए अनुसार यह आंकड़ा कुल 37,85,27,543/- रुपये था) ।** विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2019 को अधिनिर्णय जारी किया गया । जनेप प्राधिकरण ने विवाचन के निर्णय के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.1491 (2019) दायर की है । मामला स्वीकृति स्तर पर है।

(ग) मेसर्स एनएसआईसीटी ने प्रति टीईयू रायल्टी भुगतान को राजस्व हिस्सेदारी में परिवर्तित करने की मांग करते हुए 3 जुलाई, 1997 के अनुज्ञप्ति करार के 15.3 खण्ड के अनुसार पत्तन पर विवाचन दायर किया है । विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2019 को अधिनिर्णय जारी किया गया । जनेप प्राधिकरण ने विवाचन अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.102 (2020) दायर की है । मामला स्वीकृति स्तर पर है।

(घ) एलसीबीयूए सदस्य और जनेप न्यास के बीच मध्यस्थता – मामला वे-लीव प्रभार, न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय, पट्टा किराया और पट्टा अवधि से जुड़ा है जो सामान्य मुद्दों और व्यक्तिगत मुद्दों में विभाजित है – सामान्य मुद्दों में विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 21 मई, 2012 को अधिनिर्णय दिया गया जिसे जनेप न्यास ने मध्यस्थता याचिका सं.517 (2013) दायर करके चुनौती दी है तथा व्यक्तिगत मुद्दों में विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 08 जून, 2018 को दूसरा अधिनिर्णय दिया गया (आईएमसी एवं अन्य मामले में पहला और जीबीएल मामले में दूसरा) । जनेप प्राधिकरण ने माननीय मुंबई उच्च

न्यायालय में वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.06 (2019) और वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.01 (2019) दायर करके दोनों अधिनिर्णयों को चुनौती दी है । मामला स्वीकृति स्तर पर है।

(च) सीट्रांस शिपिंग और जनेप न्यास के बीच विवाचन – मामला निकर्षण ठेके से संबन्धित है – विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2014 को अधिनिर्णय जारी किया गया और तदनुसार जनेप प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं. 536 (2015) दायर की । न्यायालय ने उक्त याचिका पर दिनांक 15 मई, 2020 को आदेश जारी किया । जनेप प्राधिकरण ने उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील सं. 131 (एल) (2020) दायर की । मामला स्वीकृति स्तर पर है ।

(छ) जेएनपीए में 3 आरएमक्यूसी के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग तथा निष्पादन की गारंटी और जेएनपीए में मुख्य कंटेनर घाट से उथले डुबाव घाट पर पुराने 3 आरएमक्यूसी के डीकमीशनिंग, स्थानांतरण, री-कमीशनिंग, परीक्षण और संरचनात्मक पुर्जों की गारंटी के लिए मेसर्स अनुपम पोर्ट क्रेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए ठेके के 4,37,74,990/- रुपयों (लगभग) का भुगतान रोकने को लेकर विवाद हुआ । दावे के मद सं. 12 और 15 से 18 पर निर्णय लेने के लिए पार्टियां विवाचन अधिकरण में गईं । विवाचन अधिकरण ने दिनांक 02.02.2023 को इस पर अधिनिर्णय जारी किया और जेएनपीए ने 03.05.2023 को वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 12669 (2023) दायर करके मुंबई उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय ओर अधिनिर्णय के संचालन पर रोक के लिए चुनौती दी । मामला स्वीकृति स्तर पर है।

(ज) मेसर्स बीएसआई-जेडीएन संयुक्त उद्यम और जेएनपीए के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जो "मुंबई हार्बर चैनल और जेएन पत्तन चैनल को गहरा और चौड़ा बनाना चरण - II" के अनुबंध में आईपीसी # ,12 13 # और # 14 और टीओसी का भुगतान न करने के कारण जेएनपीए द्वारा पार्टियों को हुए सीधे नुकसान से संबंधित है, जिसमें कुल दावा रु 448,35,44,283/- (लगभग) है । संबन्धित पार्टी बीएसआई-जेडीएन और जेएनपीए के बीच विवाद को सुलझाने के लिए विवाचन कार्यवाही में गई है जो अभी तक चल रही है और अंतिम चरण में है।

(झ) मेसर्स पेंटाकल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएनपीए के बीच विवाद दावेदार द्वारा अनुबंध की अवधि के लिए तैनात अतिरिक्त जनशक्ति और उसी कार्य/नौकरी के लिए नए टेंडर जारी करके दावेदार के प्राप्तियों का भुगतान न करने के कारण पार्टी को हुए नुकसान को लेकर उत्पन्न हुआ, जिससे दावेदार देनदारियों, प्रतिनियुक्ति की अतिरिक्त लागत, प्रतिष्ठा की हानि, मानसिक तनाव आदि के संबंध में बोली लगाने/भाग लेने की प्रक्रिया से बाहर हो गए । वाढवन में सैटेलाइट पोर्ट के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट «तैयार करने हेतु 12 महीने की अवधि के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने लिए तथा एस. ई. जेड. चरण-। में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के अनुबंध में दावेदार का कुल दावा रु. 4.01 करोड़ (लगभग) है । इस संबंध में विवाचन मामला माननीय सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद, मुंबई में लंबित है । उक्त मामला मेसर्स पेंटाकल कंसल्टेंट और जेएनपीए के बीच सुलझे विवाद पर चल रहा है।

15. मेसर्स ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स – रु.110 करोड़ और रु.70 करोड़ की सावधि जमा रसीद

मेसर्स ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मालाड मालवणी, मुंबई शाखा में दिनांक 12 फरवरी, 2014 को रु. 110 करोड़ और दिनांक 17 फरवरी, 2014 को रु.70 करोड़ एक वर्ष के लिए क्रमश: प्रतिवर्ष 9.67 प्रतिशत और 9.75 प्रतिशत ब्याज दर से निवेश किया गया जिसकी कोई सावधि जमा रसीद बैंक से प्राप्त नहीं हुई।

पत्तन ने अभी तक मेसर्स ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से रु. 180 करोड़ के कुल निवेश में से रु. 112.41 करोड़ की वसूली की है । इस प्रकार निवेश की तिथि से आज तक मेसर्स ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से ब्याज समेत कुल रु. 67.59 करोड़ प्राप्य है । वित्तीय वर्ष 2021-22 तक मेसर्स ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से कुल देय राशि रु. 156.65 करोड़ है । (अर्थात मूल राशि रु.67.59 करोड़ और रु.89.06 करोड़ की ब्याज राशि)

माननीय एनसीडीआरसी, नई दिल्ली ने 22 मार्च, 2023 को उपभोक्ता मामला संख्या 2016) 1564) (जेएनपीए बनाम ओबीसी) का आदेश जारी किया है । माननीय एनसीडीआरसी ने शिकायत को एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया है कि जेएनपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रयोजन के लिए «उपभोक्ता» नहीं है और आवश्यक राहत के लिए उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता है ।

जेएनपीए ने एनसीडीआरसी द्वारा पारित दिनांक 22.03.2024 के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 4157/2023 दायर की है, जो सुनवाई के लिए लंबित है । इसके अलावा, जेएनपीए इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वसूली मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में है।

परामर्शदाता से प्राप्त राय के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जेएनपीए ने अब से ओबीसी में जमा राशि पर ब्याज की मान्यता को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि जेएनपीए इस ब्याज की अंतिम वसूली के लिए उचित निश्चितता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो जाता । इसलिए, जेएनपीए ने ओबीसी से प्राप्य आय को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखों में ब्याज को दर्ज करने की प्रथा बंद कर दी है । वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ओबीसी से प्राप्य उपार्जित ब्याज क्रमश: मात्र 15,12,62,364.62/- रूपये और 15,91,17,461.95 रूपए है।

16. संस्थापित और प्रयुक्त क्षमता :

संस्थापित और प्रयुक्त क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है -

(मिलियन टनों में)

घाट/टर्मिनल	*संस्थापित क्षमता		वास्तविक रूप से प्रयुक्त क्षमता	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
ज.ने.प.कं.टर्मिनल / एनएसएफटी	22.10	22.10	3.15**	6.73
जीटीआइपीएल / एपीएम टर्मिनल	23.70	23.70	22.90	18.99
एनएसआइसीटी / डी पी वर्ल्ड	20.50	20.50	14.48	14.25
उथला जल घाट एवं तटीय घाट (बल्क टर्मिनल)	7.00	7.00	2.52	2.68
एनएसआइजीटी / 330 मीटर	10.30	10.3	14.02	13.54
बी.पी.सी.एल. (द्रव कार्गो घाट)	7.20	7.20	5.15	5.05
बीएमसीटीपीएल / पीएसए	30.00	30.00	21.64	24.49
अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट	लागू नहीं	4.50		0.08
कुल योग	120.80	125.30	83.86	85.81

* पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/10/2017 के पत्र के माध्यम से सूचित पुनर्मूल्यांकित क्षमता। एनएसएफटी के मामले में, जेएनपीसीटी की संबंधित क्षमता की क्षमता पर विचार किया गया है। बीएमसीटीपीएल की क्षमता डिजाइन की गई क्षमता है ।

** जेएनपीसीटी का प्रहस्तन 15 दिसंबर, 2023 तक है क्योंकि प्रचालन बंद हो गया है और एनएसएफटीपीएल को सौंप दिया गया है । एनएसएफटीपीएल का प्रचालन 14 फरवरी, 2023 से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता आधार (पीपीपी मोड) पर शुरू हुआ।

+ मेसर्स बीपीसीएल द्वारा अंतरिम आधार पर 06.03.2024 को नवनिर्मित घाट पर प्रचालन शुरू हुआ। छूट करार पर हस्ताक्षर के बाद घाट को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रचालक (पीपीपी ऑपरेटर) मेसर्स जेएसडब्ल्यू जेएनपीए लिक्विड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा ।

नोट : ऊपर उल्लिखित कंटेनर यातायात के अलावा निम्नलिखित सामान्य कार्गो यातायात का भी नि.प्र.ह. कंटेनर टर्मिनलों पर प्रहस्तन किया गया :

(क) नि.प्र.ह. टर्मिनलों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान क्रमश: 997 और 2,353 टन सामान्य कार्गो का प्रहस्तन किया गया ।

17. आयातों का मूल्य (सीआईएफ) :

बीमा और भाड़े के आधार पर आयातों का मूल्य एवं विदेशी मुद्रा में व्यय नीचे दिए जा रहे हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	उपभोज्य वस्तुएँ तथा कलपुर्जे एवं पूंजीगत सामान	शून्य	0.36
2	प्राप्त की गई सेवाएं (पूंजी एवं राजस्व कार्य)	0.83	7.64
3	प्रशिक्षण, दैनिक भत्ता, सम्मेलन व्यय, अनुरक्षण ठेके इत्यादि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.03	0.04
4	उपयोग किए गए आयातित एवं देशी कलपुर्जों का मूल्य एवं कुल उपयोग का प्रतिशत (करोड़ रुपयों में)	शून्य	आयातित और स्वदेशी खपत अलग से उपलब्ध नहीं है।
		शून्य	कुल 2.89 करोड़ 100.00%
5	वर्ष के दौरान पूंजीगत लेखे से की गई और उसमें शामिल न की गई भंडार और सामग्री की कुल खरीद	शून्य	शून्य

18. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :

(लाख रुपयों में)

विवरण	2023-24	2022-23
मुख्य महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षक के रूप में	52.80	62.34
कर लेखा-परीक्षक	10.76	09.80
आंतरिक लेखा परीक्षक	9.49	21.26
योग	**73.05**	**93.40**

19. कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर हुए व्यय का विवरण :

कोटि	दि.31.03.2024 की तारीख में स्थिति	दि.31.03.2023 की तारीख में स्थिति
श्रेणी		
I	120	132
II	22	26
III	491	575
IV	48	55
योग	**681**	**788**
***कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक (करोड़ रुपयों में)**	**165.60**	**217.07**

20. अनिवार्य मदों पर किया गया व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	2023-24	2022-23
भंडारों तथा कलपुर्जों की खपत	0.82	2.90
बिजली, ईंधन, तेल एवं जल	81.01	169.86
लघु कार्यों सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण	53.36	98.43
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	165.60	217.07
कर्मचारी कल्याण व्यय	9.17	24.33
चिकित्सा व्यय	26.17	28.39
बीमा	9.31	19.55
निकर्षण	192.11	239.23
टग और पायलट नौका किराए पर लेना	68.92	67.06
रिच स्टैकर	4.38	7.15
अनुग्रह राशि	43.17	13.29
पेंशन/उपदान/ अवकाश नकदीकरण	17.15	0.03
पत्तन नौकाओं का संचालन (मैनिंग)	8.60	7.75
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	66.21	59.11
मूल्यह्रास	165.16	133.94

21. 31 मार्च, 2024 को आकस्मिक देयताएँ :

(क) विवाद समाधान और संभावित वित्तीय निहितार्थों पर प्रकटीकरण।

1. जीटीआई का पिछला अधिशेष / विभेदक राजस्व :-

इस विवाद में जेएनपीए द्वारा 2012 से 2019 की अवधि के दौरान अर्जित राजस्व के अपने हिस्से के रूप में रखे गए 875.11 करोड़ रुपये के विभेदक राजस्व (2010 और 2012 के महा पत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण आदेश के बीच का अंतर) की राशि शामिल है । जेएनपीए और जीटीआई द्वारा विवादों को भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा गठित सुलह और निपटान समिति («सीएससी») के पास भेजा है । सीएससी ने निपटान समझौता प्रस्तुत किया है, और इसे अनुमोदन के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पास भेज दिया गया है । निपटान समझौते में जीटीआई द्वारा 2012 से पहले अर्जित 285 करोड़ रुपये का पिछला अधिशेष और 13-2012 से 15-2014 तक का 18.1 करोड़ रुपये का अधिशेष भी शामिल हैं।

यदि सीएससी की सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है (भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन), तो जेएनपीए 875.11 करोड़ रुपये स्वयं के पास बरकरार रख सकता है और रु. 285 करोड़ (2012 से पहले का पिछला अधिशेष) का 35.503% राजस्व हिस्सा, जो 101.18 करोड़ है, अगले 8 वर्षों में समान रूप से भेज सकता है जैसा कि आधारिक संरचना निधि (इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) के लिए लागू है । इसी तरह, वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के लिए अधिकतम अधिशेष 18.1 करोड़ रुपये है जिसे वास्तविक ग्राहकों को भुगतान किया जाना है, जेएनपीए का हिस्सा 6.43 करोड़ रुपये (35.503%) होगा । अंतिम रूप से सूचित तुलन-पत्र की तारीख से मामले की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(अ) एनएसआईसीटी - राजस्व हिस्से के लिए रॉयल्टी :-

इस विवाद में प्रशुल्क निर्धारण के कारण उत्पन्न होने वाले एनएसआईसीटी के अधिशेष/घाटे का निर्धारण शामिल है । जेएनपीए और एनएसआईसीटी ने विवादों को भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा गठित सुलह और निपटान समिति («सीएससी») के पास भेजा है । सीएससी ने निपटान समझौता प्रस्तुत किया है, और इसे अनुमोदन के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पास भेज दिया गया है ।

पारस्परिक लाभ के लिए जेएनपीए और एनएसआईसीटी के उद्देश्यों को सुगम बनाने के लिए, सीएससी ने सिफारिश की है कि एनएसआईसीटी को क्षमता उपयोग प्राप्त करने की उनकी योग्यता के अनुरूप भविष्य की रॉयल्टी में सशर्त छूट की अनुमति दी जाएगी । यदि सीएससी की सिफ़ारिश (भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन) स्वीकार कर ली जाती है, तो वित्त वर्ष 23-2022 के लिए 81.16 करोड़ रुपये की रॉयल्टी छूट होगी क्योंकि एनएसआईसीटी ने 91.41% की बढ़ी हुई क्षमता उपयोगिता कर ली है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 125.05 करोड़ रूपए की रॉयल्टी छूट होगी, क्योंकि एनएसआईसीटी ने 94.35% की बढ़ी हुई क्षमता उपयोगिता हासिल कर ली है ।

22.ज.ने.प. प्राधिकरण कंटेनर टर्मिनल के कंटेनर वहन स्थानक तथा बफर यार्ड के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) :

मेसर्स सीडब्लूसी को दिए गए पूर्व के लाइसेंस की अवधि दि. 31/12/2005 को समाप्त होने पर जने पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए नया लाइसेंस मे. स्पीडी मल्टी मोड्स लि. [(पूर्व नाम स्पीडी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. (एसटीपीएल)] मुंबई को 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । इस करार में सौंपी गई परिसम्पत्तियों के पट्टे किराए के भुगतान एवं लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार प्रहस्तित टीइयू के लिए रायल्टी का प्रावधान है । लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पट्टा किरायों, रायल्टी एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के कारण मेसर्स एसएमएल से जनेप न्यास को प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	2023-24	2022-23
रायल्टी	8.91	8.19
पट्टा किराए	25.77	25.64
न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय (एमजीटी) में कमी (रायल्टी में समाहित)	02.14	01.93
विविध प्रभार	00.27	00.50

हाल ही में, जवाहरलाल नेहरू पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड के प्रचालक (ऑपरेटर) मेसर्स स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड ने आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होने के कारण 17 जनवरी, 2024 को सड़कों और गेट/कार्यालय (कंटेनर स्टैकिंग के लिए कुल पक्का क्षेत्र 54014 वर्ग मीटर) सहित लगभग 58755 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले बफर यार्ड को जेएनपीए को सौंप दिया है ।

23. धारा 80 आई.ए. के दावे :

पत्तन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कर में लाभ पाने के लिए कटौती का दावा किया है ;

क) मे. गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्रा. लि. (एपीएम टर्मिनल/जीटीआइपीएल) से अर्जित राजस्व।

ख) वर्ष 2011-12 में खरीदकर संस्थापित की गईं तीन रेल माउंटेड की क्रेनें (आरएमकयूसी)।

ग) वर्ष 2007-08 में खरीदकर संस्थापित की गईं दो रेल माउंटेड गंत्री क्रेनें (आरएमजीसी)।

घ) वर्ष 2012-13 में संस्थापित की गईं एक रेल माउंटेड क्वे क्रेन (आरएमकयूसी)

ङ) वर्ष 2012-13 में संस्थापित की गईं एक रेल माउटेंड गंत्री क्रेन (आरएमजीसी)।

इसे ध्यान में रखा जाए कि दि.5 अगस्त, 2020 को हुई दुर्घटना में आरएमक्यूसी 6,7 एवं 8 पूरी तरह से नष्ट हुए थे और आरएमक्यूसी 5 एवं 9 अंशत: क्षतिग्रस्त हुए थे । आरएमक्यूसी 6,7 एवं 8 को अब क्षति से बचा लिया गया है, आरएमक्यूसी 9 की मरम्मत की गई है तथा आरएमक्यूसी 5 की अभी मरम्मत की जा रही है।

24.निगमित सामाजिक दायित्व देयता :

समाज और पर्यावरण पर पत्तन की गतिविधियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक - 28 जून, 2023 के परिपत्र सं. पीडी-120219/1/2020-पीडी.-VI (IV) द्वारा सभी पत्तनों को निदेश दिया कि यदि पिछले वित्त वर्ष में पत्तन का निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो वे निगमित सामाजिक दायित्व की गतिवधियों के लिए 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध करवाएँ । मण्डल संकल्प सं. 89, दिनांक 15.01.2016 के अनुसार, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व देयता का सृजन करने का संकल्प किया गया।

दिनांक 01.04.2023 को निगमित सामाजिक दायित्व निधि में रु. 43.89 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से रु. 1.44 करोड़ की राशि मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई । वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 13.46 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक दायित्व निधि के लिए विनियोजित की गई है । वित्त वर्ष 2023-24 से ज.ने. प. प्राधिकरण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को वर्तमान देयता के रूप में मान्यता देता है।

25.अधिशेष फंड का ओवरनाइट फंड में निवेश - प्रत्यक्ष योजना :-

अगस्त 2022 से, जेएनपीए अपने अधिशेष फंड को ओवरनाइट फंड स्कीम – आय/रिटर्न को अधिकतम करने के लिए प्रत्यक्ष योजना में निवेश कर रहा है । जेएनपीए अपने अधिशेष फंड को गैर-कार्य दिवसों (शुक्रवार) से एक दिन पहले निवेश करता है और उसे अगले कार्य दिवसों (सोमवार) को भुनाता है और साथ ही फंड को बचत बैंक खाते में रखने के बजाय विशिष्ट देयता को पूरा करने हेतु भी अल्प कालिक अवधि के लिए इस योजना में निवेश किया जाता है । ऐसा करके, जेएनपीए ने बचत खाते की ब्याज दर से अधिक आय/रिटर्न अर्जित किया ।

26. घुमावदार (ज़िगज़ैग) सीमा मुद्दा – अब तक किए गए कार्य - पृष्ठभूमि :-

सिडको ने अन्य नोडों के क्षेत्रों के साथ ही नवी मुंबई के द्रोणागिरी नोड में 1250 हेक्टेयर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव रखा है । नवी मुंबई के द्रोणागिरी नोड में सेक्टर 1,2 के पास और सेक्टर 16,17 के नजदीक और जेएनपीए परियोजना की सीमा से लगी भूमि जो सिडको द्वारा विकसित की जा रही है एन. एम. एस. ई. जेड. डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के

लिए पट्टा विलेख (लीज डीड) द्वारा वर्ष 2006 में सौंप दी गई थी । इन दोनों स्थानों पर सौंपे गए क्षेत्र में 8 गांवों यथा जासई, धुतुम, शेमतीखार, सावरखार, सोनारी, करल, पागोटे और फुंडे से ली हुई लगभग 56.77 हेक्टेयर (140.3 एकड़) भूमि शामिल है जो जेएनपीए के कब्जे में है क्योंकि इसे जेएनपीए के लिए अधिग्रहित किया गया था । फुंडे गांव से अधिग्रहित जेएनपीए की 2.07 हेक्टेयर (5.11 एकड़) भूमि का उपयोग सिडको द्वारा नोडल विकास के लिए सेक्टर 15 (द्रोणागिरी) में किया गया है । इस प्रकार जेएनपीए की कुल 58.84 हे. (145.4 एकड़) भूमि का उपयोग सिडको द्वारा किया गया है ।

(जेएनपीए - एसपीए संबंधित) घुमावदार (ज़िगज़ैग) सीमा का कार्य आज की तारीख तक पूरा हो गया है।

सिडको द्वारा उपयोग की गई ग्रामवार जेएनपीए भूमि को दर्शाने वाला विवरण तैयार किया गया ।

सिडको द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक गांव के क्षेत्र का सर्वेक्षण संख्या, हिस्सा दर्शाने वाला और उसे संबंधित गांव के नक्शे पर इसे चिह्नित विवरण ।

साथ ही, एन. एम. एस. ई. जेड. और नोडल विकास में उपयोग की गई जेएनपीए की भूमि को दर्शाने वाली योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

इसमें कुल 205 सर्वेक्षण/हिस्सा नंबर शामिल हैं । सभी 205 सर्वेक्षण/हिस्सा नंबरों के 7/12 सरकारी वेबसाइट अर्थात् https://bhulekh.mahahumi.gov.in से डाउनलोड किए गए हैं । 205 सर्वे/हिस्सा नंबरों में से 203 सर्वेक्षण/हिस्सा नंबर पर जेएनपीए का नाम दर्ज है । सभी सर्वेक्षण/हिस्सा नंबरों की प्रतियां तैयार की गईं।

सिडको/एन. एम. एस. ई. जेड. द्वारा उपयोग किए गए क्षेत्र को भूमि सर्वेक्षण संख्या, गांव का नाम दर्शाने वाला ड्राइंग तैयार करके सिडको को प्रस्तुत किया गया है।

सिडको ने उक्त ड्राइंग को एनएमएसईज़ेड के साथ साझा किया है ताकि वे एनएमएसईज़ेड की सीमा का सत्यापन कर सके । बाद में यह पाया गया कि सीमा में मामूली अंतर था।

जेएनपीए ने सिडको से द्रोणागिरी की समन्वित ड्राइंग साझा करने के लिए कहा और ड्राइंग में पाए गए अंतर को जेएनपीए द्वारा सत्यापित और ठीक किया गया।

द्रोणागिरी नोड [घुमावदार (ज़िग-ज़ैग सीमा)] में सिडको द्वारा उपयोग किए गए क्षेत्र की अंतिम संशोधित ड्राइंग सिडको को प्रस्तुत की गई थी । सिडको से इस मामले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है।

जेएनपीए के अध्यक्ष ने 9 जून 2023 को सिडको के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर घुमावदार (जिग-जैग) सीमा के मुद्दे को हल करने के लिए सिडको और जेएनपीए अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने को कहा । इस पत्र के जवाब में सिडको के प्रबंध निदेशक ने 3 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा सिडको और जेएनपीए अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया ।

समिति की बैठक 12 दिसंबर 2023 को अपर कलेक्टर और मुख्य भूमि और सर्वेक्षण अधिकारी,

सिडको द्वारा आयोजित की गई थी । इस बैठक में सिडको द्वारा उपयोग की जाने वाली जेएनपीए भूमि को अंतिम रूप देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उरण से सरकारी माप कराने का निर्णय लिया गया । माप रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सिडको और जेएनपीए संयुक्त रूप से मामले का फैसला करेंगे ।

तदनुसार, जेएनपीए ने मार्च और अप्रैल 2024 में विवादित घुमावदार (जिग-जैग) सीमा क्षेत्रों की माप के लिए उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उरण को आवेदन किया है । मांग-पत्र प्राप्त होने पर, जेएनपीए ने महाराष्ट्र सरकार को माप-शुल्क का भुगतान कर दिया है । सरकारी सर्वेक्षण-चित्र प्राप्त होने के बाद, मामले को निपटान के लिए सिडको के समक्ष उठाया जाएगा ।

27. मेसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) के रूप में करार

पत्तन की अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में, पोत-परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर ज. ने. प. प्राधिकरण ने निधि प्रबंधन सेवाओं के लिए मेसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ एक करार किया है । जेएनपीए ने 30.03.2021 को मेसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एल. एम. एफ. ए. एम. एल.) के माध्यम से 50 करोड़ रुपये के अधिशेष निधि का प्रारंभिक निवेश किया है और बाद में 15.07.2021 को मेसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एल. एम. एफ. ए. एम. एल.) के माध्यम से 50 करोड़ रुपये का और निवेश किया है।

जेएनपीए ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एलआईसी एम. एफ. ए. एम. एल. से विभिन्न प्रतिभूतियों में रखी 72,30,14,079.03/- रुपये की धनराशि वापस ले ली है और निवेश पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए उसी धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के टीडीआर में निवेश किया था।

31 मार्च 2023 तक, केवल एक प्रतिभूति सुरक्षा अर्थात जीएसईसी 5.22% भारत सरकार 15 जून, 2025 एलआईसी एम. एफ. ए. एम. एल. के पास है, जिसका मूल्य 34,40,74,375.82/- रुपये मात्र है । उक्त प्रतिभूति भी मई, 23 में समय से पहले परिपक्व हो गई थी और बेहतर ब्याज दर को देखते हुए आय को टीडीआर में फिर से निवेश किया गया था।

28. जवाहरलाल नेहरू पत्तन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट एल बी 3 और एल बी 4 को सुसज्जित करना, प्रचालन करना, अनुरक्षण और हस्तांतरण करना

1. परियोजना का नाम: जवाहरलाल नेहरू पत्तन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट एल बी 3 और एल बी 4 को सुसज्जित करना, प्रचालन करना, अनुरक्षण और हस्तांतरण करना।

2. परियोजना लागत: 68.87 करोड़ रुपये (पीपीपी ऑपरेटरों के लिए)

3. परियोजना का संक्षिप्त विवरण: यह परियोजना 30 वर्ष की रियायत अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट एल बी 3 और एल बी 4 को सुसज्जित करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण और हस्तांतरण करने के सम्बंध में है ।»

क. जेट्टी की विशिष्टता :

विवरण	**एएलसीबी यथा एलबी3/एलबी4**	
	एलबी3	एलबी4
घाट की लम्बाई (मी.)	300^	300^
अनुमत एलओए (मी.)	285	285
क्षमता (एमटीपीए)	4.5^^	
प्रहस्तित कार्गो (टन में)	टर्मिनल का निर्माण किया गया । जेटी का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिकरण द्वारा अभियांत्रिकी, प्रापण एवं निर्माण आधार पर आंतरिक निधिकरण के माध्यम से किया गया । उपकरण और प्रचालन व अनुरक्षण के कार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से किए जाने हैं। जेटी का निर्माण पूरा हो गया है ।	
अनुमत जलयान डुबाव (मी.)	14.8	11.8

ख. जेट्टी का उद्देश्य :

- मौजूदा बीपीसीएल लिक्विड जेटी पर दबाव कम करना और अतिरिक्त लिक्विड कार्गो की मांग को पूरा करना ।
- जलयान के प्रतीक्षा संबंधी मौजूदा विषय पर ध्यान देना ।
- अंतर्देशीय क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करके व्यापार को लाभ पहुँचाना
- उपयोगकर्ताओं के लिए विलंब शुल्क में कमी
- बड़े पार्सल आकार वाले बड़े जहाजों के लिए योजना बनाई गई
- बेहतर ग्राहक सेवा और नए ग्राहकों और अतिरिक्त मात्रा को आकर्षित करने की संभावना
- कार्गो उत्पादन (थ्रूपुट) में वृद्धि और इसलिए जेएनपीए को रॉयल्टी और जलयान संबंधी शुल्क दोनों के सम्बंध में राजस्व आय में वृद्धि हुई ।

ग. सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के प्रचालकों का कार्य क्षेत्र

1	उत्पाद पाइपलाइनों का (19 संख्या) एलबी 1/2 से एलबी 3/4 तक विस्तार
2	उपयोगिता पाइपलाइनों (4 संख्या) का एलबी 1/2 से एलबी 3/4 तक विस्तार
3	नए समुद्री लोडिंग आर्म्स का संस्थापन
4	एलबी1/2 से एलबी 3/4 तक विस्तारित पाइपलाइनों हेतु पाइप रैक के लिए सिविल और संरचनात्मक कार्य
5	आवश्यक अनुमोदन जैसे कि पीईएसओ, डॉक सुरक्षा और अन्य सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करें । रियायतकर्ता, ऐसे वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जेएनपीए द्वारा प्रदान किए गए के अलावा सभी आवश्यक उपकरण/स्थापना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है ।
6	एलबी 3/4 के लिए बिजली और प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्त प्रणाली की संस्थापना और नए नियंत्रण कक्ष से एमएलए/अन्य के लिए एलबी 3/4 पर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम
7	नाइट्रोजन सुविधा का संस्थापन

निविदा प्रक्रिया :

इस परियोजना के लिए ऑपरेटर के चयन हेतु पत्तन ने एकल चरण दो कवर प्रणाली को अपनाया था ।

मंजूरी का विवरण और बोली प्रक्रिया की समय-सीमा :

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम का विवरण
1	31 मई, 2022	जेएनपीए द्वारा एसएफसी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना
2	3 मार्च, 2023	एसएफसी की बैठक
3	10 मार्च, 2023	एसएफसी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
4	13 मार्च, 2023	जेएनपीए द्वारा अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)/ प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया
5	5 जून, 2023	अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) बोलियाँ खोली गईं
6	9 जून, 2023	सुरक्षा-मंजूरी के लिए बोलीदाताओं के आवेदन पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम का विवरण
7	26 जुलाई, 2023	वरिष्ठ स्तरीय समिति द्वारा बोली मूल्यांकन का मूल्यनिरूपण (अप्रेज़ल) और सिफारिशें
8	8 सितम्बर, 2023	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं पर जेएनपीए के बोर्ड की मंजूरी
9	6 फरवरी, 2024	सभी बोलीदाताओं के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से सुरक्षा-मंजूरी प्राप्त हुई
10	9 फरवरी, 2024	वित्तीय बोलियाँ खोली गईं
11	19 फरवरी, 2024	सबसे सफल बोलीदाता मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आशय-पत्र जारी किया गया
12	20 फरवरी, 2024	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) स्वीकार किया गया

एकल चरण में दो प्रस्तुतियाँ शामिल हैं :

प्रस्तुति 1: अर्हता हेतु अनुरोध

प्रस्तुति 2: प्रस्ताव हेतु अनुरोधअर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)

मूल्यांकन के आधार पर, सभी सात भाग लेने वाले बोलीदाताओं को जेएनपीए के बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किया गया। योग्य बोलीदाताओं का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	बोलीदाता का नाम
1	मेसर्स गणेश बेंज़ोप्लास्ट लिमिटेड-डीवीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कंसोर्टियम)
2	मेसर्स एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
3	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
4	मेसर्स जे एम बैक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
5	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	मेसर्स अम्मा लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड-बीओएमएस प्राइवेट लिमिटेड (कंसोर्टियम)
7	मेसर्स आईएमसी लिमिटेड

इसके बाद, 06.02.2024 को सात योग्य बोलीदाताओं के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की गई और योग्य बोलीदाताओं की प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) बोलियां 09.02.2024 को खोली गईं। मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 252 रुपये प्रति मीट्रिक टन के वित्तीय प्रस्ताव को सबसे ऊंची बोली पाया गया और तदनुसार, उन्हें पत्र संख्या जेएनपी/चेयरमैन/एएलसीबी/पीपीपी/2024/1448 दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से 'आशय पत्र' जारी किया गया ।

5. परियोजना अनुसूची :

'आशय पत्र' प्राप्त करने के बाद मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 13.03.2024 को एक एसपीवी «जेएसडब्ल्यू जेएनपीए लिक्विड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड» के रूप में शामिल किया गया है । पार्टियों के बीच 08.04.2024 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए। रियायती करार पर हस्ताक्षर करने के छह महीने के भीतर रियायती को पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा, जिसे रियायत के करार की तारीख के रूप में माना जाएगा । रियायत के करार की तारीख से निर्माण का चरण 18 महीने का होगा और रियायत अवधि 30 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

29. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से उथला जल घाट (एसडब्ल्यूबी) सुविधा और नवनिर्मित तटीय घाट (सीबी) का उन्नयन करना, सुसज्जित करना, प्रचालन करना, अनुरक्षण और हस्तांतरण करना

परियोजना लागत (करोड़ रुपये में): 343 करोड़

परियोजना का संक्षिप्त विवरण :

इस परियोजना का उद्देश्य उथला जल घाट (एसडब्ल्यूबी) और तटीय घाट परियोजना का 30 वर्षों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से उन्नयन करना, सुसज्जित करना, प्रचालन करना, अनुरक्षण और हस्तांतरण करना है ।

उथला जल घाट (एसडब्ल्यूबी) 445 मीटर लंबा प्रचालन टर्मिनल है, जिसमें ~ 9.55 हेक्टेयर बैक अप भूमि है, जो जेएनपीए सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र के अंदर स्थित है। उथला जल घाट तटीय और आयात-निर्यात (एक्जिम) यातायात दोनों को संभाल सकता है । जेएनपीए ने उथला जल घाट में एक रो-रो प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है और उक्त रो-रो प्लेटफॉर्म की लंबाई 125 मीटर है । इसलिए उथला जल घाट के पास 445 मीटर की मूल घाट-लंबाई तुलना में जलयान घाटायन के लिए 320 मीटर घाट-लंबाई बची है । उथले पानी के घाट पर प्रहस्तन की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं सीमेंट, तरल पदार्थ, परियोजना कार्गो, कंटेनर आदि हैं । टर्मिनल की अनुमानित क्षमता 4 एमटीपीए है।

तटीय घाट (सीबी) 250 मीटर लंबा, नवनिर्मित टर्मिनल है, जिसमें 9.0 हेक्टेयर बैक अप भूमि है, जो सीमा शुल्क बाधित क्षेत्र के बाहर, चौथे कंटेनर टर्मिनल और प्रचालन घाट के ठीक बगल में स्थित है । तटीय

घाट का निर्माण तटीय कार्गो को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की योजना के तहत किया गया था । तटीय घाट पर प्रहस्तन करने के लिए प्रस्तावित प्रमुख वस्तुएं सीमेंट, स्टील और कंटेनर हैं । तटीय घाट की अनुमानित क्षमता 2.8 एमटीपीए है।

परियोजना अनुसूची:

परियोजना को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित किया जाना है:

(क) तटीय घाट पर परियोजना सुविधाओं का निर्माण और सेवाओं को रियायत अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना है और

(ख) उथले घाट पर परियोजना सुविधाओं का निर्माण और सेवाओं को रियायत अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

बोली प्रक्रिया और रियायत का अधिनिर्णय

(क) पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या PD-13/110/2021-PPP/e-350001 दिनांक 20 जनवरी, 2022 के द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से उथला जल घाट (एसडब्ल्यूबी) सुविधा और नवनिर्मित तटीय घाट (सीबी) के उन्नयन , सुसज्जित करने, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण करने पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन के प्रस्ताव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित किया है।

(ख) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने 04 फरवरी 2022 को अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेज और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया, जिसका उद्देश्य प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज के अनुसार अर्हता-पूर्व चरण (प्रस्तुति 1) और बोली प्रस्ताव (प्रस्तुति 2) के लिए आवेदकों को लघु सूचीकरण (शॉर्टलिस्टिंग) करने के लिए अर्हता हेतु आवेदन आमंत्रित करना था, जिसकी अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2022 थी, जिसे बाद में 23.05.2022 तक बढ़ा दिया गया था।

(ग) बोली प्रस्तुति की नियत तारीख, यानी 23.05.2022 को, निम्नलिखित 5 पक्षों ने अपने संघ के सदस्यों के साथ अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) बोली-दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

क्र. सं.	बोलीदाता का नाम	संघ (कंसोर्टियम)/ संयुक्त उद्यम (जे वी) सदस्य
1	मेसर्स योगायतन पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	मेसर्स मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ
2	मेसर्स बोथरा शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एकल इकाई
3	मेसर्स जे.एम.बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	एकल इकाई
4	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	एकल इकाई
5	मेसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड	एकल इकाई

(घ) उपर्युक्त पांच आवेदकों में से, निम्नलिखित चार आवेदकों को सभी तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बंधी मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) चरण में पूर्व-योग्य और लघु सूचीकृत (शॉर्टलिस्ट) किया गया।

बोलीदाता सं.	आवेदक का नाम	संघ (कंसोर्टियम) सदस्य
1	मेसर्स योगायतन पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – मेसर्स मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (जेवी)	मेसर्स मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (तकनीकी सदस्य)
2	मेसर्स बोथरा शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं
3	मेसर्स जे एम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	लागू नहीं
4	मेसर्स जे. एस. डब्ल्यू. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	लागू नहीं

(च) 06.10.2023 को बोलीदाताओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने पर, मूल्यांकन आरएफपी के पूरा होने के बाद, मेसर्स जेएम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (मेसर्स जेएमबीपीएल) को दिनांक 13.10.2022 के जेएनपी/ट्रैफिक/सीएमटी/2022/623 पत्र के माध्यम से रु. 84.44/- प्रति एमटी (तटीय कार्गो) की उनकी उद्दत रॉयल्टी दर पर अधिनिर्णय-पत्र (एलओए) जारी किया गया।

(छ) मेसर्स जेएमबीपीएल ने एक एसपीवी "न्हावा शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड" (एन. एस. डी. टी. पी. एल.) को शामिल किया और जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण और न्हावा शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 15.11.2022 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ज) मेसर्स न्हावा शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को 26.05.2023 से तीस साल की अवधि के लिए रियायत दी गई।

(झ) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने रियायत करार के परिशिष्ट 2 में उल्लिखित परिसंपत्तियों को रियायत दिए जाने की तारीख यानी 26.05.2023 को मेसर्स न्हावा शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसडीटीपीएल) को सौंप दिया। मेसर्स एनएसडीटीपीएल को सौंपी गई परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में रखा गया है और पत्तन की लेखा-नीति के अनुसार उन पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

उथले पानी के घाट और तटीय घाट पर एन. एस. डी. टी. पी. एल. द्वारा प्रहस्तित कार्गो :

एन. एस. डी. टी. पी. एल. ने टर्मिनल का अधिकार संभालने के बाद 26 मई, 2023 से टर्मिनल का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उथले पानी के घाट और तटीय घाट पर एन. एस. डी. टी. पी. एल. द्वारा प्रहस्तित कार्गो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ग	जलयानों की संख्या	मात्रा (एमटी)
1	ब्रेक बल्क	55	216856
2	सीमेंट	76	1349520
3	द्रव	170	577529
4	कंटेनर	19	7948 (टीइयू) / 121092
5	योग	320	7948 (टीइयू) / 2264897

जेएनपीए ने 29 जुलाई 2022 के रियायत करार के तहत मेसर्स एन. एस. एफ. टी. पी. एल. को यूएमओटी मोड के तहत रियायत दी है, जिसके तहत परिशिष्ट 2 में उल्लिखित कुछ पहचानी गई संपत्तियां रियायतकर्ता को 680 मीटर घाट के कंटेनर घाट के उन्नयन, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (यूओएमटी मॉडल) हेतु 30 साल की रियायत अवधि के लिए 281.82 करोड़ रुपये के अग्रिम शुल्क पर सौंप दी गई हैं। इस लेन-देन का वित्तीय पट्टे के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की लेखो पर टिप्पणियों में गलती से उल्लेख किया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अचल परिसंपत्तियों और सौंपे जाने वाले पुर्जों का शेष जीवन 30 वर्ष की रियायत अवधि से कम है, जेएनपीए ने इस संबंध में निम्नलिखित लेखांकन प्रबंध दिया है:

(क) 281.82 करोड़ रुपये के अग्रिम शुल्क को रियायत अवधि में सेवा आय के रूप में समान रूप से माना जाएगा

(ख) अचल परिसंपत्तियों की वहन लागत को जेएनपीए की बहियों में बनाए रखा जाएगा और जेएनपीए की नियमित प्रथा के अनुसार इन अचल परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया जाएगा और

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 156,878,780.21/- रुपये मूल्य की वर्तमान परिसंपत्तियों को सौंपने का काम पूरा हो गया है और उन्हें व्यय कर दिया गया है।

31.जेएनपीए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) : -

जेएनपीए ने पत्तन न्यास के स्वामित्व वाली 277.38 हेक्टेयर क्षेत्र में एक पत्तन आधारित बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को विकसित करने का काम हाथ में लिया है । उक्त परियोजना पत्तन परिसर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पत्तन संचालन को पूरक करने के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से जेएनपीए द्वारा की गई एक प्रमुख आधारिक संरचनात्मक विकास पहल है । जेएनपीए के करीब होने के कारण, यह परियोजना आयातित कच्चे माल की तत्काल उपलब्धता, वैश्विक बाजारों तक पहुँच और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करती है । नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) रेल कॉरिडोर, ट्रांस-हार्बर रोड लिंक (एमटीएचएल) सहित आगामी मल्टीमॉडल आधारिक संरचना परियोजनाओं तक पहुँच के कारण जेएनपीए एसईजेड देश के एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप उभरेगा । जेएनपीए एसईजेड का लक्ष्य पत्तन आधारित औद्योगीकरण में एक नया मानदंड स्थापित करना है, और इस प्रकार पोत परिवहन मंत्रालय के सागरमाला परियोजना के 'पत्तन आधारित औद्योगीकरण' की परिकल्पना (विज़न) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । एसईजेड में अन्य के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण, अभियांत्रिकी, सौंदर्य प्रसाधन, वाहनों के पुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसे एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर हैं । इसमें एक मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) भी विकसित किया जा रहा है जो इस परियोजना के महत्व को और भी बढ़ा देगा । जेएनपीए को एसईजेड अधिनियम प्रावधानों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष योजना प्राधिकरण (एसपीए) और विद्त वितरण लाइसेंसधारी का दर्जा दिया गया है, जेएनपीए एसईजेड क्षेत्र के लिए विकास नियंत्रण विनियमन को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो जेएनपीए एसईजेड में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करने में जेएनपीए को सक्षम बनाता है । इस प्रकार जेएनपीए एसईजेड का लक्ष्य औद्योगिक विकास के लिए एसईजेड भूमि की अधिकतम क्षमता का उपयोग करना है । पर्यावरणीय मंजूरी एवं स्थापना हेतु सहमति प्राप्त हो गई है। जेएनपीए ने एक मजबूत बिजली वितरण प्रणाली विकसित की है जिसमें हमारे लाइसेंस क्षेत्र में स्थित उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने के लिए डाउनस्ट्रीम भूमिगत केबल नेटवर्क और 11/33 केवी के वितरण सबस्टेशन के साथ 33/220 केवी मुख्य रिसिविंग सबस्टेशन शामिल है । वर्तमान में जेएनपीए एसईजेड निवेशकों को 60 साल की लीज पर जमीन आबंटित कर रहा है । आबंटन पारदर्शी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है । जेएनपीए एसईजेड 277 हेक्टेयर भूमि में से 162 हेक्टेयर (400 एकड़) 60 साल के पट्टे पर आबंटित करेगा । कुल 45 निवेशकों को जेएनपीए एसईजेड में लगभग 101 हेक्टेयर (@250 एकड़) जमीन आबंटित की गई है, जिसमें मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) हेतु मेसर्स न्हावा शेवा बिजनेस पार्क (एनएसबीपीएल) के लिए आबंटित 85 एकड़ जमीन शामिल है । जेएनपीए एसईजेड में 10 इकाइयों ने अपना पहला चालान तैयार किया है और उन्हें परिचालित इकाई घोषित किया गया है और इस प्रकार जेएनपीए एसईजेड अब पूरे भारत में पहला पत्तन आधारित परिचालित बहु उत्पाद एसईजेड है । अन्य 3 इकाइयों ने अपनी निर्माण गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं और जल्द ही अपना प्रचालन शुरू करने की योजना बना

रही हैं । मेसर्स एनएसबीपीएल ने उन्हें आबंटित भूखंड पर अपनी एफटीडब्ल्यूजेड इकाई को आंशिक रूप से शुरू कर दिया है । जेएनपीए-एसईजेड ने आपूर्ति क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारी के रूप में अगस्त, 2021 में अपना कार्य आरंभ किया है । आज तक 23 उपभोक्ताओं को (जेएनपी एसईजेड उपयोगिता के ग्यारह सहित) विद्त आपूर्ति प्रदान की गई है और ऊर्जा बिलिंग का कार्य वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाता है।

क्र. सं.	विवरण	अभ्युक्ति
1	यूनिट धारकों की संख्या	45 (23 करार निष्पादित किए गए तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं)
2	कुल प्राप्त अग्रिम भुगतान	रु.911,21,76,639.20/-
3	प्राप्त करने योग्य शेष अग्रिम भुगतान	रु.364,69,39,938.31/-
4	एसईजेड अचल संपत्तियाँ	रु.643,20,30,780/-
5	एसईजेड चालू पूंजीगत कार्य	रु.26,78,92,485.71

32. चालू वित्त वर्ष से, पत्तन ने सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से अग्रिम आय को मान्यता दी है, जिसके तहत अग्रिम में प्राप्त पूरी अग्रिम आय को पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है । लेखांकन पद्धति में, वित्त वर्ष 19-2018 के आगे से पूर्वव्यापी रूप से किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 24-2023 में संपदा आय में 45.80 करोड़ रुपये की कमी आई है।

33. लेखा नीतियां और वार्षिक विवरणों का प्रारूप:

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को प्रभावी बना दिया है। सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम, 2021 को भी अधिसूचित किया है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44(1) के अनुसार, बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा। 31 जनवरी 2023 को आयोजित भारतीय पत्तन संघ की 195वीं सामान्य सभा की बैठक के अनुसार, एमपीए अधिनियम 2021 और महापत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा नियम), 2021 के तहत महापत्तन प्राधिकरणों के वार्षिक लेखों की सामान्य संरचना के विकास का कार्य करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) लेखा अनुसंधान फाउंडेशन की नियुक्ति हेतु वित्त और निवेश पर विभागीय स्थायी समिति (डीएससी) की सिफारिश को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और तदनुसार

आईसीएआई को 17 फरवरी 2023 का कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। आईसीएआई के साथ उपर्युक्त मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहली प्रारंभिक बैठक 13 अप्रैल 2023 को हुई थी और नवीनतम बैठक 14 मार्च, 2024 को आयोजित की गई थी।

चूंकि उपर्युक्त घटनाक्रमों के अनुसार उक्त प्रारूप अभी भी प्रतीक्षित है, इसलिए पत्तन ने मौजूदा लेखा नीतियों और वार्षिक विवरणों के प्रारूप का पालन किया है, जिनका उपयोग पत्तन द्वारा 3 नवंबर 2021 से पहले किया गया था।

34. प्रस्तुतीकरण में एकरूपता तथा समानता बनाए रखने के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/फिर से तैयार किया गया है ।

(गौतम कुमार दास)
महाप्रबंधक (वित्त)

(उन्मेश शरद वाघ, आईआरएस)
अध्यक्ष

लेखा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई 2023-24

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई टिप्पणियां

1. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की लेखापरीक्षा की है । यह वित्तीय विवरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण नीतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का समावेश है । विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा प्रभावशीलता एवं निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर यदि लेखा-परीक्षा के कोई प्रेक्षण होते हैं तो वे निरीक्षण रिपोर्टों / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से बताए जाते हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है । इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम यह लेखा परीक्षा इस प्रकार करते हैं ताकि यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में आर्थिक रूप से कोई गलत बयानी नहीं है । लेखापरीक्षा में राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन की नमूना आधार पर जाँच शामिल होती है । प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का आकलन भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा दी गई राय के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत करती है।

4. लेखा-परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि -

(i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा करने के लिए आवश्यक थे ।

(ii) इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 44(1) के तहत न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं ।

(iii) हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जाँच से यह प्रतीत होता है कि जनेप प्राधिकरण ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत अपेक्षित लेखा बहियों एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उचित रख-रखाव किया है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि :

क. तुलन-पत्र

निधियों की प्रयोज्यता

क.1 नियत परिसंपत्तियां

चल रहे पूंजी कार्य- ₹2777.76 करोड़ (अनुसूची-3)

(i) उपर्युक्त में ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर (DTCS) का मूल्य ₹5.01 करोड़ शामिल है। संतोषजनक परीक्षण के बाद, स्कैनर को 21 जनवरी 2023 को चालू किया गया, तथापि, इसे लेखा-बही में पूंजीकृत नहीं किया गया । पूर्ण किए गए कार्य का पूंजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप सकल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया है और चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹5.01 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है और मूल्यह्रास को भी कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹0.50 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है ।

(ii) उपर्युक्त में आरएफआईडी आधारित गेट ऑटो मोशन सिस्टम के डिजाइन, विकास, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और अनुरक्षण का मूल्य ₹1.87 करोड़ शामिल है, जिसमें ऑनसाइट समर्थन और वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) के लिए ₹0.50 करोड़ शामिल हैं । यह कार्य 25 अगस्त 2016 को सौंपा गया था और अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र 17 अप्रैल 2019 को जारी किया गया था। उक्त कार्य का कुछ हिस्सा 2019-20 में पूंजीकृत किया गया था, तथापि, ₹1.37 करोड़ की राशि अभी भी पूंजीकृत की जानी है।

पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने तथा ऑनसाइट एवं वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) प्रभार न लगाने के परिणामस्वरूप सकल नियत परिसंपत्तियों को ₹1.37 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹1.87 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है, व्यय को ₹0.50 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को ₹0.98 करोड़ कम करके दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹1.48 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है ।

(iii) उपर्युक्त में चिकेन रोड निर्माण का मूल्य ₹3.51 करोड़ शामिल है । चूंकि टर्मिनल को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन था, इसलिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के भागीदार ने वाहनों द्वारा टर्मिनल तक पहुँच बनाने के लिए अस्थायी सड़क (चिकाना

रोड) का निर्माण किया । मई 2018 में, जब घाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क चालू हो गई, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा बनाई गई अस्थायी सड़क की वाहनों के आवागमन के लिए ज़रूरत नहीं थी । जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने अप्रैल 2023 में सड़क की लागत यथा ₹3.51 करोड़ की प्रतिपूर्ति की।

चूंकि सड़क अस्थायी आधार पर तैयार की गई थी और अब इस्तेमाल के लायक नहीं थी, इसलिए राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, चल रहे पूंजीगत कार्य और लाभ को ₹3.51 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है ।

(iv) उपर्युक्त में करलफाटा इंटरचेंज के निर्माण और जेएनपीए के चौथे टर्मिनल (चरण II) से संयोजकता (कनेक्टिविटी) का मूल्य ₹67.47 करोड़ शामिल है । यह कार्य 30 जून 2021 को पूरा हुआ । पत्तन ने इसका पूंजीकरण नहीं किया है। पत्तन की लेखा-नीति संख्या 2(डी) के अनुसार, परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल परियोजना के कार्यान्वयन की देख-रेख करने वाले विभाग से कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने या परिसंपत्तियों की खरीद पर ही किया जाता है ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर परिसंपत्तियों को मान्यता देने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2(डी) लेखांकन मानक 10 के अनुरूप नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को मान्यता दी जानी चाहिए यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है । लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यथा, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है ।

पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप, सकल नियत परिसंपत्तियों को ₹67.47 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹67.47 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है, पूर्व-अवधि प्रभारों को ₹3.38 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को ₹1.69 करोड़ कम करके दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹5.07 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है ।

(v) उपर्युक्त में तटीय घाट के लिए चैनल के नौवहन क्षेत्र को गहरा करने का मूल्य ₹47.47 करोड़ शामिल है। यह कार्य मई 2022 में पूरा हुआ और मई 2023 में उपयोग के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सहभागिता प्रचालक (पीपीपी ऑपरेटर) को सौंप दिया गया। पत्तन ने इसे पूंजीकृत नहीं किया है। पत्तन की लेखा-नीति संख्या 2(डी) के अनुसार, परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल परियोजना के कार्यान्वयन की देख-रेख करने वाले विभाग से कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने या परिसंपत्तियों की खरीद पर ही किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर परिसंपत्तियों को मान्यता देने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2(डी) लेखांकन मानक 10 के अनुरूप नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को मान्यता दी जानी चाहिए यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यथा, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। इस प्रकार, पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप सकल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दर्शाया गया है, चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹47.47 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को कम करके दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹0.47 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है ।

क. 2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-6)

निवेश पर प्रोदभूत ब्याज - ₹ 195.03 करोड़

रोकड़ और बैंक शेष (बैंकों में सावधि जमा रसीदों सहित) - ₹ 5602.41 करोड़

उपर्युक्त में ₹67.59 करोड़ की राशि शामिल है, जो सावधि जमा (12 फरवरी 2014) बनाने के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को हस्तांतरित की गई थी और 31 मार्च 23 तक उस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹89.06 करोड़ थी । पत्तन को कोई भी सावधि जमा रसीद जारी किए जाने से पहले, बैंक के एक कर्मचारी द्वारा मूलधन की राशि का दुरुपयोग किया गया था और मामला सीबीआई द्वारा जांच के अधीन है । अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) में एक मामला दायर किया गया था और एनसीडीआरसी ने मार्च 2023 में इसे खारिज कर दिया । उसी पर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

10 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, जेएनपीए के पास 67.59 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीद नहीं है, मामला सीबीआई के पास जांच के अधीन है और एनसीडीआरसी ने अपील को खारिज कर दिया है, संदिग्ध निवेश और उस पर ब्याज के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था।

निवेश की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ को ₹156.65 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया, रोकड़ और बैंक शेष को ₹67.59 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया तथा निवेश पर प्रोदभूत ब्याज को ₹89.06 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया।

यह प्रेक्षण 2013-14 से पृथक लेखापरीक्षा में शामिल किया जा रहा है ।

क.3 वर्तमान परिसंपत्तियाँ,

ऋण और अग्रिम (अनुसूची-6)

ऋण और अग्रिम ₹ 7706.81 करोड़

ठेकेदारों को अग्रिम: ₹ 352.24 करोड़

आकस्मिक अग्रिम बिल अनुभाग ₹ 43.45 करोड़

उपर्युक्त में 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम ₹ 2.56 करोड़ शामिल है। जेएनपीए ने 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि के लिए ₹15.35 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली है, लेकिन पूरी राशि ठेकेदारों को अग्रिम के तहत दर्ज की है।

इसके परिणामस्वरूप भुगतान किए गए अग्रिम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, व्यय को कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹ 2.56 करोड़ से अधिक करके दिखाया गया है।

ख. लाभ और हानि खाता

ख.1 बीओटी ठेकों से आय (अनुसूची 12): ₹1969.48 करोड़

(ए) बीएमसीटीपीएल से आय ₹561.14 करोड़

अन्य प्रभार बीएमसीटीपीएल- ₹19.69 करोड़

इसमें मार्च 2024 के महीने के लिए पर्यवेक्षण और प्रशासन प्रभार का मूल्य ₹0.60 करोड़ शामिल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप, बीएमसीटीपीएल से प्राप्य राशियों को कम करके दिखाया गया और लाभ को ₹0.60 करोड़ से कम करके दिखाया गया ।

(बी) एनएसएफटीपीएल से आय: ₹34.34 करोड़

एनएसएफटीपीएल से अन्य प्रभार: ₹4.60 करोड़

अग्रिम में बिल की गई आय: ₹508.16 करोड़

उपर्युक्त में वर्ष 2023-24 के लिए पीपीपी ऑपरेटर मेसर्स न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसएफटीपीएल) से प्राप्त होने वाले अग्रिम शुल्क के कारण ₹2.11 करोड़ शामिल नहीं हैं । ₹9.39 करोड़ के आनुपातिक अग्रिम शुल्क के मुकाबले, वर्ष के लिए केवल ₹7.28 करोड़ को आय के रूप में मान्यता दी गई है । अग्रिम शुल्क की कम मान्यता के परिणामस्वरूप आय और लाभ को कम करके दिखाया गया है और 'अग्रिम में बिल की गई आय' (वर्तमान देनदारियों) को ₹2.11 करोड़ कम करके दिखाया गया है।

इसी तरह, वर्ष 2022-23 के लिए, पत्तन ने ₹1.26 करोड़ की राशि के मुकाबले ₹0.58 करोड़ की राशि को मान्यता दी थी । इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि आय व लाभ तथा 'अग्रिम में बिल की गई आय' (वर्तमान देनदारियाँ) को ₹0.68 करोड़ कम करके दर्शाया गया था।

ख. 2 कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय (अनुसूची 14) ₹155.43 करोड़

उपर्युक्त में 30 जून 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए तीन मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग (एमएक्ससीएस) प्रणालियों के अनुरक्षण प्रभार के रूप में ₹2 करोड़ की राशि शामिल नहीं है । देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹2 करोड़ से अधिक करके दिखाया गया है।

ख. 3 प्रचालन अधिशेष:

ख. 3.1 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 6)

ठेकेदारों को अग्रिम: ₹ 352.24 करोड़

आय और व्यय खाता

वित्त और विविध व्यय: ₹ 121 करोड़

उपर्युक्त में चौथी तिमाही यथा जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक भुगतान किए गए स्कूल-संचालन से संबंधित व्यय का मूल्य ₹1.06 करोड़ शामिल नहीं है । तथापि, यह राशि 'ठेकेदार को अग्रिम' शीर्षक के तहत पार्टी अग्रिम के रूप में दिखाई गई थी।

इसके परिणामस्वरूप 'ठेकेदार को अग्रिम' को अधिक करके दिखाया गया, व्यय को कम करके दिखाया गया और लाभ को ₹1.06 करोड़ अधिक करके दिखाया गया।

ख. 3.2 वित्त और विविध व्यय: ₹ 121 करोड़

उपर्युक्त में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन , निर्यातोन्मुखी कृषि प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्य ₹1.83 करोड़ शामिल है। व्यवहार्यता सह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार्य पाया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर ₹1.83 करोड़ का व्यय उपर्युक्त शीर्ष के तहत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे इसके बजाय प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, व्यय को ₹1.83 करोड़ अधिक करके, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹1.83 करोड़ से कम करके और लाभ को ₹1.83 करोड़ कम करके दर्शाया गया है ।

ख. 3.3 पूर्व अवधि शुल्क: ₹5.27 करोड़

(i) उपर्युक्त में 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए जेएनपीटी-नेटवेयर कंप्यूटर्स में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का मूल्यह्रास ₹2.01 करोड़ शामिल नहीं है । यह कार्य 11 दिसंबर 2017 को पूरा हो गया था और उक्त कार्य के निमित्त ₹3.65 करोड़ की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई है। तथापि, ₹2.01 करोड़ का मूल्यह्रास पूर्व अवधि और ₹0.37 करोड़ का मूल्यह्रास वर्तमान वर्ष के व्यय पर प्रभारित करने के बजाय, इसने ₹2.38 करोड़ की मूल्यह्रास की संपूर्ण राशि वर्तमान वर्ष के व्यय पर प्रभारित की है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय को कम करके दिखाया गया है और मूल्यह्रास व्यय को ₹2.01 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है।

(ii) उपर्युक्त में 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए उत्तरी गेट के पास फ्लाईओवर के निर्माण के लिए परियोजना कार्य का मूल्यह्रास ₹ 0.53 करोड़ शामिल नहीं है। यह कार्य 15 मार्च 2020 को पूरा हो गया और उक्त कार्य के निमित्त ₹ 7.17 करोड़ की राशि को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है। तथापि, पूर्व अवधि में ₹ 0.53 करोड़ और वर्तमान वर्ष के व्यय में ₹ 0.18 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभारित करने के बजाय, इसने ₹ 0.71 करोड़ के मूल्यह्रास की पूरी राशि को वर्तमान वर्ष के व्यय के रूप में प्रभारित किया है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय को कम करके और वर्तमान वर्ष के व्यय को ₹ 0.53 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है।

(iii) उपरोक्त में ₹0.50 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो 2021-2022 से 2022-23 की अवधि के लिए उत्तरी गेट परिसर (आर 7-आर 8 कंटेनर रोड) की ओर जाने वाली चौड़ी सड़क पर डामर से सरफेसिंग/ विकास परियोजना का मूल्यह्रास है । यह कार्य 24 नवंबर 2021 को पूरा हो गया और उक्त कार्य के विरुद्ध 13.19 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई है । हालांकि, 0.50 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास पूर्व अवधि में और ₹0.32 करोड़ का मूल्यह्रास चालू वर्ष के व्यय में लगाने के बजाय, इसने ₹0.82 करोड़ की पूरी राशि को चालू वर्ष के व्यय के रूप में लगाया है । इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के व्यय को कम करके दिखाया गया है और चालू वर्ष के व्यय को ₹0.50 करोड़ से अधिक दिखाया गया है।

(iv) उपरोक्त में ₹1.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो एशिया इंडिया सबकॉन्टिनेंट (एआईएस) विंडो समझौते के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए लॉयल्टी बोनस की राशि है । इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय को बढ़ाकर दिखाया गया है और पूर्व अवधि के शुल्कों को कम करके दिखाया गया है।

ग. सामान्य

बीओटी ठेकों से आय (अनुसूची – 12) : रु. 1,969.48 करोड़

उपर्युक्त में 6 बीओटी प्रचालकों से प्राप्त रु. 1,725.39 करोड़ का राजस्व हिस्सा/रॉयल्टी आय शामिल है । छूट प्राप्त कर्ता के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार छूट प्राप्त कर्ता को बीओटी प्रचालक के सकल राजस्व पर आधारित रायल्टी अनुज्ञप्ति प्रदाता को देनी होगी । छूट प्राप्त कर्ता को उसके सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित वित्तीय विवरण पत्तन को प्रस्तुत करना होगा । छूट प्राप्त कर्ताओं (एक को छोड़कर) के साथ किए गए छूट करार के अनुसार पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के राजस्व आदि की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टरित लेखाकारों की एक अन्य फर्म (अतिरिक्त लेखा परीक्षक) नियुक्त करने का विकल्प है । यदि अतिरिक्त लेखा परीक्षक द्वारा सूचित सकल राजस्व बीओटी प्रचालक द्वारा सूचित राजस्व से अधिक पाया जाता है तो दोनों लेखा परीक्षक इस अंतर का पता लगाकर उसका समायोजन करेंगे । और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो छूट प्राप्तकर्ता अतिरिक्त लेखा परीक्षक द्वारा बताए गए सकल राजस्व पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा । छूट प्राप्त कर्ता अंतर की राशि पर एसबीआई पीएलआर पर 2 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज भी देगा । वर्ष 2019-20 की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जीटीआईपीएल से रु.34.30 करोड़ की राशि अंतर के रूप में वसूल की जानी है।

वर्ष 2023-24 की विशेष लेखा परीक्षा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखा परीक्षा वित्त वर्ष के दौरान दी गई रायल्टी की सत्यता को प्रमाणित करने में असमर्थ है।

साथ ही, अतिरिक्त लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, बीओटी प्रचालकों के साथ छूट करार के अनुसार विशेष लेखा परीक्षा की स्थिति और बीओटी ठेकों से आय में अंतर को मान्यता देने के प्रावधानों को राजस्व मान्यता नीति में प्रकट किया जाना चाहिए । इसी प्रकार के प्रेक्षण के उत्तर में कहा गया था कि प्रमुख प्रावधानों का विवरण दिया जाएगा किन्तु कोई विवरण नहीं दिया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2016-17 से यह मामला उठाया जा रहा है।

घ सहायता अनुदान

पत्तन के पास कोई भी अप्रयुक्त प्रारंभिक अनुदान नहीं है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

ङ प्रबंधन का पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से पत्तन के ध्यान में लाया गया है।

i) पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम यह कहते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत

तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और लाभ और हानि खाते लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

ii) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य देता है।

क) यह 31 मार्च 2024 तक के जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के तुलन पत्र से संबंधित है; और

ख) यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों से संबंधित है।

iii) 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाले खातों की समीक्षा अनुबंध-II में दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से

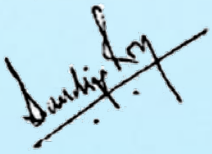

(संदीप रॉय)

महानिदेशक लेखापरीक्षक (पोत परिवहन),

मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09 अक्तूबर, 2024

अनुबंध – I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा मैसर्स ए जोन्स मोरिस एंड कंपनी को सौंपी गई (23 फरवरी, 2024) थी । पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है और चौथी तिमाही की प्रक्रिया जारी है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

i जेएनपीए द्वारा प्रस्तुत 20 बैंक खातों के संबंध में 31 मार्च 2024 को बैंक समाधान विवरण में 1999 से समायोजन के लिए लंबित कई मदों को दर्शाया गया है, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण की ओर इशारा करता है । इसे 2017-18 से पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उजागर किया जा रहा है लेकिन पत्तन ने अभी तक उचित निवारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

ii यूनियन बैंक और आईडीबीआई के बीआरएस में दो संदिग्ध प्रविष्टियाँ हैं । इन संदिग्ध हेड में मेसर्स इंटरओशन शिपिंग इंडिया से संबंधित ₹14.81 लाख और ₹17.84 लाख की दो प्रविष्टियाँ जनवरी 2019 से समाधान के लिए लंबित थीं । ये "बैंक द्वारा जमा की गई राशि लेकिन बैंक बुक में पहचानी नहीं गई" हेड के अंतर्गत हैं।

iii एंटवर्प पोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फाउंडेशन (एपेक) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बैंक खाता अब जेएनपीए द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि एपेक अपना खुद का वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है और उसका अलग बैंक खाता है । बीआरएस में ₹2.24 करोड़ की प्रविष्टियाँ थीं जो एपेक के साथ सुलह/निपटान के लिए लंबित हैं और 2016-2021 की अवधि से संबंधित हैं।

iv 31 मार्च 2024 तक विविध देनदारों और विविध लेनदारों से बकाया शेष राशि की पुष्टि पत्तन द्वारा प्राप्त नहीं की गई है (राजस्व कंटेनर टर्मिनल अनुभाग से दो पुष्टि पत्र) । उपर्युक्त के अभाव में, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले देनदारों और लेनदारों की राशि की सत्यता की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

v संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग को पूर्णता प्रमाण पत्र देरी से भेजे जाने के कारण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी हो रही है।

3. नियत परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2023-24 के दौरान 2022-23 के लिए संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया । केवल प यो वि, अस्पताल और अग्नि-समुद्री विभाग से संबंधित रिपोर्टें ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गईं । प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 -23 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में संपत्तियों के बुक बैलेंस और भौतिक रूप से उपलब्ध संपत्तियों के बीच तुलना नहीं दिखाई गई । उपरोक्त रिपोर्ट के अभाव में, लेखा परीक्षा यह आकलन नहीं कर सकी कि कोई विसंगतियां हैं या नहीं । इसके अलावा, संपत्तियों को कोड करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सत्यापित संपत्ति वही है जो संपत्ति रजिस्टर में उल्लिखित है ।

4. वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन

पत्तन ने 31 मार्च, 2024 तक की वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

पत्तन ने निर्विवाद सांविधिक देय राशियों का भुगतान नियिमत रूप से किया है ।

उप निदेशक

स्थल : मुंबई

दिनांक : 09 अक्टूबर, 2024

अनुबंध - II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जेएनपीए के 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लेखों की समीक्षा।

(लेखों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है।)

वित्तीय स्थिति :

31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही :

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
(क) देयताऐं			
पूंजी आरक्षित	3,608.32	3,609.44	3,609.66
अन्य आरक्षित	8,617.36	9,713.87	11,002.96
ऋण	2,008.07	1,703.38	0.00
आस्थगित कर देयताऐं	347.14	433.09	515.28
वर्तमान देयताऐं तथा प्रावधान	6,463.82	7,409.43	8,346.18
योग	**21,044.71**	**22,869.21**	**23,474.08**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	3,857.55	4,368.93	5,404.45
चालू कार्य	3,244.00	3,325.23	2,776.76
निवेश	611.95	685.86	596.78
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम	13,008.96	14,096.11	14,296.69
आस्थगित कर परिसम्पत्ति	243.2	316.15	324.6
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय	-	-	
नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड	26.1	23.98	21.85
दुर्घटना में नष्ट आरएमक्यूसी	52.95	52.95	52.95
वि. स्वै. से. नि. योजना व्यय			
योग	**21,044.71**	**22869.21**	**23,474.08**
कार्यचालन पूंजी *	6,545.14	6,686.69	5,950.51
निवल मूल्य **	12,225.68	13,323.32	14,612.62
नियोजित पूंजी***	10,402.69	11,055.62	11,354.96
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ****	7.74%	9.93%	11.86%
निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले)	805.41	1097.88	1346.55
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित)	13,646.68	14,380.85	14,131.72
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित)	5.90%	7.63%	9.53%

* कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई राशि को दिखाती है।

** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित तथा अधिशेष/घाटा को दिखाता है ।

*** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यचालन पूंजी को दिखाती है।

**** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष (विनियोजन से पहले) के प्रतिशत को दिखाता है ।

2.कार्यचालन परिणाम :-

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं :

विवरण			(करोड़ रुपयों में
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
राजस्व			
(i) प्रचालन आय	2,186.61	2546.23	2722.28
(ii) गैर-प्रचालन आय	290.4	325.48	426.9
योग	**2,477.01**	**2871.71**	**3149.18**
व्यय			
(i) प्रचालन व्यय	1,211.59	1209.68	958.33
(ii) गैर-प्रचालन व्यय	200.24	94.03	121.01
योग	**1,411.83**	**1303.71**	**1,079.34**
असाधारण मदें	215.92	13.29	43.17
पूर्व अवधि प्रभार	0.04	-23.42	5.27
कर से पहले निवल अधिशेष / (घाटा)	**1,065.14**	**1578.14**	**2,021.40**
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान	301.07	467.29	601.23
जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ	-41.19	13.00	73.74
जोड़ें : कल्याण निधि से आहरण	0.09	0.04	0.12
आधारिक संरचना आरक्षित निधि से आहरण	-	-	-
विनियोजन से पहले निवल अधिशेष / (घाटा)	**589.42**	**1097.88**	**1,346.55**
घटाएँ : आज्ञापक विनियोजन, आरक्षित निधियों में स्थानांतरण आदि	266.33	263.63	316.18
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/ घाटा	323.09	834.25	1,030.36
निवल अधिशेष/घाटे का प्रतिशत :			
(i) प्रचालन आय से	36.83	43.12	49.46
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियों से	20.88	25.13	24.92
(iii) निवल मूल्य से	6.59	8.24	9.21

3. अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता)

पत्तन प्राधिकरण की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों को नीचे दिखाया गया है :

विवरण		**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
क	वर्तमान देनदारियों (प्रावधानों सहित) से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	201.26%	190.25%	171.30%
ख	वर्तमान देनदारियों से शीघ्र परिसंपत्ति का प्रतिशत	234.09%	208.28%	240.80%
ग	प्रचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	35.97%	31.05%	28.75%
घ	पूंजी आरक्षित और सामान्य आरक्षित से ऋण का प्रतिशत	22.05%	30.35%	0.00%
ड	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत :			
	क) निवल मूल्य से	8.71%	11.84%	13.83%
	ख) नियोजित पूंजी से	10.24%	7.68%	14.30%
	ग) प्रचालन आय से	48.72%	61.98%	74.25%

उप निदेशक

स्थल : मुंबई

दिनांक : 09 अक्टूबर, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई टिप्पणियां

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
क. क.1 (i)	**तुलन-पत्र** **निधियों की प्रयोज्यता** **नियत परिसंपत्तियां** **चल रहे पूंजी कार्य- ₹2777.76 करोड़ (अनुसूची-3)** उपर्युक्त में ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर (DTCS) का मूल्य ₹5.01 करोड़ शामिल है। संतोषजनक परीक्षण के बाद, स्कैनर को 21 जनवरी 2023 को चालू किया गया, तथापि, इसे लेखा-बही में पूंजीकृत नहीं किया गया। पूर्ण किए गए कार्य का पूंजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप सकल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया है और चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹5.01 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है और मूल्यह्रास को भी कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹0.50 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है ।	5.01 करोड़ रुपये की राशि गलत सेवा-प्रविष्टि-पत्रक के कारण है, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 में पहले ही ठीक कर दिया गया है ।
(ii)	उपर्युक्त में आरएफआईडी आधारित गेट ऑटो मोशन सिस्टम के डिजाइन, विकास, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और अनुरक्षण का मूल्य ₹1.87 करोड़ शामिल है, जिसमें ऑनसाइट समर्थन और वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) के लिए ₹0.50 करोड़ शामिल हैं । यह कार्य 25 अगस्त 2016 को सौंपा गया था और अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र 17 अप्रैल 2019 को जारी किया गया था। उक्त कार्य का कुछ हिस्सा 2019-20 में पूंजीकृत किया गया था, तथापि, ₹1.37 करोड़ की राशि अभी भी पूंजीकृत की जानी है। पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने तथा ऑनसाइट एवं वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) प्रभार न लगाने के परिणामस्वरूप सकल नियत परिसंपत्तियों को ₹1.37 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹1.87 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है, व्यय को ₹0.50 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को ₹0.98 करोड़ कम करके दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹1.48 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है।	एसएपी परियोजना/डब्ल्यूबीएस की जांच करने पर यह पता चला कि लगभग 1.37 करोड़ रुपये पूंजीगत कार्य के लिए हैं, जिसे दस्तावेज संख्या 2401003594, 2401003593 के माध्यम से पूंजीकृत किया गया है और 0.50 करोड़ रुपये ऑनसाइट समर्थन और वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) के लिए हैं, जिसे दस्तावेज संख्या 2401003580 और 2401003581 के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
(iii)	उपर्युक्त में चिकेन रोड निर्माण का मूल्य ₹3.51 करोड़ शामिल है । चूंकि टर्मिनल को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन था, इसलिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के भागीदार ने वाहनों द्वारा टर्मिनल तक पहुँच बनाने के लिए अस्थायी सड़क (चिकाना रोड) का निर्माण किया । मई 2018 में, जब घाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क चालू हो गई, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा बनाई गई अस्थायी सड़क की वाहनों के आवागमन के लिए ज़रूरत नहीं थी । जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने अप्रैल 2023 में सड़क की लागत यथा ₹3.51 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। चूंकि सड़क अस्थायी आधार पर तैयार की गई थी और अब इस्तेमाल के लायक नहीं थी, इसलिए राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, चल रहे पूंजीगत कार्य और लाभ को ₹3.51 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है।	3.51 करोड़ रुपये राजस्व व्यय से संबंधित हैं और तदनुसार दस्तावेज़ संख्या 2401003579 और 2401003584 के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 में प्रविष्टि पारित की गई है ।
(iv)	उपर्युक्त में करलफाटा इंटरचेंज के निर्माण और जेएनपीए के चौथे टर्मिनल (चरण II) से संयोजकता (कनेक्टिविटी) का मूल्य ₹67.47 करोड़ शामिल है । यह कार्य 30 जून 2021 को पूरा हुआ । पत्तन ने इसका पूंजीकरण नहीं किया है। पत्तन की लेखा-नीति संख्या 2(डी) के अनुसार, परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल परियोजना के कार्यान्वयन की देख-रेख करने वाले विभाग से कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने या परिसंपत्तियों की खरीद पर ही किया जाता है । लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर परिसंपत्तियों को मान्यता देने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2(डी) लेखांकन मानक 10 के अनुरूप नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को मान्यता दी जानी चाहिए यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है । लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यथा, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है ।	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक " करलफाटा इंटरचेंज और जेएनपीए के चौथे टर्मिनल (चरण II) से संयोजकता (कनेक्टिविटी) " के लिए कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। पत्तन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 24 के " नियत परिसंपत्ति " शीर्षक वाले बिंदु संख्या 2 (डी) में यह भी खुलासा किया है कि, "परिसंपत्तियों को केवल परियोजना के कार्यान्वयन या परिसंपत्ति की खरीद की देखरेख करने वाले विभाग से कार्य-समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पूंजीकृत किया जाता है"। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पत्तन ने अपनी पूर्वोक्त लेखांकन नीति पर विचार करते हुए परियोजना व्यय को सही ढंग से पूंजीकृत नहीं किया है।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
(iv)	पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप, सकल नियत परिसंपत्तियों को ₹67.47 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹67.47 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है, पूर्व-अवधि प्रभारों को ₹3.38 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को ₹1.69 करोड़ कम करके दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹5.07 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है ।	लेखा मानक 10 के अनुरूप न होने के कारण, केवल कार्य-समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर परिसंपत्तियों को मान्यता देने संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2 (डी) के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संदर्भ में, जेएनपीए ने वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखो का हिस्सा बनने वाले लेखो पर टिप्पणियों के बिंदु संख्या 33 में पहले ही कहा है कि वार्षिक लेखे पहले के प्रारूप में तैयार किए जाते हैं जैसा कि बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित किया गया है क्योंकि महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत वार्षिक लेखो के लिए संशोधित प्रारूप भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के परामर्श से मंत्रालय द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत अनिवार्य कर दिया गया है और वार्षिक लेखो के लिए संशोधित प्रारूप प्राप्त होने पर महापत्तनों द्वारा इसका पालन किया जाएगा। नए प्रारूप की प्राप्ति तक, पत्तन कार्य-समापन प्रमाणपत्र नीति प्राप्त होने पर परिसंपत्तियों के पूंजीकरण सहित लेखांकन प्रथाओं का पालन करेगा, जिसका पालन शुरू से ही किया जाता रहा है और बिलिमोरिया रिपोर्ट के अनुसार जिसके तहत वर्तमान वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं। इस प्रकार, सकल नियत परिसंपत्तियों को ₹67.47 करोड़ कम करके नहीं दर्शाया गया है, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹67.47 करोड़ अधिक करके नहीं दर्शाया गया है, पूर्व अवधि प्रभारों को ₹3.38 करोड़ कम करके नहीं दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को ₹1.69 करोड़ कम करके नहीं दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹5.07 करोड़ अधिक करके नहीं दर्शाया गया है।
(v)	उपर्युक्त में तटीय घाट के लिए चैनल के नौवहन क्षेत्र को गहरा करने का मूल्य ₹47.47 करोड़ शामिल है। यह कार्य मई 2022 में पूरा हुआ और मई 2023 में उपयोग के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सहभागिता प्रचालक (पीपीपी ऑपरेटर) को सौंप दिया गया। पत्तन ने इसे पूंजीकृत नहीं किया है। पत्तन की लेखा-नीति संख्या 2(डी) के अनुसार, परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल परियोजना के कार्यान्वयन की देख-रेख करने वाले विभाग से कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने या परिसंपत्तियों की खरीद पर ही किया जाता है।	तटीय घाट के लिए चैनल के नौवहन क्षेत्र को गहरा करना' उक्त के लिए कार्य-समापन प्रमाणपत्र वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक जारी नहीं किया गया था। पत्तन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 24 के " नियत परिसंपत्ति " शीर्षक वाले बिंदु संख्या 2 (डी) में यह भी खुलासा किया है कि, "परिसंपत्तियों को केवल परियोजना के कार्यान्वयन या परिसंपत्ति की खरीद की देखरेख करने वाले विभाग से कार्य-समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पूंजीकृत किया जाता है"।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
(v)	लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल कार्य-समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर परिसंपत्तियों को मान्यता देने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2(डी) लेखांकन मानक 10 के अनुरूप नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को मान्यता दी जानी चाहिए यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यथा, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। इस प्रकार, पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप सकल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दर्शाया गया है, चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹47.47 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है, मूल्यह्रास को कम करके दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹0.47 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है।	लेखा मानक 10 के अनुरूप न होने के कारण, केवल कार्य-समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर परिसंपत्तियों को मान्यता देने संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2 (डी) के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संदर्भ में, जेएनपीए ने वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखो का हिस्सा बनने वाले लेखो पर टिप्पणियों के बिंदु संख्या 33 में पहले ही कहा है कि वार्षिक लेखे पहले के प्रारूप में तैयार किए जाते हैं जैसा कि बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित किया गया है क्योंकि महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत वार्षिक लेखो के लिए संशोधित प्रारूप भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के परामर्श से मंत्रालय द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत अनिवार्य कर दिया गया है और वार्षिक लेखो के लिए संशोधित प्रारूप प्राप्त होने पर महापत्तनों द्वारा इसका पालन किया जाएगा। नए प्रारूप की प्राप्ति तक, पत्तन कार्य-समापन प्रमाणपत्र नीति प्राप्त होने पर परिसंपत्तियों के पूंजीकरण सहित लेखांकन प्रथाओं का पालन करेगा, जिसका पालन शुरू से ही किया जाता रहा है और बिलिमोरिया रिपोर्ट के अनुसार जिसके तहत वर्तमान वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पत्तन ने अपनी पूर्वोक्त लेखांकन नीति पर विचार करते हुए परियोजना व्यय को सही ढंग से पूंजीकृत नहीं किया है। इस प्रकार, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को 47.47 करोड़ रुपये अधिक करके नहीं दर्शाया गया है, नियत परिसंपत्ति को 47.47 करोड़ रुपये कम करके नहीं दर्शाया गया है, वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास को 0.47 करोड़ रुपये कम करके नहीं दर्शाया गया है , वर्तमान वर्ष के लिये लाभ को 0.47 करोड़ रुपये अधिक करके नहीं दर्शाया गया है । तथापि, अब कार्य-समापन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और 45.07 करोड़ रुपये की सीमा तक की संपत्ति को पहले ही वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दस्तावेज संख्या 2401003597 और 2401003598 के माध्यम से पूंजीकृत किया जा चुका है।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
क.2	**चल परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-6)** **निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज - ₹ 195.03 करोड़** **रोकड़ और बैंक शेष (बैंकों में सावधि जमा रसीदों सहित) - ₹ 5602.41 करोड़** उपर्युक्त में ₹67.59 करोड़ की राशि शामिल है, जो सावधि जमा (12 फरवरी 2014) बनाने के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को हस्तांतरित की गई थी और 31 मार्च 23 तक उस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹89.06 करोड़ थी। पत्तन को कोई भी सावधि जमा रसीद जारी किए जाने से पहले, बैंक के एक कर्मचारी द्वारा मूलधन की राशि का दुरुपयोग किया गया था और मामला सीबीआई द्वारा जांच के अधीन है। अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) में एक मामला दायर किया गया था और एनसीडीआरसी ने मार्च 2023 में इसे खारिज कर दिया । उसी पर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है । 10 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, जेएनपीए के पास 67.59 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीद नहीं है, मामला सीबीआई के पास जांच के अधीन है और एनसीडीआरसी ने अपील को खारिज कर दिया है, संदिग्ध निवेश और उस पर ब्याज के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था । निवेश की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ को ₹156.65 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया, रोकड़ और बैंक शेष को ₹67.59 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया तथा निवेश पर प्रोदभूत ब्याज को ₹89.06 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया। यह प्रेक्षण 2013-14 से पृथक लेखापरीक्षा में शामिल किया जा रहा है ।	मामला न्यायालय में विचाराधीन है और 05 अक्टूबर, 2016 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से मूलधन और उस पर ब्याज की वसूली के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) में मामला दायर किया गया है। विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, जहां एक निश्चित आय के संग्रहण की उचित निश्चितता है और उक्त आय को उचित सीमा के भीतर मापा जा सकता है, उसे राजस्व के रूप में मान्यता दी जा सकती है। पत्तन को विश्वास है कि ब्याज सहित मूलधन की पूरी तरह से वसूली कर ली जाएगी। इसलिए, संदिग्ध निवेश और प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह कानूनी रूप से वसूली योग्य है। यह भी कहा गया है कि 67.59 करोड़ रुपये की मूलधन की राशि फरवरी 2014 में ओबीसी के पास सावधि जमा में कुल 180 करोड़ रुपये के निवेश का एक अभिन्न अंग है। जेएनपीए को पहले ही 112.41 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इस प्रकार, 67.59 करोड़ रुपये की शेष मूलधन की राशि अभी भी ओबीसी से प्राप्त होने वाली है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जेएनपीए को सामान्य विवेकपूर्ण अभ्यास के अनुसार ओबीसी से कुल ब्याज के साथ मूलधन की राशि प्राप्त होने तक उद्भूत ब्याज दर पर ब्याज लगाने की आवश्यकता है। चूंकि सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में किया गया है, इसलिए जेएनपीए को उक्त दावा राशि मिलने का भरोसा है। तथापि, 22.03.2023 को माननीय एनसीडीआरसी ने उपभोक्ता शिकायत संख्या 1564/2016 जेएनपीए बनाम ओबीसी के मामले में निर्णय दिया है कि शिकायत को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज किया जाता है तथा अपेक्षित राहत के लिए उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। जेएनपीए ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील (डायरी) संख्या 17382/2023 दायर करके उक्त निर्णय को चुनौती दी है और इसके साथ-साथ, जेएनपीए उच्च न्यायालय के समक्ष वसूली मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
क.2		ओबीसी के पास एफडी और उस पर कुल 156.65 करोड़ रुपये के ब्याज के लिए प्रावधान न करने के संबंध में (वित्त वर्ष 2013-14 से 31 मार्च 2022 तक ओबीसी से 67.59 करोड़ रुपये की मूलधन की राशि और उस पर 89.06 करोड़ रुपये का ब्याज वसूला जाना है), जेएनपीए ने लॉ प्वाइंट, दिल्ली से राय मांगी है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ओबीसी मामले को देख रहे हैं। लॉ प्वाइंट, दिल्ली ने 02.04.2024 के अपने ईमेल के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया है और कहा है कि: "यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान राय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है कि जेएनपीए को इन राशियों का भुगतान करने के लिए ओबीसी की देयता का मुद्दा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए, इन राशियों के संसाधन (ट्रीटमेंट) का कोई अंतिम निर्धारण अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त राशि का संसाधन (ट्रीटमेंट) एक ऐसा प्रश्न है जो एक लेखाकार (एकाउंटेंट) के अधिकार क्षेत्र में है, जिसे लेखा मानकों के अनुसार जेएनपीए के तुलन पत्र / वार्षिक लेखो / वार्षिक रिपोर्ट में उक्त राशि को पर्याप्त संसाधन (ट्रीटमेंट) देना है। ऐसा करते समय, लेखाकार (एकाउंटेंट) को जेएनपीए के हितों की रक्षा करनी होगी ताकि तुलन पत्र / वार्षिक लेखो / वार्षिक रिपोर्ट में दिखाई गई प्रविष्टि यह न दिखाए कि जेएनपीए ने ओबीसी के खिलाफ अपना दावा छोड़ दिया है। लेखाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि तुलन पत्र / वार्षिक लेखो /वार्षिक रिपोर्ट में जो भी व्यवस्था की गई है, उसका जेएनपीए और ओबीसी के बीच चल रहे कानूनी मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जेएनपीए के पास अपने पक्ष में गुण (मेरिटस) के आधार पर एक बहुत मजबूत मामला है और सफलता की संभावना है क्योंकि माना जाता है कि ओबीसी को अपने खाते में राशि प्राप्त हुई थी और ओबीसी और उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही हुई थी। उपर्युक्त कानूनी राय के मद्देनजर, पत्तन ने ओबीसी के पास जमा शेष राशि यथा 67.59 करोड़ रुपये और उस पर प्रोद्त ब्याज यथा 89.05 करोड़ रुपये, यथा 2021-22 तक कुल 156.65 करोड़ रुपये के लिए प्रावधान नहीं किया है। ओबीसी निवेश के गैर-प्रावधान के संबंध में उपर्युक्त कानूनी सलाह के मद्देनजर, उक्त प्रेक्षण को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
क.3	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ,** **ऋण और अग्रिम (अनुसूची-6)** **ऋण और अग्रिम ₹ 7706.81 करोड़** **ठेकेदारों को अग्रिम: ₹ 352.24 करोड़** **आकस्मिक अग्रिम बिल अनुभाग ₹ 43.45 करोड़** उपर्युक्त में 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम ₹ 2.56 करोड़ शामिल हैं। जेएनपीए ने 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि के लिए ₹ 15.35 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली है, लेकिन पूरी राशि ठेकेदारों को अग्रिम के तहत दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप भुगतान किए गए अग्रिम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, व्यय को कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹ 2.56 करोड़ से अधिक करके दिखाया गया है।	1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 2.56 करोड़ रुपये की सीमा तक बीमा प्रीमियम व्यय को दस्तावेज़ संख्या 2401002662 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में पूर्व अवधि व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।
ख. ख.1	**लाभ और हानि खाता** **बीओटी ठेकों से आय (अनुसूची 12): ₹1969.48 करोड़** **(ए) बीएमसीटीपीएल से आय ₹561.14 करोड़** **अन्य प्रभार बीएमसीटीपीएल- ₹19.69 करोड़** इसमें मार्च 2024 के महीने के लिए पर्यवेक्षण और प्रशासन प्रभार का मूल्य ₹0.60 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, बीएमसीटीपीएल से प्राप्य राशियों को कम करके दिखाया गया और लाभ को ₹0.60 करोड़ से कम करके दिखाया गया।	मार्च 2024 के महीने के लिए पर्यवेक्षण और प्रशासन प्रभार से 0.60 करोड़ रुपये की आय 26 जून 2024 को यथा वित्त वर्ष 2024-25 में चालान संख्या 2425000970 के माध्यम से दर्ज की गई।
	(बी)एनएसएफटीपीएल से आय: ₹34.34 करोड़ **एनएसएफटीपीएल से अन्य प्रभार: ₹4.60 करोड़** **अग्रिम में बिल की गई आय: ₹508.16 करोड़** उपर्युक्त में वर्ष 2023-24 के लिए पीपीपी ऑपरेटर मेसर्स न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसएफटीपीएल) से प्राप्त होने वाले अग्रिम शुल्क के कारण ₹2.11 करोड़ शामिल नहीं हैं। ₹9.39 करोड़ के आनुपातिक अग्रिम शुल्क के मुकाबले, वर्ष के लिए केवल ₹7.28 करोड़ को आय के रूप में मान्यता दी गई है। अग्रिम शुल्क की कम मान्यता के परिणामस्वरूप आय और लाभ को कम करके दिखाया गया है और 'अग्रिम में बिल की गई आय' (वर्तमान देनदारियों) को ₹2.11 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसी तरह, वर्ष 2022-23 के लिए, पत्तन ने ₹1.26 करोड़ की राशि के मुकाबले ₹0.58 करोड़ की राशि को मान्यता दी थी। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि आय व लाभ तथा 'अग्रिम में बिल की गई आय' (वर्तमान देनदारियाँ) को ₹0.68 करोड़ कम करके दर्शाया गया था।	इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दस्तावेज़ संख्या 2401003599, 2401003600 और 2401003607 के तहत आवश्यक सुधार प्रविष्टि कर की गई है।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
ख. 2	**कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय (अनुसूची 14) ₹155.43 करोड़** उपर्युक्त में 30 जून 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए तीन मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग (एमएक्ससीएस) प्रणालियों के अनुरक्षण प्रभार के रूप में ₹2 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹2 करोड़ से अधिक करके दिखाया गया है।	वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) प्रभारों के प्रति देयता का प्रावधान न होने की बात सामने आई है। उपयोगकर्ता विभाग से पुष्टि के बाद वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।
ख. 3 ख. 3.1	**प्रचालन अधिशेष:** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 6)** **ठेकेदारों को अग्रिम: ₹ 352.24 करोड़** **आय और व्यय खाता** **वित्त और विविध व्यय: ₹ 121 करोड़** उपर्युक्त में चौथी तिमाही यथा जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक भुगतान किए गए स्कूल-संचालन से संबंधित व्यय का मूल्य ₹1.06 करोड़ शामिल नहीं है। तथापि, यह राशि 'ठेकेदार को अग्रिम' शीर्षक के तहत पार्टी अग्रिम के रूप में दिखाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 'ठेकेदार को अग्रिम' को अधिक करके दिखाया गया, व्यय को कम करके दिखाया गया और लाभ को ₹1.06 करोड़ अधिक करके दिखाया गया।	वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए स्कूल संचालन व्यय को दस्तावेज़ संख्या 2438000485 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में पूर्व अवधि व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।
ख. 3.2	**वित्त और विविध व्यय: ₹ 121 करोड़** उपर्युक्त में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन , निर्यातोन्मुखी कृषि प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्य ₹1.83 करोड़ शामिल है। व्यवहार्यता सह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार्य पाया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर ₹1.83 करोड़ का व्यय उपर्युक्त शीर्ष के तहत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे इसके बजाय प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, व्यय को ₹1.83 करोड़ अधिक करके, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹1.83 करोड़ से कम करके और लाभ को ₹1.83 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।	लेखांकन प्रविष्टि सही है क्योंकि परियोजना को पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए व्यय को ₹1.83 करोड़ अधिक करके , प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹1.83 करोड़ कम करके तथा लाभ को ₹1.83 करोड़ कम करके नहीं दर्शाया गया है।

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
ख. 3.3 (i)	**पूर्व अवधि शुल्क: ₹5.27 करोड़** उपर्युक्त में 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए जेएनपीटी-नेटवेयर कंप्यूटर्स में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का मूल्यह्रास ₹2.01 करोड़ शामिल नहीं है । यह कार्य 11 दिसंबर 2017 को पूरा हो गया था और उक्त कार्य के निमित्त ₹3.65 करोड़ की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई है। तथापि, ₹2.01 करोड़ का मूल्यह्रास पूर्व अवधि और ₹0.37 करोड़ का मूल्यह्रास वर्तमान वर्ष के व्यय पर प्रभारित करने के बजाय, इसने ₹2.38 करोड़ की मूल्यह्रास की संपूर्ण राशि वर्तमान वर्ष के व्यय पर प्रभारित की है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय को कम करके दिखाया गया है और मूल्यह्रास व्यय को ₹2.01 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है।	जेएनपीए ने अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां-अनुसूची 24 में कहा है कि नियत परिसंपत्तियों को परियोजना की देखरेख करने वाले विभाग से कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पूंजीकृत किया जाएगा और इसलिए उपर्युक्त परिसंपत्तियों को उनके कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीकृत किया गया है। इसके मद्देनजर, पूर्व अवधि व्यय को ₹2.01 करोड़ कम करके नहीं दिखाया गया है और वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय को समान राशि से अधिक करके नहीं दिखाया गया है।
(ii)	उपर्युक्त में 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए उत्तरी गेट के पास फ्लाईओवर के निर्माण के लिए परियोजना कार्य का मूल्यह्रास ₹ 0.53 करोड़ शामिल नहीं है। यह कार्य 15 मार्च 2020 को पूरा हो गया और उक्त कार्य के निमित्त ₹ 7.17 करोड़ की राशि को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है। तथापि, पूर्व अवधि में ₹ 0.53 करोड़ और वर्तमान वर्ष के व्यय में ₹ 0.18 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभारित करने के बजाय, इसने ₹ 0.71 करोड़ के मूल्यह्रास की पूरी राशि को वर्तमान वर्ष के व्यय के रूप में प्रभारित किया है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय को कम करके और वर्तमान वर्ष के व्यय को ₹ 0.53 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है।	जेएनपीए ने अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां-अनुसूची 24 में कहा है कि नियत परिसंपत्तियों को परियोजना की देखरेख करने वाले विभाग से कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पूंजीकृत किया जाएगा और इसलिए उपर्युक्त परिसंपत्तियों को उनके कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीकृत किया गया है। इसके मद्देनजर, पूर्व अवधि व्यय को ₹0.53 करोड़ कम करके नहीं दिखाया गया है और वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय को समान राशि से अधिक करके नहीं दिखाया गया है।

ग.	**सामान्य** **बीओटी ठेकों से आय रु. 1,969.48 करोड़** **(अनुसूची – 12)** उपर्युक्त में 6 बीओटी प्रचालकों से प्राप्त रु. 1,725.39 करोड़ का राजस्व हिस्सा/रॉयल्टी आय शामिल है । छूट प्राप्त कर्ता के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार छूट प्राप्त कर्ता को बीओटी प्रचालक के सकल राजस्व पर आधारित रायल्टी अनुज्ञप्ति प्रदाता को देनी होगी । छूट प्राप्त कर्ता को उसके सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित वित्तीय विवरण पत्तन को प्रस्तुत करना होगा । छूट प्राप्त कर्ताओं (एक को छोड़कर) के साथ किए गए छूट करार के अनुसार पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के राजस्व आदि की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टरित लेखाकारों की एक अन्य फर्म (अतिरिक्त लेखा परीक्षक) नियुक्त करने का विकल्प है । यदि अतिरिक्त लेखा परीक्षक द्वारा सूचित सकल राजस्व बीओटी प्रचालक द्वारा सूचित राजस्व से अधिक पाया जाता है तो दोनों लेखा परीक्षक इस अंतर का पता लगाकर उसका समायोजन करेंगे । और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो छूट प्राप्तकर्ता अतिरिक्त लेखा परीक्षक द्वारा बताए गए सकल राजस्व पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा । छूट प्राप्त कर्ता अंतर की राशि पर एसबीआई पीएलआर पर 2 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज भी देगा । वर्ष 2019-20 की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जीटीआईपीएल से रु.34.30 करोड़ की राशि अंतर के रूप में वसूल की जानी है । वर्ष 2023-24 की विशेष लेखा परीक्षा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखा परीक्षा वित्त वर्ष के दौरान दी गई रायल्टी की सत्यता को प्रमाणित करने में असमर्थ है । साथ ही, अतिरिक्त लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, बीओटी प्रचालकों के साथ छूट करार के अनुसार विशेष लेखा परीक्षा की स्थिति और बीओटी ठेकों से आय में अंतर को मान्यता देने के प्रावधानों को राजस्व मान्यता नीति में प्रकट किया जाना चाहिए । इसी प्रकार के प्रेक्षण के उत्तर में कहा गया था कि प्रमुख प्रावधानों का विवरण दिया जाएगा किन्तु कोई विवरण नहीं दिया गया । लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2016-17 से यह मामला उठाया जा रहा है ।	सभी चार बीओटी प्रचालकों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 तक के लिए विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बीओटी प्रचालकों के लेखा परीक्षा किए गए वार्षिक लेखों को अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाता है; इसके बाद ही विशेष लेखा परीक्षा शुरू हो सकती हैं । इसलिए, अंतरिम उपाय के रूप में संबंधित बीओटी टर्मिनल के वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र पर भरोसा करना समझदारी है । जेएनपीए अतिरिक्त/विशेष लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, रियायत समझौतों के अनुसार अपने बीओटी प्रचालकों के लिए विशेष लेखा परीक्षा की स्थिति और राजस्व मान्यता नीति के तहत विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्टों से उत्पन्न होने वाली अंतर आय की मान्यता के संबंध में मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करेगा । वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स एनएसआईजीटी और मेसर्स जीटीआई की विशेष लेखा परीक्षा को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसकी विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट निवासी लेखा परीक्षा कार्यालय को सौंप दी गई है । मेसर्स जीटीआई से वसूल की जाने वाली 34.30 करोड़ रुपये की अंतर राशि के संदर्भ में मामला सुलह और निपटान समिति के पास लंबित है ।
घ	**सहायता अनुदान** पत्तन के पास कोई भी अप्रयुक्त प्रारंभिक अनुदान नहीं है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ।	तथ्यात्मक

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
ख. 3.3 (v)	(iii) उपरोक्त में ₹0.50 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो 2021-2022 से 2022- 23 की अवधि के लिए उत्तरी गेट परिसर (आर 7-आर 8 कंटेनर रोड) की ओर जाने वाली चौड़ी सड़क पर डामर से सरफेसिंग/विकास परियोजना का मूल्यह्रास है । यह कार्य 24 नवंबर 2021 को पूरा हो गया और उक्त कार्य के विरुद्ध 13.19 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई है। हालांकि, 0.50 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास पूर्व अवधि में और ₹0.32 करोड़ का मूल्यह्रास चालू वर्ष के व्यय में लगाने के बजाय, इसने ₹0.82 करोड़ की पूरी राशि को चालू वर्ष के व्यय के रूप में लगाया है । इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के व्यय को कम करके दिखाया गया है और चालू वर्ष के व्यय को ₹0.50 करोड़ से अधिक दिखाया गया है।	जेएनपीए ने अपने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - अनुसूची 24 में कहा है कि अचल संपत्तियों को परियोजना की देखरेख करने वाले विभाग से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पूंजीकृत किया जाएगा और इसलिए उपरोक्त संपत्तियों को उनके पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीकृत किया गया है । इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली अवधि के व्यय को ₹0.50 करोड़ से कम करके नहीं दिखाया गया है और चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय को समान राशि से अधिक करके नहीं दिखाया गया है।
(iv)	उपरोक्त में ₹1.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो एशिया इंडिया सबकॉन्टिनेंट (एआईएस) विंडो समझौते के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए लॉयल्टी बोनस की राशि है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय को बढ़ाकर दिखाया गया है और पूर्व अवधि के शुल्कों को कम करके दिखाया गया है।	उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जाता है कि आपकी टिप्पणियों को अच्छी तरह से नोट किया गया है, और पत्तन भविष्य में पूर्व अवधि के व्यय की पहचान करने और वित्तीय विवरणों में उनके सही वर्गीकरण में उचित सावधानी बरतेगा ।

ङ	**प्रबंधन का पत्र** पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से पत्तन के ध्यान में लाया गया है । i) पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम यह कहते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और लाभ और हानि खाते लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं । ii) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य देता है । क) यह 31 मार्च 2024 तक के जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के तुलन पत्र से संबंधित है; और ख) यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों से संबंधित है। iii) 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाले खातों की समीक्षा **अनुबंध-II** में दी गई है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से (संदीप रॉय) महानिदेशक लेखापरीक्षक (पोत परिवहन), मुंबई स्थान : मुंबई दिनांक : 09 अक्तूबर, 2024	

अनुबंध – I

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
01.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा मैसर्स ए जोन्स मोरिस एंड कंपनी को सौंपी गई (23 फरवरी, 2024) थी । पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है और चौथी तिमाही की प्रक्रिया जारी है।	वित्त वर्ष 2023-24 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा को सौंप दी गई है । चौथी तिमाही की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है और उसे नियत समय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

02.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**	
i	जेएनपीए द्वारा प्रस्तुत 20 बैंक खातों के संबंध में 31 मार्च 2024 को बैंक समाधान विवरण में 1999 से समायोजन के लिए लंबित कई मदों को दर्शाया गया है, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण की ओर इशारा करता है । इसे 2017-18 से पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उजागर किया जा रहा है लेकिन पत्तन ने अभी तक उचित निवारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।	यह कहा जाता है कि 117.29 करोड़ रुपये की कुल लंबित प्रविष्टियों (31 मार्च, 2024 तक बीआरएस) में से, आज की तारीख तक 59.72 करोड़ रुपये की प्रविष्टियों का पहले ही समाधान कर दिया गया है । समाधान की गई कुल राशि का प्रतिशत 50.92% है। बैंक समाधान एक सतत प्रक्रिया है और पत्तन नियमित आधार पर इसे सुलझाने के प्रयास कर रहा है ।
ii	यूनियन बैंक और आईडीबीआई के बीआरएस में दो संदिग्ध प्रविष्टियाँ हैं । इन संदिग्ध हेड में मेसर्स इंटरओशन शिपिंग इंडिया से संबंधित ₹14.81 लाख और ₹17.84 लाख की दो प्रविष्टियाँ जनवरी 2019 से समाधान के लिए लंबित थीं । ये "बैंक द्वारा जमा की गई राशि लेकिन बैंक बुक में पहचानी नहीं गई" हेड के अंतर्गत हैं ।	यह कहा जाता है कि 14.81 लाख रुपये और 17.84 लाख रुपये की लंबित दो प्रविष्टियों की पहचान की गई है और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में सैप (एसएपी) दस्तावेज़ 2427004589 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से दर्ज किया गया है ।
iii	एंटवर्प पोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फाउंडेशन (एपेक) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बैंक खाता अब जेएनपीए द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि एपेक अपना खुद का वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है और उसका अलग बैंक खाता है । बीआरएस में ₹2.24 करोड़ की प्रविष्टियाँ थीं जो एपेक के साथ सुलह/ निपटान के लिए लंबित हैं और 2016-2021 की अवधि से संबंधित हैं।	एपेक एक अलग कानूनी इकाई है और इसका एक अलग बैंक खाता है । जेएनपीए एपेक बैंक खाते में जमा 7.44 लाख रुपये की राशि को एपेक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है और सैप दस्तावेज़ संख्या 2436002533 और 2436002535 के अनुसार बैंक समाधान विवरण में 2.24 करोड़ रुपये की प्रविष्टियों सहित सभी लंबित मदों का समाधान करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ पारित कर दी गई हैं ।
iv	31 मार्च 2024 तक विविध देनदारों और विविध लेनदारों से बकाया शेष राशि की पुष्टि पत्तन द्वारा प्राप्त नहीं की गई है (राजस्व कंटेनर टर्मिनल अनुभाग से दो पुष्टि पत्र) । उपर्युक्त के अभाव में, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले देनदारों और लेनदारों की राशि की सत्यता की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।	पत्तन ने शेष राशि की पुष्टि से संबंधित वर्ष के अंत की पुष्टि प्रक्रिया का पालन किया है, जहाँ सभी पत्तन उपभोक्ताओं शेष राशि की पुष्टि के लिए ईमेल भेजे गए थे, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे अपने लेखों में जेएनपीए खाते के विरुद्ध शेष राशि की पुष्टि करें । उपभोक्ताओं से आज तक प्राप्त सभी पुष्टियाँ लेखा परीक्षा कार्यालय को भेज दी गई हैं । अत: पत्तन ने शेष राशि की पुष्टि की वर्ष के अंत की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया है ।
v	संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग को पूर्णता प्रमाण पत्र देरी से भेजे जाने के कारण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी हो रही है ।	वित्त विभाग ने परियोजनाओं की स्थिति और उसके बाद परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में सभी संबंधित विभागों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है ।

03.	**नियत परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन** वर्ष 2023-24 के दौरान 2022-23 के लिए संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया । केवल प यो वि, अस्पताल और अग्नि-समुद्री विभाग से संबंधित रिपोर्टें ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गईं । प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 -23 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में संपत्तियों के बुक बैलेंस और भौतिक रूप से उपलब्ध संपत्तियों के बीच तुलना नहीं दिखाई गई । उपरोक्त रिपोर्ट के अभाव में, लेखा परीक्षा यह आकलन नहीं कर सकी कि कोई विसंगतियां हैं या नहीं । इसके अलावा, संपत्तियों को कोड करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सत्यापित संपत्ति वही है जो संपत्ति रजिस्टर में उल्लिखित है ।	वित्त विभाग ने 31 मार्च 2023 तक प यो वि विभाग और अग्नि एवं सुरक्षा विभाग द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रस्तुत किया है । शेष परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन जारी पर है और नियत समय में प्रस्तुत किया जाएगा । इसके अलावा, पत्तन अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने और पेशेवरों की नियुक्ति के माध्यम से उन्हें कोड करने की प्रक्रिया में है और नियत समय में प्रक्रिया पूरी कर लेगा ।
04.	**वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन** पत्तन ने 31 मार्च, 2024 तक की वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सम्यापन किया है ।	तथ्यात्मक
05.	**सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता** पत्तन ने निर्विवाद सांविधिक देय राशियों का भुगतान नियिमत रूप से किया है ।	तथ्यात्मक

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध - II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जेएनपीए के 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लेखों की समीक्षा ।

(लेखों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है।)

वित्तीय स्थिति :

31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही :

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
(क) देयताऐं			
पूंजी आरक्षित	3,60832.	3,60944.	3,60966.
अन्य आरक्षित	8,61736.	9,71387.	11,00296.
ऋण	2,00807.	1,70338.	000.
आस्थगित कर देयताऐं	34714.	43309.	51528.
वर्तमान देयताऐं तथा प्रावधान	6,46382.	43.7,409	8,34618.
योग	21,04471.	22,86921.	23,47408.
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	3,85755.	4,36893.	5,40445.
चालू कार्य	3,24400.	3,32523.	2,77676.
निवेश	61195.	68586.	59678.
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम	13,00896.	14,09611.	14,29669.
आस्थगित कर परिसम्पत्ति	2432.	31615.	3246.
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय	-	-	
नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड	261.	2398.	2185.
दुर्घटना में नष्ट आरएमक्यूसी	5295.	5295.	5295.
वि. स्वै. से. नि. योजना व्यय			
योग	21,04471.	2286921.	23,47408.
कार्यचालन पूंजी *	6,54514.	6,68669.	5,95051.
निवल मूल्य **	12,22568.	13,32332.	14,61262.
नियोजित पूंजी***	10,40269.	11,05562.	11,35496.
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ****	7%74.	%93.9	11%86.
निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले)	80541.	109788.	134655.
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित)	13,64668.	14,38085.	14,13172.
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित)	5%90.	%63.7	9%53.

वित्तीय स्थिति :

31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही :

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
(क) देयताऐं			
पूंजी आरक्षित	3,608.32	3,609.44	3,609.66
अन्य आरक्षित	8,583.11	9,669.98	11,002.96
ऋण	2,00807.	1,70338.	000.
आस्थगित कर देयताऐं	34714.	43309.	51528.
वर्तमान देयताऐं तथा प्रावधान	6,498.08	7,453.32	8,34618.
योग	21,04471.	22,86921.	23,47408.
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	3,85755.	4,36893.	5,40445.
चालू कार्य	3,24400.	3,32523.	2,77676.
निवेश	61195.	68586.	59678.
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम	13,00896.	14,09611.	14,29669.
आस्थगित कर परिसम्पत्ति	2432.	31615.	3246.
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय			
नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड	261.	2398.	2185.
दुर्घटना में नष्ट आरएमक्यूसी	5295.	5295.	5295.
वि. स्वै. से. नि. योजना व्यय			
योग	21,04471.	22,86921.	23,47408.
कार्यचालन पूंजी *	6,510.88	6,642.80	5,95051.
निवल मूल्य **	12,191.42	13,279.43	14,61262.
नियोजित पूंजी***	10,368.43	11,011.73	11,35496.
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ****	5.68%	9.97%	11%86.
निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले)	589.42	109788.	134655.
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित)	13,612.43	14,336.96	14,13172.
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित)	4.33%	7.66%	9%53.

* कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई
राशि को दिखाती है।
** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित तथा अधिशेष/घाटा को दिखाता है ।
*** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यचालन पूंजी को दिखाती है ।
**** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष (विनियोजन से पहले) के प्रतिशत को दिखाता है ।

कार्यचालन परिणाम :-

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं :

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व			
(i) प्रचालन आय	2,18661.	254623.	272228.
(ii) गैर-प्रचालन आय	2904.	32548.	4269.
योग	2,47701.	287171.	314918.
व्यय			
प्रचालन व्यय	1,21159.	120968.	95833.
गैर-प्रचालन व्यय	20024.	9403.	12101.
योग	1,41183.	130371.	1,07934.
असाधारण मदें	21592.	1329.	4317.
पूर्व अवधि प्रभार	004.	42.23-	527.
कर से पहले निवल अधिशेष / (घाटा)	1,06514.	157814.	2,02140.
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान	30107.	46729.	60123.
जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ	19.41-	1300.	7374.
जोड़ें : कल्याण **निधि से आहरण**	009.	004.	012.
आधारिक संरचना आरक्षित निधि से आहरण	-	-	-
विनियोजन से पहले निवल अधिशेष / (घाटा)	58942.	109788.	1,34655.
घटाएँ : आज्ञापक विनियोजन, आरक्षित निधियों में स्थानांतरण आदि	26633.	26363.	31618.
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा	32309.	83425.	1,03036.
निवल अधिशेष/घाटे का प्रतिशत :			
(i) प्रचालन आय से	3683.	4312.	4946.
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियों से	2088.	2513.	2492.
(iii) निवल मूल्य से	659.	824.	921.

कार्यचालन परिणाम :-

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं :

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व			-
(i) प्रचालन आय	2,18661.	254623.	272228.
(ii) गैर-प्रचालन आय	2904.	32548.	4269.
योग	2,47701.	287171.	314918.
व्यय			
प्रचालन व्यय	1,21159.	120968.	95833.
गैर-प्रचालन व्यय	20024.	9403.	12101.
योग	1,41183.	130371.	1,07934.
असाधारण मदें	21592.	1329.	4317.
पूर्व अवधि प्रभार	004.	42.23-	527.
कर से पहले निवल अधिशेष / (घाटा)	849.22	157814.	2,02140.
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान	30107.	46729.	60123.
जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ	19.41-	1300.	7374.
जोड़ें : कल्याण **निधि से आहरण**	009.	004.	012.
आधारिक संरचना आरक्षित निधि से आहरण	-	-	-
विनियोजन से पहले निवल अधिशेष / (घाटा)	58942.	109788.	1,34655.
घटाएँ : आज्ञापक विनियोजन, आरक्षित निधियों में स्थानांतरण आदि	26633.	26363.	31619.
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा	32309.	83425.	1,03036.
निवल अधिशेष/घाटे का प्रतिशत :			
(i) प्रचालन आय से	26.96	4312.	4946.
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियों से	15.28	2513.	2492.
(iii) निवल मूल्य से	4.83	827.	921.

3. अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता)

पत्तन प्राधिकरण की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों को नीचे दिखाया गया है :

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24
क	वर्तमान देनदारियों (प्रावधानों सहित) से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	201.26%	190%25.	171%30.
ख	वर्तमान देनदारियों से शीघ्र संपत्ति का प्रतिशत	234.09%	208%28.	240%80.
ग	प्रचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	35.97%	31%05.	28%75.
घ	पूंजी आरक्षित और सामान्य आरक्षित से ऋण का प्रतिशत	22.05%	30%35.	0%00.
ड	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत :			
	क) कुल मूल्य से	8.71%	11%84.	13%83.
	ख) नियोजित पूंजी से	10.24%	7%68.	14%30.
	ग) प्रचालन आय से	48.72%	61%98.	74%25.

3.अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता)

पत्तन प्राधिकरण की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों को नीचे दिखाया गया है :

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24
क	वर्तमान देनदारियों (प्रावधानों सहित) से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	202.33%	189.13%	171%30.
ख	वर्तमान देनदारियों से शीघ्र संपत्ति का प्रतिशत	212.32%	194.99%	240%80.
ग	प्रचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	35%97.	32%76.	28%75.
घ	पूंजी आरक्षित और सामान्य आरक्षित से ऋण का प्रतिशत	22.15%	17%13.	0%00.
ड	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत :			
	क) कुल मूल्य से	6.97%	11.88%	13%83.
	ख) नियोजित पूंजी से	6.24%	11.01%	14%30.
	ग) प्रचालन आय से	38.84%	61%98.	74%25.

वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा
2023-24 2023-24

वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा
2023-24 के वित्तीय मुख्य अंश

2023-24 में पतन की प्रचालनीय आय 2022-23 की ₹.2,722.29 करोड से बढकर ₹. 2,546.23 करोड हो गई । वर्ष 2023-24 का प्रचालनीय व्यय ₹.958.33 करोड रहा जबकि पिछले वर्ष 2022-23 का ₹. 1,209.68 करोड था । प्रचालनीय लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के ₹. 1,336.55 करोड से 2023-24 में ₹. 1,763.96 करोड हो गया । वित्तीय वर्ष 2023-24 में एसवीआरएस योजना के लिए असाधारण मद में 43.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुग्रह राशि पर 13.29 करोड़ हो गया है । कर पूर्व लाभ 2022-23 में ₹.1,578.13 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹. 2,021.40 करोड़ हो गया है । कर के बाद निवल लाभ 2022-23 के ₹. 1,097.84 करोड से बढकर 2023-24 में ₹. 1,346.43 करोड हो गया ।

पत्तन के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए है :

(करोड रूपयो में)

क्र.	विवरण	2022-23	2023-24
1	प्रचालनीय आय	2,546.23	2,722.29
2	प्रचालनीय व्यय	1,209.68	958.33
3	प्रचालनीय लाभ (1-2)	1,336.55	1,763.96
4	वित्त तथा विविध आय	325.48	426.90
5	वित्त तथा विविध व्यय	94.03	121.01
6	निवल पूर्व अवधि प्रभार	-23.42	5.27
7	कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मद	1,591.42	2,064.58
8	असाधारण मद	13.29	43.18
9	कर पूर्व लाभ	1,578.13	2,021.40
10	कराधान हेतु प्रावधान	480.29	674.97
11	निवल लाभ	1,097.84	1,346.43

जेएनपीए वित्तीय प्रदर्शन 2022-23 और 2023-24

पिछले 10 वर्षों में वित्तीय प्रदर्शन

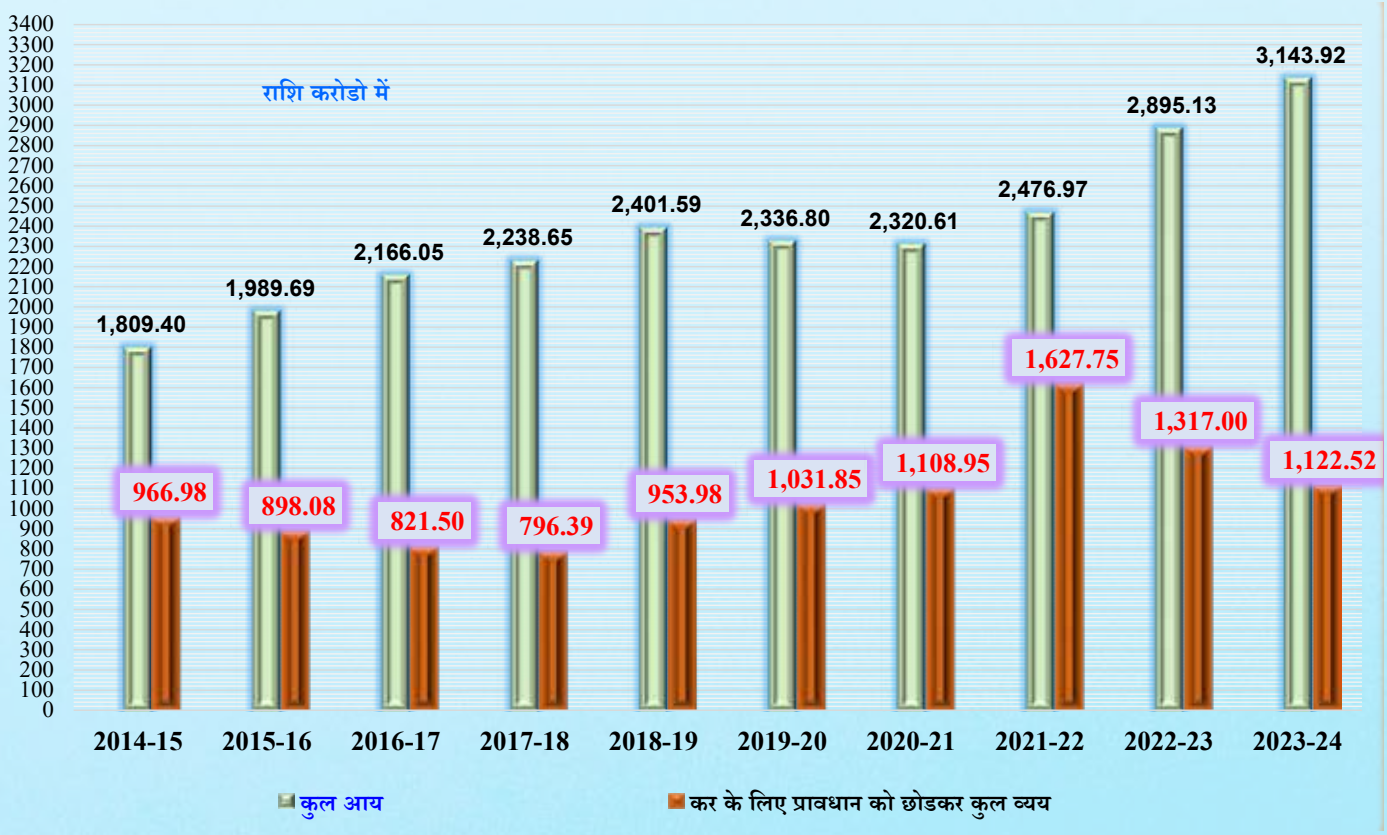

2023-24 में कुल आय का उपयोग (प्रकार के अनुसार व्यय)

2023-24 में कुल आय का उपयोग (प्रकार के अनुसार व्यय)

राशि करोडो में और % कुल आय के भाग अनुसार

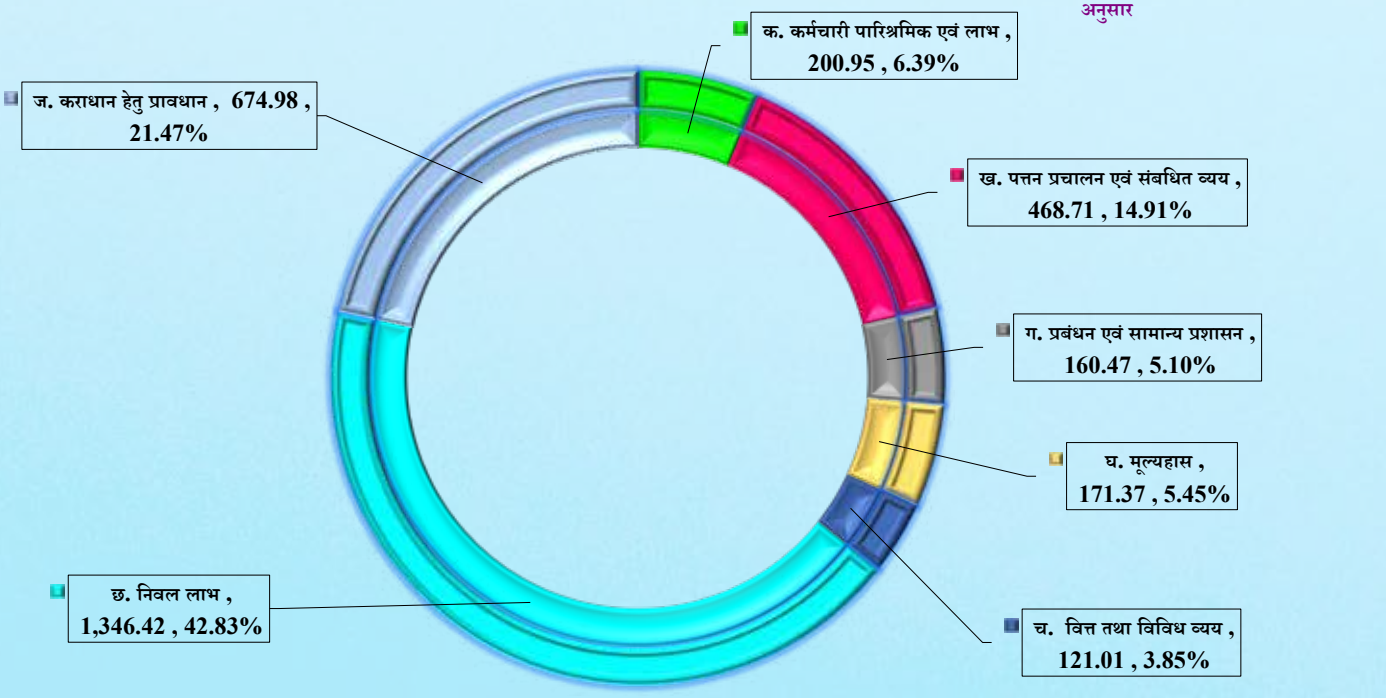

2023-24 में कुल आय का उपयोग (नि.प्र.ह. सहित)
(प्रकार्यात्मक विभागों द्वारा)

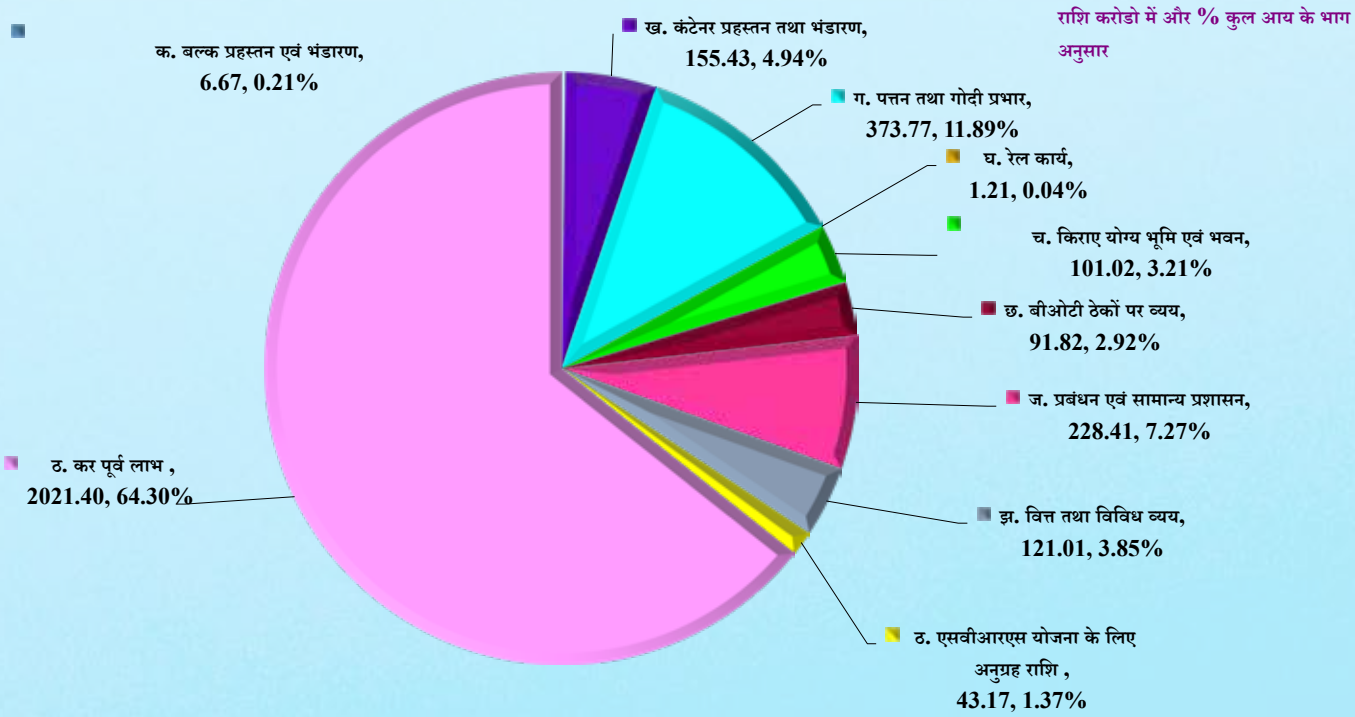

2023-24 में कुल आय का उपयोग (नि.प्र.ह. को छोडकर)
(प्रकार्यात्मक विभागों द्वारा)

राशि करोडो में और % कुल आय के भाग अनुसार

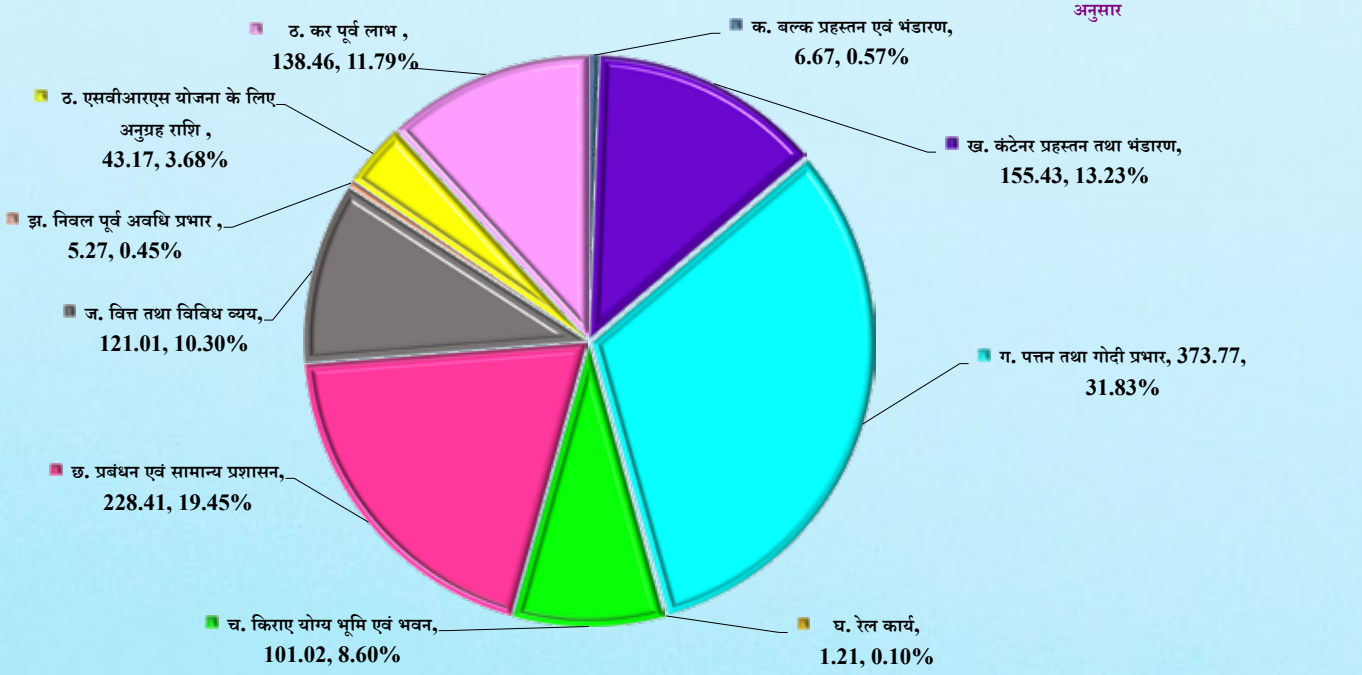

कुल व्यय का वितरण 2023-24

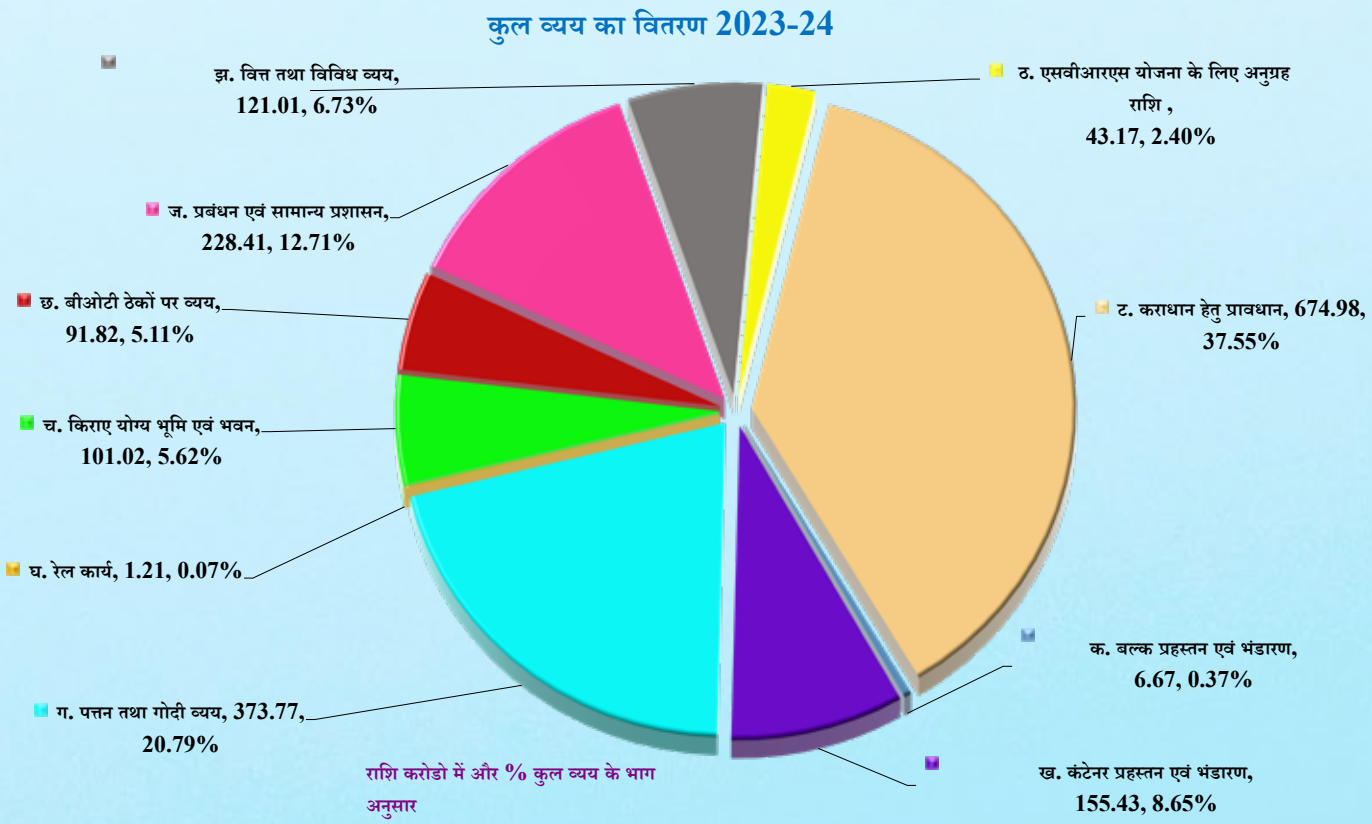

कुल आय का वितरण 2023-24

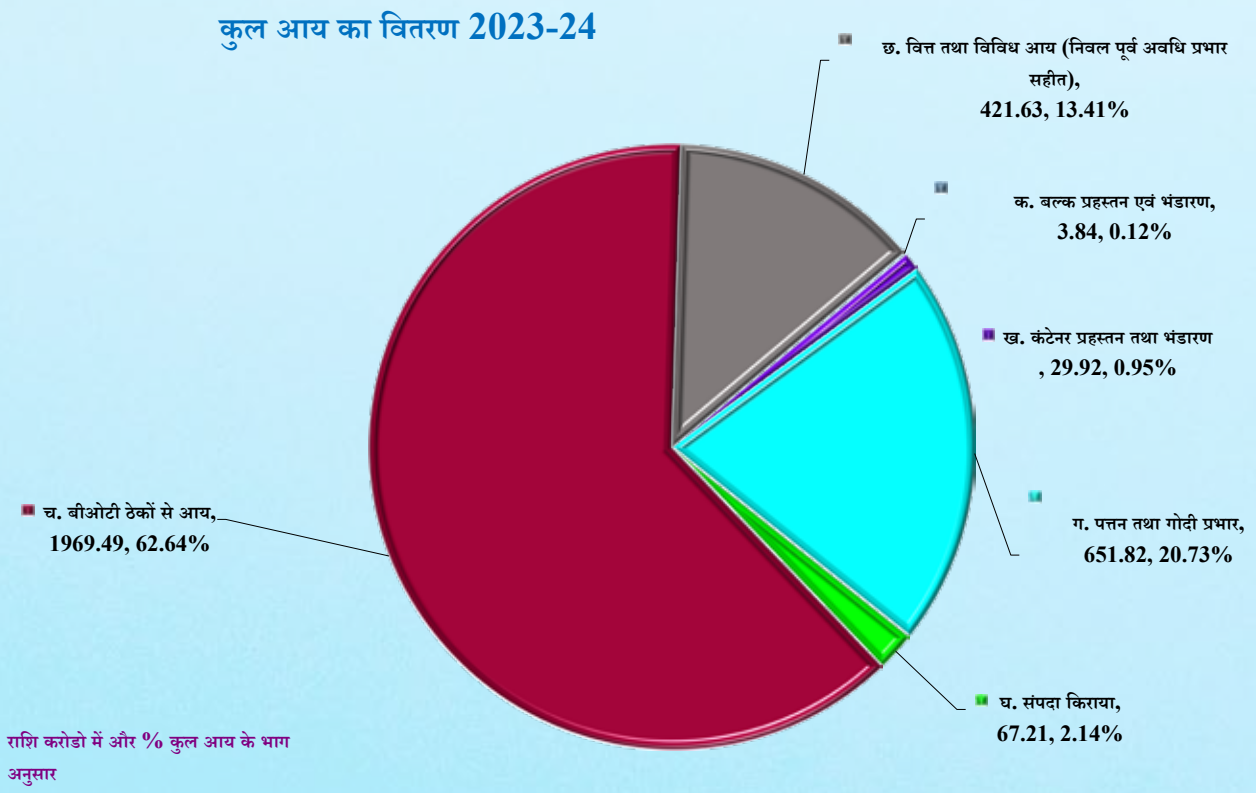

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी व्यय (कर को छोडकर) 2023-24

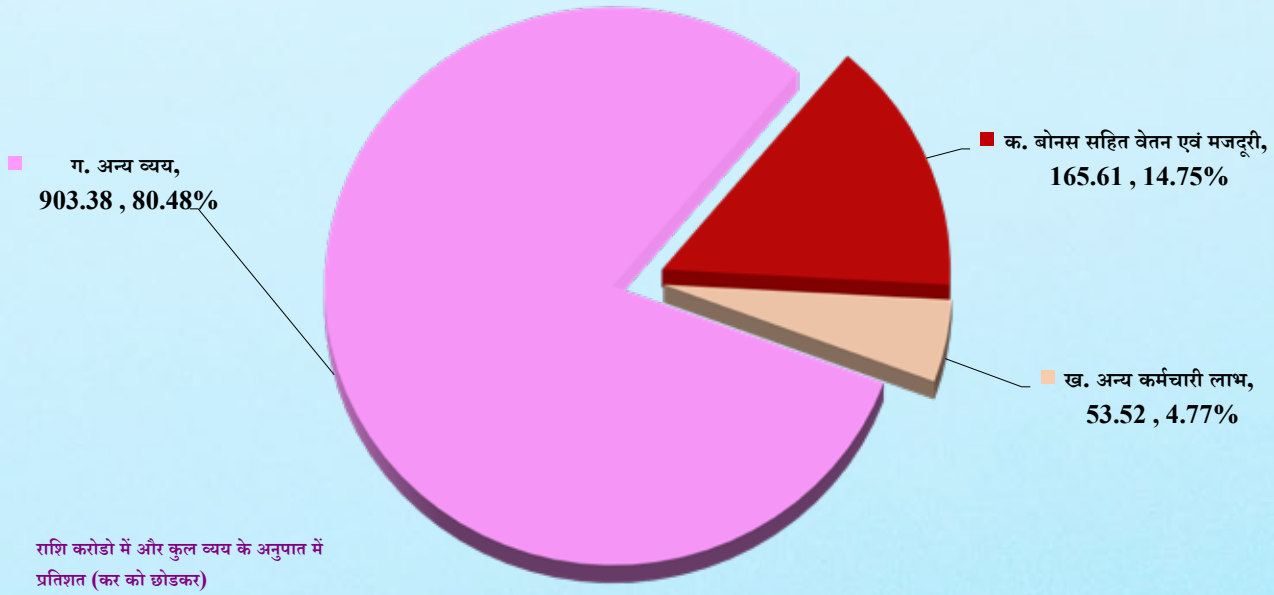

राशि करोडो में और कुल व्यय के अनुपात में प्रतिशत (कर को छोडकर)

वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा

वित्तीय संकेतक

(करोड रूपयो में)

अ. क्र.		विवरण	2022-23	2023-24
1		**नियेजित पूंजी पर प्रतिलाभ**		
	क	**कर पूर्व लाभ**	**1,578.13**	**2,021.40**
	ख	जोडे : ऋणों पर ब्याज	77.75	70.51
	ग	घटाएंण: निवेश पर ब्याज	317.49	413.57
	घ	ब्याज से पहले लाभ	1,338.39	1,678.34
	च	निवल नियोजित पूंजी (चालू कार्य, बैंक सावधि जमा निकालकर)	4,210.44	5043.55
	छ	**नियेजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर**	**31.79%**	**33.28%**
2		**ऋण से पूंजी आरक्षित**		
	क	देय ब्याज सहित ऋण	1742.80	-
	ख	पूंजी आरक्षित	13,279.43	14612.62
	ग	अनुपात	0.13	-
3		वर्तमान परिसम्पत्तियां से वर्तमान देयताएं		
	क	वर्तमान परिसम्पत्तियां (बैंक सावधि जमा निकालकर)	10,372.83	8768.66
	ख	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7,453.31	8346.18
	ग	**अनुपात**	**1.39:1**	**1.05:1**
4		**वर्तमान परिसम्पत्तियां से कुल परिसम्पत्तियां**		
	क	वर्तमान परिसम्पत्तियां (बैंक सावधि जमा निकालकर)	10,372.82	8768.66
	ख	कुल परिसम्पत्तियां	22,553.07	23149.48
	ग	**अनुपात**	**0.46:1**	**0.38:1**
5		**प्रचालनीय अनुपात**		
	क	प्रचालनीय व्यय	1,209.68	958.33
	ख	प्रचालनीय आय	2,546.23	2,722.29
	ग	**अनुपात**	**47.51%**	**35.20%**
6		**वर्तमान परिसम्पत्तियां से भंडार एवं सामग्री**		
	क	भंडार एवं सामग्री का समापन स्टॉक	20.89	9.90
	ख	वर्तमान परिसम्पत्तियां (बैंक सावधि जमा निकालकर)	10,372.83	8768.66
	ग	**अनुपात**	**0.20%**	**0.11%**
7		**कार्य अनुपात**		
	क	प्रचालनीय व्यय (मूल्यहास निकालकर)	1,069.18	786.96
	ख	प्रचालनीय आय	2,546.23	2,722.29
	ग	अनुपात	41.99%	28.91%

नियोजित और अनियोजित योजनाओं पर पूंजीगत व्यय

(करोड रूपयो में)

विवरण	नियोजित कार्य	अनियोजित कार्य
वर्तमान वर्ष		
अनुमोदित उपरिव्यय (वार्षिक 2023-24)		
बजट प्राकलन	582.78	129.30
संशोधित प्राकलन	707.33	81.37
आंतरिक संसाधन	713.29	56.03
बजट सहाय्यता	-	
अन्य	-	-
कुल	769.32	-
वास्तविक व्यय 2023-24		
योजना अवधि के लिए संचित		
12 वी योजना में प्रस्तावित उपरिव्यय	29,261.83	
आंतरिक संसाधन	9,235.22	-
बजट सहाय्यता	87.09	-
अन्य एवं नि.प्र.ह.	18,786.00	-
कुल	**57,370.14**	**-**
12 वी योजना में वर्ष 2023-24 तक वास्तविक उपरिव्यय	**769.32**	**-**

संघठित वित्तीय विवरण
(वर्ष 2014-2024)

तुलन पत्र वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निधियों के स्रोत				
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
पूंजीगत आरक्षित निधि	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567
राजस्व आरक्षित निधियाँ	2,251,513,116	7,055,232,499	23,875,023,826	30,926,470,105
सांविधिक आरक्षित निधियाँ	14,726,147,546	17,109,308,818	19,398,435,589	21,590,916,632
अवसंरचना आरक्षित निधि	10,129,588,419	10,129,588,419	-	-
कुल आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	**63,190,417,647**	**70,377,298,303**	**79,356,627,982**	**88,600,555,305**
ऋण				
सुरक्षित ऋण - कर मुक्त बाँड	413,196,000	413,196,000	413,196,000	413,196,002
अप्रतिभूत ऋण - बाहरी वाणिज्यिक ऋण	-	-	5,155,250,750	17,785,284,027
कुल ऋण देयता	**413,196,000**	**413,196,000**	**5,568,446,750**	**18,198,480,029**
आस्थगित कर देयता	1,443,822,599	1,833,524,284	2,207,304,709	2,558,462,034
निधियों के कुल स्रोत	**65,047,436,246**	**72,624,018,587**	**87,132,379,441**	**109,357,497,368**

तुलन पत्र वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक

(राशि रुपये में)

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,094,414,347	36,096,563,196
38,026,125,071	46,065,411,292	51,761,365,233.67	54,992,281,038	63,334,786,197	73,638,437,725
23,944,117,106	26,381,929,567	28,541,262,798.68	31,181,329,287	33,803,952,583	36,391,184,403
-	-	-	-	-	-
98,053,410,744	**108,530,509,426**	**116,385,796,599**	**122,256,778,892**	**133,233,153,126**	**146,126,185,324**
413,196,002	413,196,002	413,196,000	413,196,000	-	-
27,972,000,001	26,784,300,001	22,792,000,000	19,667,505,000	17,033,841,000	-
28,385,196,003	**27,197,496,003**	**23,205,196,000**	**20,080,701,000**	**17,033,841,000**	**-**
2,859,324,616	1,194,686,896	2,911,009,658	3,471,404,522	4,330,861,637	5,152,803,348
129,297,931,364	**136,922,692,325**	**141,042,241,333**	**145,808,884,415**	**154,597,855,763**	**151,278,988,672**

तुलन पत्र वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निधियों का उपयोग				
नियत परिसम्पत्तियाँ				
पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ (कार्य प्रगति पर सहित)	31,130,115,877	33,701,011,302	36,548,390,744	47,784,049,691
घटाएं : मूल्यह्रास	6,693,365,710	7,369,661,082	8,023,903,865	8,788,136,866
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	**24,436,750,166**	**26,331,350,220**	**28,524,486,880**	**38,995,912,825**
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड	354,437,058	336,260,798	315,026,027	346,040,856
दुर्घटना में आरएमक्यूसी नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गई	-	-	-	-
निवेश	**580,000,000**	**733,000,000**	**767,810,000**	**1,126,871,516**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ				
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	62,601,172,965	71,252,725,817	88,894,820,459	107,003,905,166
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	22,924,923,943	26,029,318,248	31,369,763,925	38,115,232,995
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	**39,676,249,022**	**45,223,407,569**	**57,525,056,534**	**68,888,672,171**
घाटा	-	-	-	-
कुल संपत्ति	**65,047,436,246**	**72,624,018,587**	**87,132,379,441**	**109,357,497,368**

तुलन पत्र वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक

(राशि रुपये में)

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
61,155,049,143	70,872,255,850	76,982,847,275	83,005,161,070	90,176,056,975	96,613,008,005
9,548,357,248	10,342,275,526	10,796,354,065	11,989,674,840	13,234,443,522	14,800,904,364
51,606,691,895	**60,529,980,324**	**66,186,493,209**	**71,015,486,229**	**76,941,613,453**	**81,812,103,641**
324,790,091	303,539,326	282,303,094	261,049,868	239,796,643	218,543,418
-	-	529,484,083	529,484,083	529,484,083	529,484,084
3,637,323,026	**4,137,323,026**	**5,619,481,339**	**6,119,481,339**	**6,858,597,244**	**5,967,801,208**
		1,459,760,923	**2,432,027,055**	**3,161,466,248**	**3,245,974,287**
122,555,327,834	124,934,548,893	127,904,350,030	130,089,582,721	140,961,176,870	142,966,861,839
48,826,201,482	52,982,699,245	59,479,870,422	64,638,226,883	74,094,278,779	83,461,779,805
73,729,126,352	**71,951,849,648**	**68,424,479,607**	**65,451,355,838**	**66,866,898,091**	**59,505,082,034**
-	-	-	-	-	
129,297,931,364	**136,922,692,325**	**142,502,002,258**	**145,808,884,415**	**154,597,855,763**	**151,278,988,672**

राजस्व लेखा वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आय				
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	63,195,450	86,152,536	85,542,832	88,905,432
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	4,199,055,841	4,885,706,658	5,268,198,530	5,384,299,352
पत्तन एवं गोदी प्रभार	2,622,280,315	3,394,336,521	3,588,008,538	4,302,206,666
संपदा किराया	965,875,838	1,025,064,661	929,231,379	1,239,542,568
बीओटी ठेकों से आय	7,230,371,788	7,259,730,147	7,138,675,375	7,893,891,243
प्रचालनीय आय (क)	**15,080,779,231**	**16,650,990,523**	**17,009,656,654**	**18,908,845,261**
व्यय				
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण	78,843,952	38,098,426	49,782,586	49,958,318
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण	2,770,967,261	2,678,685,937	2,848,048,970	3,300,042,007
पत्तन एवं गोदी व्यय	1,100,698,686	1,626,038,375	1,903,695,236	1,194,242,253
रेल कार्यचालन	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823
किराए योग्य भूमि एवं भवन	527,351,349	291,703,688	351,507,368	337,192,745
बीओटी ठेकों पर व्यय	743,324,261	679,742,326	836,993,489	773,228,996
उप योग (व्यय)	**5,233,327,332**	**5,326,410,575**	**6,002,169,472**	**5,666,806,142**
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	1,481,803,106	1,604,744,132	2,047,501,995	1,845,629,117

राजस्व लेखा वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

(राशि रुपये में

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
89,044,709	131,041,365	111,229,311	136,441,981	191,724,794	38,418,718
3,980,400,316	2,767,468,328	2,199,960,214	1,904,603,505	1,217,985,853	299,230,890
4,731,303,475	4,543,380,076	4,599,337,218	4,818,189,168	5,980,759,033	6,518,216,181
1,505,483,760	1,291,837,072	1,548,162,787	1,123,835,276	1,328,272,323	672,141,351
9,583,696,755	10,262,417,946	10,753,240,639	13,882,986,577	16,743,586,954	19,694,884,921
19,889,929,016	**18,996,144,787**	**19,211,930,170**	**21,866,056,508**	**25,462,328,957**	**27,222,892,061**
97,696,786	41,430,305	78,448,822	79,637,737	69,245,046	66,663,374
2,694,152,149	2,846,399,027	3,063,774,779	3,273,649,259	2,561,494,122	1,554,298,144
1,425,027,584	2,413,920,433	2,814,671,375	3,898,719,762	4,260,511,042	3,737,730,323
12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823
385,993,799	349,315,648	557,186,140	819,980,218	857,683,049	1,010,178,755
937,041,758	1,061,434,701	1,062,556,683	1,331,894,977	1,319,613,175	918,221,119
5,552,053,899	**6,724,641,937**	**7,588,779,622**	**9,416,023,774**	**9,080,688,257**	**7,299,233,538**
2,085,090,883	1,966,648,570	2,606,522,485	2,699,876,423	3,016,086,695	2,284,088,737

राजस्व लेखा वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रचालनीय व्यय (ख)	**6,715,130,438**	**6,931,154,707**	**8,049,671,467**	**7,512,435,259**
प्रचालनीय अधिशेष (ग=क-ख)	**8,365,648,793**	**9,719,835,816**	**8,959,985,187**	**11,396,410,002**
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय (घ)	3,013,273,963	3,195,986,105	4,614,603,346	3,454,575,629
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय (च)	2,938,684,703	1,321,122,525	165,319,226	451,445,406
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार (छ)	16,006,762	(49,955,453)	(38,092,956)	(23,096,920)
कर पूर्व लाभ (ज=ग+घ-च-छ)	**8,424,231,291**	**11,644,654,849**	**13,447,362,262**	**14,422,637,145**
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (ट)				
वर्तमान कर	2,444,311,354	3,339,572,508	4,280,352,159	4,551,097,040
आस्थगित कर	418,984,473	389,701,685	373,780,425	351,157,325
करोत्तर लाभ (ठ=ज-ट)	**5,560,935,464**	**7,915,380,656**	**8,793,229,679**	**9,520,382,779**
असाधारण मद		728,500,000	-	
निवल लाभ	**5,560,935,464**	**7,186,880,656**	**8,793,229,679**	**9,520,382,779**

राजस्व लेखा वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

(राशि रुपये में

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
7,637,144,782	**8,691,290,507**	**10,195,302,107**	**12,115,900,197**	**12,096,774,952**	**9,583,322,275**
12,252,784,233	**10,304,854,279**	**9,016,628,063**	**9,750,156,311**	**13,365,554,005**	**17,639,569,786**
4,338,894,673	4,415,243,753	3,980,078,832	2,904,038,906	3,254,798,731	4,268,969,833
1,902,655,516	1,627,237,563	894,185,922	2,002,409,338	940,283,002	1,210,083,501
212,898,144	43,385,668	(14,070,127)	362,356	(234,215,388)	52,700,940
14,476,125,246	**13,049,474,801**	**12,116,591,100**	**10,651,423,524**	**15,914,285,122**	**20,645,755,178**
4,601,993,947	4,178,275,331	3,821,499,463	3,010,734,747	4,672,873,990	6,012,321,754
300,862,582	(1,664,637,720)	256,561,838	(411,871,267)	130,017,922	737,433,672
9,573,268,717	**10,535,837,190**	**8,038,529,799**	**8,052,560,044**	**11,111,393,210**	**13,895,999,752**
-	-	-	2,159,223,687.90	132,932,685.00	431,749,880.00
9,573,268,717	**10,535,837,190**	**8,038,529,799**	**5,893,336,356**	**10,978,460,525**	**13,464,249,872**

वित्तीय अनुपात वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रचालनीय आय	1,508.08	1,665.10	1,700.97	1,890.88
प्रचालनीय व्यय	671.51	693.12	804.97	751.24
वित्त एवं विविध आय	301.33	319.60	461.46	345.46
परिचालनीय अनुपात (%)	**44.53%**	**41.63%**	**47.32%**	**39.73%**
कुल आय	1,809.41	1,984.70	2,162.43	2,236.34
निवल लाभ (हानि)	556.09	718.69	879.32	952.04
निवल लाभ अनुपात (%)	**30.73%**	**36.21%**	**40.66%**	**42.57%**
कुल आय में वित्त एवं विविध आय (%)	**16.65%**	**16.10%**	**21.34%**	**15.45%**
"वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (टीडीआर सहित)	6,260.12	7,125.27	8,889.48	10,700.39
वर्तमान देयताएँ	2,292.49	2,602.93	3,136.98	3,811.52
वर्तमान अनुपात (कितने गुना)	**2.73**	**2.74**	**2.83**	**2.81**
निवल लाभ	556.09	718.69	879.32	952.04
इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	6,319.04	7,037.73	7,935.66	8,860.06
निवल मुल्य पर प्रतिलाभ	**8.80%**	**10.21%**	**11.08%**	**10.75%**
कुल ऋण	41.32	41.32	556.84	1,819.85
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.01**	**0.01**	**0.07**	**0.21**
नियोजित पूंजी	**3,247.88**	**3,555.27**	**3,603.38**	**3,797.39**
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	**17.02%**	**22.49%**	**25.50%**	**30.15%**

w वित्तीय अनुपात वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

(राशि रुपये में)

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
1,988.99	1,899.61	1,921.19	2,186.61	2,546.23	2722.29
763.71	869.13	1,019.53	1,211.59	1,209.68	958.33
433.89	441.52	398.01	290.40	325.48	427.00
38.40%	**45.75%**	**53.07%**	**55.41%**	**47.51%**	**35.20%**
2,422.88	2,341.14	2,319.20	2,477.01	2,871.71	3149.19
957.33	1,053.58	803.85	589.33	1,097.85	1346.42
39.51%	**45.00%**	**34.66%**	**23.79%**	**38.23%**	**42.75%**
17.91%	**18.86%**	**17.16%**	**11.72%**	**11.33%**	**13.56%**
12,255.53	12,493.45	12,790.44	13,008.96	14,096.12	14296.69
4,882.62	5,298.27	5,947.99	6,463.82	7,409.43	8346.18
2.51	**2.36**	**2.15**	**2.01**	**1.90**	**1.71**
957.33	1,053.58	803.85	589.33	1,097.85	1346.42
9,805.34	10,853.05	11,638.58	12,225.68	13,323.32	14612.62
9.76%	**9.71%**	**6.91%**	**4.82%**	**8.24%**	**9.21%**
2,838.52	2,719.75	2,320.52	2,008.07	1,703.38	-
0.29	**0.25**	**0.20**	**0.16**	**0.13**	**-**
3,803.58	**3,985.32**	**3,770.32**	**4,339.15**	**4,210.44**	**5043.55**
30.05%	**25.10%**	**23.80%**	**14.61%**	**31.79%**	**33.28%**

प्रहस्तित यातायात वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सुखा बल्क	652,584	674,064	815,680	904,624
विघटीत बल्क		**58,109**	**24,410**	**46,997**
द्रव - जनेप न्यास बल्क		537,913	523,967	583,160
द्रव (बीपीसीएल)		5,966,743	6,257,018	6,603,321
कुल द्रव (जनेप बल्क + बीपीसीएल)		6,504,656	6,780,985	7,186,481
कुल बल्क		**7,236,829**	**7,621,075**	**8,138,102**
कंटेनर (जनेप कं.ट.)				
टनभार	15,946,985	17,976,822	18,297,756	16,568,564
टीईयू		(1,429,223)	(1,533,975)	(1,481,768)
कंटेनर (एनएसआईसीटी				
टनभार	14,133,771	12,055,150	8,900,431	7,876,537
टीईयू		(999,680)	(728,560)	(641,122)
कंटेनर (एनएसआईजीटी)				
टनभार	-	2,463,588	5,553,759	8,282,970
टीईयू		(202,328)	(445,111)	(659,400)
कंटेनर (जीटीआईपीएल)				
टनभार	26,852,628	24,294,531	21,778,297	24,893,462
टीईयू		(1,860,283)	(1,792,503)	(2,027,895)
कंटेनर (बीएमसीटीपीएल)				
टनभार	-	-	-	244,493
टीईयू	-	-	-	(23,212)
कंटेनर (एनएसएफटीपीएल)				
टनभार	-	-	-	-
टीईयू		-	-	-
कंटेनर (एनएसडीटीटीपीएल)				
टनभार	-	-	-	-
टीईयू		-	-	-
कुल टनभार (जनेप कं.ट. + एनएसआईसीटी + एनएसआईजीटी + जीटीआईपीएल + बीएमसीटीपीएल + एनएसएफटीपीएल + एनएसडीटीटीपीएल)		**56,790,091**	**54,530,243**	**57,866,026**
कुल टीईयू (जनेप कं.ट. + एनएसआईसीटी + एनएसआईजीटी + जीटीआईपीएल + बीएमसीटीपीएल + एनएसएफटीपीएल + एनएसडीटीटीपीएल)	**(4,466,695)**	**(4,491,514)**	**(4,500,149)**	**(4,833,397)**
कुल योग	**63,775,612**	**63,968,811**	**62,126,908**	**65,957,131**

प्रहस्तित यातायात वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक

(IN METRIC TONNES)

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-2024
997,472	1,017,571	865,989	807,421	1,360,245	1,589,545
30,547	**41,117**	**45,414**	**112,868**	**5,211**	**218,122**
566,026	380,564	531,252	786,103	1,151,755	747,796
6,997,694	6,069,797	5,621,106	5,197,099	5,150,601	5,136,093
7,563,720	6,450,361	6,152,357	5,983,202	6,302,356	5,883,889
8,591,739	**7,509,049**	**7,063,760**	**6,903,491**	**7,667,812**	**7,691,556**
12,447,206	8,106,305	6,547,406	5,391,918	2,513,441	0
(1,056,368)	(718,863)	(544,027)	(440,210)	(206,067)	(000)
6,852,374	6,818,055	9,327,715	11,805,711	14,483,553	14,247,557
(560,661)	(531,354)	(750,978)	(947,887)	(1,096,954)	(1,132,232)
12,159,078	13,218,313	9,773,280	13,558,310	14,015,536	13,544,566
(947,665)	(986,624)	(779,769)	(1,186,181)	(1,137,034)	(1,111,838)
24,900,624	24,086,806	21,160,979	23,529,914	22,902,350	18,991,189
(2,048,454)	(1,985,473)	(1,668,903)	(1,865,587)	(1,846,920)	(1,588,485)
5,754,697	8,710,750	10,936,056	14,807,536	21,636,822	24,492,685
(520,126)	(808,873)	(933,154)	(1,244,694)	(1,714,246)	(2,027,781)
-	-	-	-	641,894	6,728,646
-	-	-	-	(49,707)	(562,154)
-	-	-	-	-	121,092
-	-	-	-		(7,948)
62,113,979	**60,940,229**	**57,745,436**	**69,093,389**	**76,193,596**	**78,125,735**
(5,133,274)	**(5,031,187)**	**(4,676,831)**	**(5,684,559)**	**(6,050,928)**	**6,430,444**
70,675,171	**68,408,161**	**64,763,782**	**75,884,012**	**83,861,408**	**85,817,291**

जनेप प्राधिकरण
JNPA

भारत का
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
करने वाला
बंदरगाह

JNPA
3
YEARS
THE PORT OF PROSPERITY

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

प्रशासनिक भवन, शेवा, नवी मुंबई - 400707, www.jnport.gov.in

JNport

JNport

JNport